



तीसरी THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2006-2007

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई हैं)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च March, 2007

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा और अन्तिम बैच, 2006-07

वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के तीसरे बैच में 77 अनुदान और 4 विनियोग शामिल हैं। 386336.76 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 18722.98 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 367612.94 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 84 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

2. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Third and final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2006-2007.

The third batch of Supplementary Demands for Grants for 2006-07 includes 77 Grants and 4 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 386336.76 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 18722.98 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 367612.94 crore. Besides, token provision of Rs. 84 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
1 कृषि तथा सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation			
(क) निम्नलिखित योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु: (i) कृषि आर्थिक नीति तथा विकास के संबंध में निविष्टियों संबंधी अध्ययन (3.46 करोड़ रुपए), (ii) एकीकृत तिलहन/ऑइल पाम/दलहन तथा मक्का विकास (12.00 करोड़ रुपए), (iii) कार्य आयोजना (सूक्ष्म प्रबंधन) के जरिए राज्यों के प्रयासों का सम्पूर्ण/अनुपूरण (11.20 करोड़ रुपए), और (iv) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु भारतीय कृषि कम्पनी को भुगतान (135.37 करोड़ रुपए) के लिए।	(a) To meet additional expenditure on the schemes of: (i) Studies on Inputs for Agricultural Economic Policy and Development (Rs. 3.46 crore), (ii) Integrated Oilseed/Oil Palm/Pulses and Maize Development (ISOPOM) (Rs. 12.00 crore), (iii) Supplementation/Complementation of States' Efforts through Work Plan (Macro-Management) (Rs. 11.20 crore), and (iv) for payment to Agriculture Insurance Company of India (AIC) for implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) (Rs. 135.37 crore).	55.00	...	55.00
(ख) रबी 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान सरसों के संबंध में मूल्य समर्थन कार्यक्रमों के तहत सरसों के बीजों की अधिप्राप्ति/निपटान बावत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ द्वारा उठाई गयी हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए (300.00 करोड़ रुपए)	(b) For reimbursement of losses incurred by National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) on procurement/disposal of mustard seeds under the Price Support Operations for Mustard during Rabi 2005-06 and 2006-07 (Rs. 300.00 crore).	...	200.00	200.00
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान:	For grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) :			
(क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को आधारभूत संरचना के उन्नयन हेतु ताकि उत्कृष्ट संस्थान के बतौर इसे विकसित करना सम्भव हो सके (30.00 करोड़ रुपए)।	(a) to Punjab Agricultural University, Ludhiana for upgrading the infrastructure to enable to develop as an institution of excellence (Rs. 30.00 crore).	21.99	...	21.99
(ख) समतुल्य अनुदान हेतु	(b) for matching grant.	...	36.00	36.00
(ग) पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान के अन्तर्गत निधियों में बढ़ोतरी।	(c) for augmentation of funds under the lump sum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	8.00	...	8.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7. रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग	7 Department of Chemicals and Petrochemicals			
(क) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के संबंध में वेतन के बकायों, चिकित्सा उपचार तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान (1.94 करोड़ रुपए) और (ख) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के संबंध में वेतन संशोधन बकायों के भुगतान के लिए एकबारगी अनुदान (24.70 करोड़ रुपए)।	(a) For payment of arrears of salary, for medical treatment and for professional services in connection with the Bhopal Gas Leak Disaster (Rs. 1.94 crore) and (b) Grant for Voluntary Retirement Scheme (Rs. 20.00 crore) and one time Grant for payment of wage revision arrears in respect of Bengal Chemicals & Pharmaceutical Limited (BCPL) (Rs. 24.70 crore).	...	46.64	46.64
(ख) बीसीपीएल के संबंध में इक्विटी सहायता	(b) For equity support to BCPL.	55.00	...	55.00
(ग) बीसीपीएल के संबंध में ब्याज मुक्त ऋण।	(c) For interest free loan to BCPL.	...	17.49	17.49
8. उर्वरक विभाग	8 Department of Fertilisers			
(क) (i) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (1000.00 करोड़ रुपए) और (ii), स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (1250.00 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) subsidy on imported decontrolled fertilisers (Rs. 1000.00 crore) and (ii) subsidy on indigenous decontrolled fertilisers (Rs. 1250.00 crore).	...	2,250.00	2,250.00
(ख) स्वदेशी यूरिया पर सब्सिडी हेतु	(b) For subsidy on indigenous urea.	...	1,250.00	1,250.00
(ग) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम (6.79 करोड़ रुपए), भारतीय उर्वरक निगम (4.48 करोड़ रुपए) और पाइराइट फोस्फेट्स एंड केमिकल लि. (0.91 करोड़ रुपए) के कर्मचारियों को वीएसएस/वीआरएस भुगतान के संबंध में अनुग्रह तथा उपदान का भुगतान करने हेतु प्रशिक्षण अवधि को शामिल करना।	(c) inclusion of training period for payment of ex-gratia and gratuity in respect of VSS/VRS payment to employees of Hindustan Fertilizer Corporation (Rs. 6.79 crore), Fertiliser Corporation of India (Rs. 4.48 crore) and Pyrites Phosphates and Chemicals Limited (Rs. 0.91 crore).	...	12.18	12.18
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
हज चार्टर के प्रचालन हेतु एअर इंडिया को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु।	For payment of compensation to Air India towards operation of Haj Charters.	...	59.00	59.00
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10 कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
"डिटेल्ड ड्रिलिंग" योजना के लिए अतिरिक्त व्यय (9.38 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure for the scheme 'Detailed Drilling' (Rs. 9.38 crore).	0.07	...	0.07
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) मानित निर्यातों पर शुल्क वापसी के लम्बित दावों का निपटान तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति (469.35 करोड़ रुपए) और (ख) सूरत, गुजरात की बाढ़ से प्रभावित रत्न और आभूषण युनिटों को सहायता (9.32 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।	For (a) settlement of pending claims of Duty Drawback on Deemed Exports and reimbursement of Central Sales Tax for Special Economic Zones (Rs. 469.35 crore) and (b) assisting the flood affected gems and jewellery units of Surat, Gujarat (Rs. 9.32 crore).	...	309.32	309.32
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
14 दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
दूरसंचार विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों के संबंध में पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने हेतु (60.59 करोड़ रुपए)।	For payment of pensionary benefits to the erstwhile employees of Department of Telecommunications (Rs. 60.59 crore).	...	11.23	11.23

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
21 रक्षा पेंशन	21 Defence Pensions			
दि. 1.1.2006 और 1.7.2006 से प्रभावी पेंशनरों के संबंध में स्वीकृत अतिरिक्त महंगाई राहत के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure owing to additional dearness relief sanctioned to pensioners with effect from 1.1.2006 and 1.7.2006.	...	582.00	582.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
28 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	28 Ministry of Development of North Eastern Region			
पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय के अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional establishment expenditure of the Secretariat of the North Eastern Council (NEC).	...	0.50	0.50
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
30 विदेश मंत्रालय	30 Ministry of External Affairs			
(क) वेतन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु	(a) For meeting the additional requirement in salaries.	...	3.92	3.92
(ख) निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) विशेष राजनयिक व्यय (100.00 करोड़ रुपए) और (ii) राजदूतावास तथा मिशन (51.41 करोड़ रुपए), पासपोर्ट तथा उत्प्रवास (2.48 करोड़ रुपए) और केम्ब्रिज विश्वविद्यालय (ब्रिटेन) को पीठ का निर्माण (28.00 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting additional expenditure on (i) Special Diplomatic Expenditure (Rs. 100.00 crore) and (ii) Embassies & Missions (Rs. 51.41 crore), Passport & Emigration (Rs. 2.48 crore), and for creation of a Chair in the University of Cambridge (UK) (Rs. 28.00 crore).	...	181.89	181.89
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31 आर्थिक कार्य विभाग	31 Department of Economic Affairs			
(क) रेलवे को लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों की एवज में अतिरिक्त सब्सिडियां उपलब्ध कराने हेतु (134.08 करोड़ रुपए) और सामरिक रेलवे लाइनों के संचालन पर रेलवे को होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति (309.00 करोड़ रुपए)।	(a) For providing additional subsidies to Railways towards dividend relief and other concessions (Rs. 134.08 crore) and reimbursement of losses to Railways on operating Strategic Railway Lines (Rs. 309.00 crore).	...	443.08	443.08
(ख) विभिन्न योजनाओं अर्थात् योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्तियों, भूजल रिचार्ज, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, दक्षता विकास आदि के तहत सामाजिक तथा आधारभूत संरचना विकास हेतु निधियन पहलों की एवज में व्यय (6500.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting the expenditure towards funding initiatives for social and infrastructure development under various schemes viz., Means-cum-merit scholarships, Ground water recharge, Social security for rural landless households, skills development, etc (Rs. 6500.00 crore).	...	6,000.00	6,000.00
34 ब्याज भुगतान	34 Interest Payments			
भुगतान विशेष रुप से 'क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड', 'बाजार स्थिरीकरण योजना' और 'राजकोषीय ढुंडियों पर भुनाना।	To meet additional expenditure arising out of payments, mainly on 'Compensation & Other Bonds', 'Market Stabilisation Scheme' and 'Discount on Treasury Bills'.	...	4,869.25	4,869.25
38 व्यय विभाग	38 Department of Expenditure			
(क) व्यय और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालयों के नवीकरण के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting expenditure in connection with renovation of offices of Department of Expenditure and for information technology.	...	2.83	2.83
(ख) सरकारी लेखा और वित्त संस्थान (आईएनजीएफ) की आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण हेतु।	(b) For strengthening the infrastructure of Institute of Government Accounts and Finance (INGAF).	...	0.63	0.63

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई), हैदराबाद को ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करने हेतु।	(c) For providing interest free loan to the Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad.	...	5.00	5.00
39 पेंशन	39 Pensions			
(क) 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का महंगाई वेतन के रूप में विलयन और मौजूदा पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशनों में तदनुसूची वृद्धि, पेंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति; नई पेंशन योजना के संबंध में सरकार के अंशदान; और पूर्व सांसदों की पेंशन में वृद्धि के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure arising due to merger of 50% Dearness Allowance as Dearness Pay and corresponding increase in the monthly pensions/family pensions of the existing pensioners; Medical reimbursement to pensioners; Government's contribution towards New Pension Scheme; and increase in pension of Ex-MPs.	...	235.51	235.51
(ख) कार्यकाल के दौरान मृत्यु की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु।	(b) For ex-gratia payment to the families of Government Servants who died in harness.	...	0.05	0.05
40 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	40 Indian Audit and Accounts Department			
स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु	For meeting establishment related expenditure.	...	2.68	2.68
42 प्रत्यक्ष कर	42 Direct Taxes			
आयकर विभाग के संबंध में अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय और प्रचार अभियान आदि के व्यय हेतु।	For meeting additional establishment related expenditure in respect of Income Tax Department and for publicity campaign, etc.	...	47.35	47.35
भारतीय उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
48 भारी उद्योग विभाग	48 Department of Heavy Industry			
पुनर्निर्माण के परिणामस्वरूप एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमिटेड में निवेश (563.00 करोड़ रुपए) हेतु अर्थात् 3.5 प्रतिशत अधिमान शेयर पूंजी (443.00 करोड़ रुपए) और पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त इक्विटी (90.00 करोड़ रुपए), प्रौद्योगिकी अभियोग और उन्नयन (20.00 करोड़ रुपए) और प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण (10.00 करोड़ रुपए) के लिए।	For investment in HMT (Machine Tools) Limited (Rs. 563.00 crore) viz., 3.5% Preference Share Capital (Rs. 443.00 crore) and additional equity to be utilised for Capital expenditure (Rs. 90.00 crore), Technological acquisition and upgradation (Rs. 20.00 crore) and Training and retraining (Rs. 10.00 crore) consequent upon restructuring.	543.50	...	543.50
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 मंत्रिमंडल	51 Cabinet			
निम्नलिखित की पूर्ति हेतु:	For meeting:			
(क) मंत्रिपरिषद के स्थापना संबंधी व्यय (49.15 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय (1.35 करोड़ रुपए) के लिए।	(a) establishment related expenditure of the Council of Ministers (Rs. 49.15 crore) and establishment related expenditure of the National Security Council Secretariat (Rs. 1.35 crore).	...	50.35	50.35
(ख) विशेष सुरक्षा दल के स्थापना संबंधी व्यय।	(b) establishment related expenditure of the Special Protection Group.	...	21.91	21.91
53 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	53 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
(क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की दर में वृद्धि के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of enhancement of the rate of Swatantrata Sainik Samman Pension.	...	50.00	50.00
(ख) जम्मू एवं कश्मीर में भूकम्प प्रभावित लोगों को राहत की वस्तुएं, आश्रय आदि प्रदान करने हेतु।	(b) For providing relief items, shelters, etc. to people affected by earthquake in Jammu and Kashmir.	...	30.00	30.00
(ग) पश्चिम बंगाल में प्रवासियों के पुनर्वास (2.11 करोड़ रुपए), (ii) जम्मू और कश्मीर में	(c) For reimbursement of State Government's expenditure incurred on (i) rehabilitation			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
भूकम्प प्रभावित लोगों को राहत की वस्तुएं, आश्रय आदि प्रदान करने (35.00 करोड़ रुपए) और (iii) अन्य पुनर्वास कार्यक्रम (32.24 करोड़ रुपए) (iv) 1984 के दंगों के शिकार लोगों को वृद्धित क्षतिपूर्ति (152.20 करोड़ रुपए) प्रदान करने पर हुए राज्य सरकार के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु।	of migrants in West Bengal (Rs. 2.11 crore), (ii) Providing relief items, shelters, etc. to people affected by earthquake in Jammu and Kashmir (Rs. 35.00 crore), (iii) Other Rehabilitation Programme (Rs. 32.24 crore) and (iv) Providing enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs. 152.20 crore).	...	203.16	203.16
54 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की अंतरण पुडुचेरी सरकार को केन्द्रीय बिक्रीकर संग्रहणों की प्रतिपूर्ति के संबंध में अनुदान प्रदान करने हेतु।	54 Transfers to Union Territory Governments For providing grant to the Government of Puducherry towards reimbursement of Central Sales Tax collections.	...	120.48	120.48
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
55 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग राष्ट्रीय बाल भवन के वृद्धित वेतन संघटक की पूर्ति हेतु।	55 Department of School Education and Literacy To meet increased salary component of National Bal Bhawan.	...	0.27	0.27
56 उच्च शिक्षा विभाग (क) (i) "केन्द्रीय विद्यालय संगठन" का स्थापना संबंधी व्यय (13.36 करोड़ रुपए), (ii) मॉडल स्कूलों की स्थापना" (नवोदय विद्यालय) योजना के तहत महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी वचनबद्ध देयता और रिक्त पदों को भरने संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (10.00 करोड़ रुपए), (iii) तिब्बती शरणार्थी बच्चों (तिब्बती स्कूल समाज) को शैक्षिक सुविधाएं योजना के तहत पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि, वेतन और भत्ते और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.30 करोड़ रुपए)। (iv) "शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार" योजना के तहत अतिरिक्त व्यय (0.30 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु तथा (v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वृद्धित महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ की अतिरिक्त देयता, संपत्ति कर/बिजली/टेलिफोन प्रभार आदि संबंधी वचनबद्ध देयता और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन संबंधी पदों की भर्ती, भवनों की प्रमुख मरम्मत, मेडिकल कालेज और एसपीएम गवर्मेन्ट डिग्री कालेज के लिए नई पेंशन योजना और प्रावधान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (100.00 करोड़ रुपए)।	56 Department of Higher Education (a) For additional requirement (i) for "Kendriya Vidyalaya Sangathan" on establishment related expenditure (Rs.13.36 crore), (ii) under the scheme "Setting up of Model Schools" (Navodaya Vidyalayas) for meeting expenditure on DA, committed liability towards retirement benefits and filling up of vacant posts (Rs.10.00 crore), (iii) under the scheme "Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society)" for meeting the expenditure towards increase in number of pensioners, pay & allowances and other establishment related costs (Rs.0.30 crore), (iv) To meet additional expenditure under the scheme "National Award to teachers". (Rs.0.30 crore), and (v) Additional requirement for University Grants Commission to meet the enhanced DA, additional liability of retirement benefits, committed liability on account of property tax/ electricity/water charges, etc, and in Central Universities for filling up of teaching posts, major repairs of buildings, New Pension Scheme and provision for Medical College and S.P.M. Government Degree College (Rs. 100.00 crore).	...	123.96	123.96
(ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को संकाय सदस्यों की भर्ती, पेंशन भुगतान वर्धित महंगाई भत्ता, बिजली, पानी और टेलिफोन बिल, स्थापना प्रभारों में वृद्धि के संबंध में (21.82 करोड़ रुपए)।	(b) For National Institutes of Technology towards recruitment of faculty, payment of pension, enhanced DA, electricity, water and telephone bills, increase in establishment charges (Rs.21.82 crore).	...	9.71	9.71

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
59 श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के संबंध में अंशदान के सरकारी हिस्से के लिए।	59 Ministry of Labour and Employment For Government share of contribution towards Employees' Pension Scheme, 1995.	...	500.00	500.00
कानून और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
60 चुनाव आयोग चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय और साथ ही आयोग की वेबसाइट के रखरखाव और राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण के व्यय हेतु।	60 Election Commission For additional establishment related expenditure of the Election Commission and the Delimitation Commission and also the expenditure for maintenance of the Commission's website and National Voters Awareness Campaign/Training.	...	1.36	1.36
62 भारत का उच्चतम न्यायालय न्यायालय में क्लोज सर्किट टेलिविजन (सीसीटीवी) और अन्य सुरक्षा संबंधी उपकरणों के संबंध में अतिरिक्त व्यय और स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय के लिए।	62 Supreme Court of India For meeting additional expenditure towards Close Circuit Television (CCTV) and other security related equipments in the Court and for additional establishment related expenditure.	...	8.73	8.73
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
63 खान मंत्रालय (क) कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों को अंतरिम भुगतान के लिए।	63 Ministry of Mines (a) For making interim payment to the employees of Bharat Gold Mines Limited in compliance of the High Court of Karnataka's orders.	...	4.65	4.65
(ख) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों को विशेष टर्मिनल लाभ पैकेज (67.80 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन हेतु।	(b) For implementation of Special Terminal Benefit Package (Rs. 67.80 crore) to the employees of Bharat Gold Mines Limited.	...	19.86	19.86
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
75 राज्य सभा स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	75 Rajya Sabha For meeting additional establishment related expenditure.	...	1.11	1.11
76 संघ लोक सेवा आयोग स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से विज्ञापन संबंधी व्यय सहित आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं और किए गए चयनों के संबंध में व्यय के लिए।	76 Union Public Service Commission For additional establishment related expenditure and also the expenditure in connection with examinations conducted by the Commission and selections made by it including expenditure on advertisement through Directorate of Advertisement and Visual Publicity (DAVP).	...	4.50	4.50
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
78 ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु।	78 Department of Rural Development For meeting administrative expenditure of National Institute of Rural Development.	...	0.16	0.16
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
89 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	89 Ministry of Statistics and Programme Implementation For meeting additional establishment related expenditure of National Sample Survey Organisation and Indian Statistical Institute, Kolkata.	...	12.61	12.61

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
90 इस्पात मंत्रालय	90 Ministry of Steel			
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड को इसकी बकाया आयकर देयताओं के निष्पादन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	For providing grants-in-aid to Hindustan Steelworks Construction Limited for discharge of its outstanding income tax liabilities.	...	165.79	165.79
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE			
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र				
95 चंडीगढ़	95 Chandigarh			
(क) (i) न्यायालयों, पुलिस, स्कूल चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम के स्थापना संबंधी व्यय और (ii) पुलिस के संबंध में डीजल/पीओएल का खर्च।	(a) (i) Establishment related expenditure of Courts, police, schools, Chandigarh Transport Undertaking and (ii) Cost of Diesel/POL in respect of Police.	...	6.41	6.41
(ख) होमगार्डों के वेतनों की दर में वृद्धि।	(b) Enhancement in rate of wages of Home Guards.	...	1.60	1.60
(ग) गाँवों का सूक्ष्म नियोजन और विकास।	(c) Micro planning and development of villages.	4.00	...	4.00
(घ) बिजली की खरीद।	(d) Purchase of power.	...	3.20	3.20
(ङ) मध्याह्न भोजन योजना के तहत क्षेत्र का विस्तार।	(e) Expanding coverage under the Mid-day Meal Scheme.	2.00	...	2.00
(च) पंजाब-इंजीनियरिंग कॉलेज (मानित विश्वविद्यालय) में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना।	(f) Providing infrastructural facilities in the Punjab Engineering College (Deemed University).	1.00	...	1.00
(छ) दूसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगम, चंडीगढ़ को सहायता अनुदान में वृद्धि।	(g) Enhancement of grants-in-aid to Municipal Corporation, Chandigarh as per the recommendations of the 2nd Delhi Finance Commission.	...	36.62	36.62
(ज) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उन्नयन हेतु राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), सॉफ्ट दक्षताओं पर सी-प्रशिक्षण (सिटॉस) और चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम (सिट्रप) योजनाओं का कार्यान्वयन।	(h) Implementation of State Wide Area Network (SWAN), C-Training on Soft Skills (CTOSS) and Chandigarh Information Technology Reach Out Programme (CITROP) schemes for the upgradation of Information Technology Department.	1.00	...	1.00
(झ) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में आधारभूत संरचना का उन्नयन (2.00 करोड़ रुपए), कालेजों में चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करना और चंडीगढ़ कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त खंड का निर्माण (2.00 करोड़ रुपए)। शहर में बाल गृह, आंगनवाड़ी और शिशु गृह के भवनों का निर्माण पूरा करना (0.34 करोड़ रुपए), क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर 16 और हॉकी स्टेडियम, सेक्टर 42 चंडीगढ़ में आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन (2.80 करोड़ रुपए), नई एसी/वाल्वो बसों की खरीद सहित 74 बसों को बदलना (9.00 करोड़ रुपए), सरकारी आवासों के चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करना (5.00 करोड़ रुपए) और कूड़ा बीनने वालों के पुनर्वास के लिए राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी पार्क में उद्यमी विकास केन्द्र का विकास और रिकशाचालकों को मार्ग आश्रय प्रदान करना (4.20 करोड़ रुपए)।	(i) Upgradation of infrastructure in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh (Rs. 2.00 crore), Completion of ongoing works in colleges and construction of additional block of Chandigarh College of Engineering and Technology (Rs. 2.00 crore), Completion of the building of Juvenile Home, anganwadis and creches in the city (Rs. 0.34 crore), Upgrading the infrastructural facilities in the Cricket Stadium, Sector 16 and Hockey Stadium Sector 42, Chandigarh (Rs. 2.80 crore), Replacement of 74 buses including purchase of new AC/Volvo buses (Rs. 9.00 crore), Completion of ongoing construction work of Government houses (Rs. 5.00 crore) and Development of Entrepreneur Development Centre (E.D.C) at Rajiv Gandhi Technology Park for rehabilitation of rag pickers and providing transit shelters to rickshaw pullers (Rs. 4.20 crore).	3.51	...	3.51

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
96 दादरा और नगर हवेली	96 Dadra and Nagar Haveli			
(क) भारतीय आरक्षी बटालियन और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का स्थापना व्यय।	(a) Establishment expenditure of India Reserve Battalion and of the Union Territory administration.	...	0.34	0.34
(ख) उच्चतर वेतनमानों की स्वीकृति के कारण प्रथमिक स्कूल शिक्षकों और प्राचार्यों को वेतन और भत्तों के बकायों का भुगतान।	(b) Payment of arrears of pay and allowances to primary school teachers and headmasters on account of grant of higher pay scales.	...	0.66	0.66
97 दमन और दीव	97 Daman and Diu			
दमनगंगा पुल के ध्वस्त हो जाने के कारण स्कूली बच्चों और आम जनता के लिए बस सेवाओं, ड्राइवरो और निजी सुरक्षा कर्मियों के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure in respect of bus services, divers and private security personnel for school going children and general public due to collapse of Damanganga Bridge.	...	0.70	0.70
98 लक्षद्वीप	98 Lakshadweep			
(क) पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित स्टाफ के वेतन और भत्ते।	(a) Pay and allowances of the staff transferred to Panchayati Raj Institutions.	...	0.15	0.15
(ख) दवाइयों, टीकों और उपकरणों, कुक्कुट आहार और कुक्कुट उपकरणों की कीमतों में वृद्धि।	(b) Escalation in cost of medicines, vaccines and equipment, poultry feed and poultry equipment.	...	0.23	0.23
(ग) हाई स्पीड डीजल की खरीद, तेल भंडारण हेतु टंकी का निर्माण प्रभार, मजदूरी का भुगतान, मालदुलाई भाड़ा आदि।	(c) Procurement of high speed diesel oil, fabrication charges of oil storage tank, payment of wages, freight charges, etc.	...	2.08	2.08
(घ) पंचायत भवन की निर्माण लागत और ग्रामीण क्षेत्रों आदि में स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान।	(d) Construction cost of panchayat bhawan building and provision of sanitation and public health facilities in rural areas, etc.	...	0.12	0.12
(ङ) बिजली उत्पादन यूनिटों की स्थापना संबंधी व्यय और अन्य आवश्यकताओं का संवर्धन (9.65 करोड़ रुपए)।	(e) Establishment related expenditure and augmenting other requirement of power generating units (Rs. 9.65 crore).	...	8.65	8.65
(च) शैक्षणिक संस्थानों के संस्था से जुड़े खर्च, वजीफा/एकमुश्त अनुदान/होस्टल सहायता राशि आदि, मैनेलैंड में उच्चतर अध्ययन के लिए प्रवर्तित किए गए अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों को भुगतान करना; मत्स्य प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए लगाए गए नौकाओं के प्रभार और प्राथमिक शिक्षा तथा अन्य विभाग जो पंचायती राज संस्थानों को स्थानांतरित कर दिए गए हैं, के अंतर्गत शिक्षकों को वेतन और भत्ते का भुगतान।	(f) Establishment related expenditure of educational institutions, payment of scholarship/lump sum grant/hostel subsidy, etc to Scheduled Tribes students sponsored for higher studies in mainland; charges of boats deployed for practical training in fisheries technology, and pay and allowances of teachers under elementary education and other departments transferred to panchayati raj institutions.	...	3.86	3.86
(छ) गांवों और लघु उद्योगों का स्थापना संबंधी व्यय।	(g) Establishment related expenditure of village and small industries.	...	0.43	0.43
(ज) पत्तनों, लाइटहाउसों के स्थापना संबंधी खर्च और जहाजी कुली/नौबंदन तथा ठेकेदारों के मजदूर प्रभारों का भुगतान।	(h) Establishment related expenditure of ports, lighthouses and payment of stevedoring/mooring and labour charges to contractors.	...	1.15	1.15
(झ) भारतीय पोत निगम द्वारा जहाजों/बार्जेज की चालू लागत और रख-रखाव।	(i) Cost of running and maintenance of ships/barges by Shipping Corporation of India.	...	19.16	19.16
(ञ) सरकारी मुद्रणालयों की स्थापना संबंधी खर्च।	(j) Establishment related expenditure of Government presses.	...	0.13	0.13
(ट) लोक निर्माण विभाग की स्थापना संबंधी खर्च और विभिन्न कार्यालय भवनों के रख रखाव/मरम्मत कार्य (1.20 करोड़ रुपए)।	(k) Establishment related expenditure of Public Works Department and maintenance/ repairs of various office buildings (Rs. 1.20 crore).	...	0.20	0.20

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(उ) शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालय भवनों के रख रखाव और मरम्मत कार्य की लागत।	(l) Cost of maintenance and repairs of various office buildings of the education department.	...	0.25	0.25
(ड) सरकारी आवासीय भवनों के रखरखाव और मरम्मत कार्य की लागत।	(m) Cost of maintenance and repairs of Government residential buildings.	...	0.37	0.37
(ढ) नागरिक विमानन संस्थापनाओं का रखरखाव।	(n) Maintenance of Civil Aviation installations.	...	0.08	0.08
(ण) पर्यटन विभाग के कार्यपालक हट का आधुनिकीकरण।	(o) Modernisation of Executive Huts for Tourism department.	...	0.16	0.16
(त) सौर फोटो वोल्टीय विद्युत परियोजना की स्थापना।	(p) Installation of Solar Photo voltaic Power Project.	...	0.40	0.40
(थ) हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए पवनहंस कारपोरेशन को अदायगियां।	(q) Payments to M/s Pawan Hans Corporation Limited for helicopter services.	...	2.59	2.59
(न) अतिरिक्त कलपुर्जे प्राप्त करना, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय समायोजना आदि और मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. में निर्माणाधीन जहाज की बढ़ी हुई लागत वहन करने के लिए।	(r) Procurement of spare parts, DGS&D adjustment, etc. and meeting escalation in the cost of ship under construction at M/s Hindustan Shipyard Limited.	5.62	...	5.62
(प) विभिन्न द्वीप समूहों में विद्यालय भवनों की निर्माण लागत।	(s) Construction cost of school buildings in various Islands.	0.24	...	0.24
(फ) सरकारी आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।	(t) Construction of Government residential quarters.	0.75	...	0.75
(ब) मात्स्यिकी विभाग के लिए कार्यशाला भवन का निर्माण।	(u) Construction of workshop building for fisheries department.	0.10	...	0.10
(भ) मिनीकाय में हस्त शिल्प भवन का निर्माण।	(v) Construction of handicraft building at Minicoy.	0.10	...	0.10
(म) कावारत्ती द्वीप समूहों में तारामंडल का निर्माण।	(w) Construction of planetarium at Kavaratti Islands.	0.49	...	0.49
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
99 शहरी विकास विभाग	99 Department of Urban Development			
(क) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय के लिए।	(a) For additional establishment related expenditure.	...	0.95	0.95
(ख) ट्रांजिट आवास भाड़े पर लेने के लिए बकाया का भुगतान (49.25 करोड़)।	(b) For payment of arrears on hiring of transit accommodation (Rs.49.25 crore).	...	22.54	22.54
(ग) विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवासों के पुनर्विकास कार्य के लिए अतिरिक्त आवश्यकता।	(c) For additional requirement for redevelopment work of the residential accommodation for Officers/Staff of various Departments.	...	12.42	12.42
कुल रोकड़ व्यय	Total Cash Outgo	702.37	18,020.61	18,722.98

3. इस पूरक अनुदान मांगों के इस बैच में 367612.94 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोजनों के प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तदनरूपी बचतों द्वारा की जाती है।

3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs. 367612.94 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

तकनीकी पूरक अनुदान मांगें
कृषि मंत्रालय

1 कृषि और सहकारिता विभाग

स्कीमों पर अतिरिक्त व्यय के लिए (i) कृषि आर्थिक नीति और विकास के लिए निविष्टियों संबंधी अध्ययन (3.46 करोड़ रुपए), (ii) एकीकृत आयलसीड/ऑयल पाम/दालों और मक्का विकास (आईएसओपीओएम) (12.00 करोड़ रुपए) (iii)

Technical Supplementary Demands for Grants
MINISTRY OF AGRICULTURE

1 Department of Agriculture and Cooperation

To meet additional expenditure on the schemes of: (i) Studies on Inputs for Agricultural Economic Policy and Development (Rs. 3.46 crore), (ii) Integrated

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करना। (मैक्रो प्रबंधन) (11.20 करोड़ रुपए) और (iv) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) के कार्यान्वयन के लिए भारत की कृषि बीमा को भुगतान के लिए (135.37 करोड़ रुपए)।	Oilseed/Oil Palm/Pulses and Maize Development (ISOPOM) (Rs. 12.00 crore), (iii) Supplementation/Complementation of States' Efforts Through Work Plan (Macro-Management) (Rs. 11.20 crore), and (iv) for payment to Agriculture Insurance Company of India (AIC) for implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) (Rs. 135.37 crore).	10.00	...	10.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7. रसायन और पेट्रोसायन विभाग आवश्यक लेखा संबंधी संयोजन करने के लिए अर्थात् (i) आयोजना ऋण को समाप्त करना (81.67 करोड़) और आयोजना ऋण पर ब्याज (177.76 करोड़ रुपए) 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार, हिन्दुस्तान एंटी बायोटिक लि. (एचएएल) (ii) हिन्दुस्तान एनसेक्टिसाइड लि. (एचआईएल) के संबंध में 31-3-2006 की स्थिति के अनुसार आयोजना ऋण (66.40 करोड़ रुपए) आयोजना ऋण पर ब्याज (126.69 करोड़ रुपए) और (iii) बंगाल वेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीपीसीएल) के संबंध में दिनांक 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार आयोजना और आयोजना भिन्न ऋण समाप्त करना (71.70 करोड़ रुपए) और आयोजना और आयोजना भिन्न ऋण पर ब्याज (161.71 करोड़ रुपए)।	7 Department of Chemicals and Petrochemicals For carrying out necessary accounting adjustment viz., (i) waiver of Plan loan (Rs. 81.67 crore) and interest on Plan Loan (Rs. 177.76 crore) as on 31.3.2005 in respect of Hindustan Antibiotics Limited (HAL), (ii) waiver of Plan loan (Rs. 66.40 crore) and interest on Plan Loan (Rs. 126.69 crore) as on 31.3.2006 in respect of Hindustan Insecticides Limited (HIL), and (iii) waiver of Plan and Non Plan loan (Rs. 71.70 crore) and interest on Plan and Non Plan Loan (Rs. 161.71 crore) as on 31.3.2005 in respect of Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited (BPCL).	...	685.93	685.93
8. उर्वरक विभाग उर्वरक और रसायन ट्रावन्कोर लि. के संबंध में बकाया ऋण पर दंडात्मक ब्याज।	8 Department of Fertilisers For write-off of penal interest on outstanding loan in respect of Fertilisers and Chemicals Travancore Limited.	...	33.79	33.79
नागरिक विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागरिक विमानन मंत्रालय हज चार्टर्स के संचालन के लिए एयर इंडिया को प्रतिपूर्ति की अदायगी।	9 Ministry of Civil Aviation For payment of compensation to Air India towards operation of Haj Charters.	...	25.91	25.91
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग (क) मानित निर्यातों पर शुल्क वापसी के लंबित दावों के निपटान के लिए और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के केन्द्रीय बिक्रीकर की वापसी (469.35 करोड़ रुपए) के लिए।	11 Department of Commerce For (a) settlement of pending claims of 'Duty Drawback on Deemed Exports' and reimbursement of 'Central Sales Tax' for Special Economic Zones (Rs. 469.35 crore).	...	72.00	72.00
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13. डाक विभाग (क) विभागीय डाक मोटर सेवा के तहत कोर्ट डिक्रियों से उद्भूत होने वाली अदायगियों के लिए। (ख) 'विभागीय उप-कार्यालयों' 'मुख्य उत्पादों के प्रोत्साहन, 'प्रशिक्षण', 'हेरिटेज भवन के संरक्षण', स्कीमों के लिए अतिरिक्त व्यय वहन करने हेतु।	13 Department of Posts (a) For meeting payment arising out of court decrees under departmental mail motor service. (b) For meeting additional expenditure towards the schemes 'Departmental Sub Offices', 'Promotion of Premium Products', 'Training', 'Preservation of Heritage Building'.	...	0.15	0.15
		8.62	...	8.62

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए मुख्यतः वेतन/मजदूरी रेलवे और एयर मेल कैरियर को देय ढुलाई प्रभार, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और अधिवर्षिता और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के लिए।	(c) For meeting additional expenditure, mainly towards salaries/wages, haulage charges payable to Railways and air mail carriers, rural Postal Life Insurance and Superannuation and other retirement benefits.	...	356.47	356.47
(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए अतिरिक्त व्यय वहन करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards development of North Eastern Region and Sikkim.	0.15	...	0.15
14. दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) द्वारा अवार्ड के कारण उद्भूत ब्याज की अदायगी के लिए।	(a) For payment of interest arising out of an award by Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT).	...	0.04	0.04
(ख) दूरसंचार विभाग के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन लाभों की अदायगी के लिए (60.59 करोड़ रुपए)।	(b) For payment of pensionary benefits to the erstwhile employees of Department of Telecommunications (Rs. 60.59 crore).	...	49.36	49.36
15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	15 Department of Information Technology			
भवन निर्माण के मानकीकरण, परीक्षण और कोटि नियंत्रण के तहत (3.00 करोड़ रुपए) और मशीनरी और उपकरण (1.40 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	For meeting additional requirement under Standardisation, Testing and Quality Control Programme for construction of building (Rs. 3.00 crore) and for machinery and equipment (Rs. 1.40 crore).	4.40	...	4.40
कंपनी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS			
16 कंपनी कार्य मंत्रालय	16 Ministry of Company Affairs			
बंगलोर और चैन्नई में निर्मित कार्यालय स्थान की खरीद और जयपुर, कटक और चंडीगढ़ में कार्यालय परिसरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय।	For additional expenditure on purchase of built up office space at Bangalore and Chennai and construction of office complexes at Jaipur, Cuttack and Chandigarh.	...	26.80	26.80
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
22 रक्षा सेवाएं - थल सेना	22 Defence Services - Army			
अदालत डिक्रियों के कारण उद्भूत अतिरिक्त व्यय वहन करने के लिए।	For meeting additional expenditure arising out of Court decrees.	...	3.59	3.59
23 रक्षा सेवाएं-नौसेना	23 Defence Services - Navy			
'वेतन', 'परिवहन' और सुनामी पश्चात किए गए प्रचालनात्मक और रख रखाव कार्यों के प्रति अतिरिक्त व्यय वहन करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards 'salaries', 'transportation' and on operational and maintenance works carried out post Tsunami.	...	98.86	98.86
24. रक्षा सेवाएं-वायु सेना	24 Defence Services - Air Force			
'वेतन' के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए।	For meeting additional expenditure under 'salaries'.	...	34.46	34.46
25. रक्षा आयुध कारखाने	25 Defence Ordnance Factories			
अदालत डिक्रियों के कारण उद्भूत होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए।	For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	...	3.00	3.00
26. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान और विकास	26 Defence Services - Research and Development			
विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में अनुसंधान/अनुसंधान विकास के तहत अतिरिक्त वहन करने के लिए।	For meeting additional expenditure under 'Research/Research Development' on various projects.	...	10.68	10.68
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
29. पर्यावरण और वन मंत्रालय	29 Ministry of Environment and Forests			
(क) शोध क्रियाकलापों और स्थापना व्यय के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् (1.50 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान पार्क में पशुओं को चारा देने के लिए (0.01 करोड़ रुपए)।	(a) (i) Indian Council of Forestry Research and Education for undertaking research activities and establishment expenditure (Rs. 1.50 crore), (ii) providing feed to animals at National Zoological Park (Rs. 0.01 crore).	...	1.22	1.22

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) अन्तराष्ट्रीय निकायों को अंशदान की अदायगी के लिए।	(b) payment of contribution to international bodies.	...	0.80	0.80
(ग) (i) विभिन्न कोर्ट मामलों के निपटान हेतु नए नियुक्त विधिक सहायकों की व्यावसायिक सेवाओं पर व्यय के लिए (0.04 करोड़ रुपए) (ii) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि के लिए (0.95 करोड़ रुपए)।	(c) (i) For expenditure on professional services of newly appointed Legal Assistants for disposing of court cases (Rs. 0.04 crore), (ii) increase in establishment related expenditure (Rs. 0.95 crore).	...	0.99	0.99
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31. आर्थिक कार्य विभाग	31 Department of Economic Affairs			
1991 में कम्बोडिया सरकार को प्रदान की गई ऋण श्रृंखला के संबंध में बकाया समाप्त करने के लिए।	Waiver of outstanding dues in respect of line of credit extended to Government of Cambodia in 1991.	...	2.91	2.91
32. करेंसी सिक्का निर्माण और स्टाम्प	32 Currency, Coinage and Stamps			
प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमआईएल) से सिक्के खरीदने के लिए।	For purchase of coins from Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMIL)	...	96.37	96.37
35. राज्यों और संघ क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	35 Transfers to State and Union Territory Governments			
(क) तीव्र प्रकृति की आपदाओं के लिए राज्यों को सहायता के लिए।	(a) For assistance to States for calamities of severe nature.	...	500.00	500.00
(ख) (i) 12 वें वित्त आयोग अवार्ड के तहत ऋण समाप्त करने की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों के ऋण बट्टे खाते में डालने के लिए (4617.10 करोड़ रुपए)। (ii) आम ऋण राहत योजना के तहत गुजरात का ऋण समापन (58.29 करोड़ रुपए) और उग्रवाद की अवधि के दौरान आतंकवाद से निपटने के लिए पंजाब को दिए गए ऋण और उस पर उद्भूत ब्याज को समाप्त करना (3772.00 करोड़ रुपए)।	(b) (i) Write off of loans to the State Governments under Debt Waiver Scheme under the 12th Finance Commission Award (Rs. 4617.10 crore), (ii) Debt waiver to Gujarat under the General Debt Relief Scheme (Rs. 58.29 crore) and waiver of loan and accrued interest given to Punjab for combating terrorism during the period of militancy (Rs. 3772.00 crore).	...	8,447.39	8,447.39
(ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत ऋण भाग उपलब्ध कराना।	(c) To provide loan component under Externally Aided Projects.	700.00	...	700.00
37. ऋण की अदायगी	37 Repayment of Debt			
(क) सामान्य बाजार उधार के तहत 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (389311.00 करोड़ रुपए) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (36915.00 करोड़ रुपए) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (4192.00 करोड़ रुपए) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (1159.00 करोड़ रुपए) के निपटान के लिए, अफ्रीकी विकास निधि (1.46 करोड़ रुपए) अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (795.97 करोड़), 10% राहत बांड 1993 (0.12 करोड़ रुपए), 8.50% राहत बांड, 2001 (533.93 करोड़ रुपए)।	(a) Towards discharge of 14 day Treasury Bills (Rs. 389311.00 crore), 91 day Treasury Bills (Rs. 36915.00 crore), 182 day Treasury Bills (Rs. 4192.00 crore), 364 day Treasury Bills (Rs. 1159.00 crore) under normal market borrowings, African Development Fund (Rs. 1.46 crore), International Monetary Fund (Rs. 795.97 crore), 10% Relief Bonds, 1993 (Rs. 0.12 crore), 8.50% Relief Bonds, 2001 (Rs. 533.93 crore).	...	349,400.94	349,400.94
(ख) विदेशी ऋण की अदायगी के लिए।	(b) Towards repayment of external debt.	...	180.50	180.50
42. प्रत्यक्ष कर	42 Direct Taxes			
आयकर विभाग और प्रचार अभियान आदि के संबंध में स्थापना से संबंधित अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional establishment related expenditure in respect of Income Tax Department and for publicity campaign, etc.	...	17.70	17.70
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45 Ministry of Food Processing Industries			
(क) कुंडली, हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उधमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के लिए भूमि की खरीद।	(a) Purchase of land for setting up of National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management at Kundli, Haryana.	15.00	...	15.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम के लाभ के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान में वृद्धि हेतु।	(b) For augmentation of the provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	1.80	...	1.80
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
(i) डा. आरएमएल अस्पताल में सिविल और विद्युत कार्य जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने हैं, के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (1.35 करोड़ रुपए) (ii) वर्द्धमान महावीर मेडिकल कालेज (वीएमएमसी) के कालेज भवन/पुस्तकालय निर्माण (10.00 करोड़ रुपए) और (iii) डा.आर.एम.एल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में स्नातकोत्तर संस्थान के भवन निर्माण के लिए (14.00 करोड़ रुपए)।	For (i) additional requirement for civil and electrical works in Dr. R M L Hospital, to be executed by CPWD (Rs. 1.35 crore), (ii) construction of college building/library of Vardhman Mahaveer Medical College (VMMC) (Rs. 10.00 crore) and (iii) for construction of postgraduate institute building at Dr. R M L Post Graduate Institute of Medical Education and Research, New Delhi (Rs. 14.00 crore).	25.35	...	25.35
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
48. भारी उद्योग विभाग	48 Department of Heavy Industry			
(क) आवश्यक लेखा समायोजनों के लिए अर्थात् (i) ऋण बट्टे खाते में डालना (102.75 करोड़ रुपए) भारत पंप और कम्प्रेसर लि. के संबंध में 31-3-2006 की स्थिति के अनुसार बकाया ब्याज समाप्त करना (50.40 करोड़ रुपए) और पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमिटेड के संबंध में दिनांक 31-3-2006 की स्थिति के अनुसार ब्याज माफ करना (35.16 करोड़ रुपए)।	(a) For carrying out necessary accounting adjustments viz., (i) write off of loan (Rs. 102.75 crore) and waiver of interest (Rs. 50.40 crore) outstanding as on 31.3.2006 in respect of Bharat Pumps and Compressors Limited and (ii) waiver of interest as on 31.3.2006 in respect of HMT (Machine Tools) Limited, consequent upon restructuring (Rs. 35.16 crore).	...	188.31	188.31
(ख) एचएमटी लिमिटेड में निवेश के लिए (563.00 करोड़ रुपए) अर्थात् 3.5% तरजीही शेयर पूंजी (443.00 करोड़ रुपए) और पूंजीगत व्यय के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त इक्विटी (90.00 करोड़ रुपए), पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकीय अधिग्रहण और उन्नयन (20.00 करोड़ रुपए) व्यापार और पुनः प्रशिक्षण (10 करोड़ रुपए)।	(b) (i) For investment in HMT (Machine Tools) Limited (Rs. 563.00 crore) viz., 3.5% Preference Share Capital (Rs. 443.00 crore) and additional equity to be utilised for Capital expenditure (Rs. 90.00 crore), Technological acquisition and upgradation (Rs. 20.00 crore) and training and retraining (Rs. 10.00 crore) consequent upon restructuring.	19.50	...	19.50
(ग) (i) वीआरएस/वीएसएस के लिए एक मुश्त प्रावधान के तहत निधियों में वृद्धि और सांविधिक बकाया की अदायगी (47.00 करोड़ रुपए) और (ii) भारत पम्पस और कम्प्रेसर लिमिटेड से संबंधित सीआईएसएफ के बकाया के निपटान के लिए (3.37 करोड़ रुपए)।	(c) (i) For augmentation of funds under the lump sum provision for VRS/VSS and payment of statutory dues (Rs. 47.00 crore), and (ii) for settlement of CISF dues pertaining to Bharat Pumps and Compressors Limited (Rs. 3.37 crore).	...	50.37	50.37
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
50 गृह मंत्रालय	50 Ministry of Home Affairs			
निम्नलिखित पर व्यय के लिए:	For meeting expenditure on:			
(क) मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण मामले में प्रतिपूर्ति की अदायगी जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने आदेश दिया है।	(a) payment of compensation in Motor Accident Claims Tribunal case as awarded by the Hon'ble High Court of Delhi.	...	0.01	0.01
(ख) आसूचना ब्यूरो (14.75) और उत्प्रवास ब्यूरो (1.60 करोड़) का स्थापना संबंधी व्यय।	(b) establishment related expenditure of Intelligence Bureau (Rs. 14.75 crore) and Bureau of Immigration (Rs. 1.60 crore).	...	9.22	9.22

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
51 मंत्रिमंडल निम्नलिखित के लिए (क) मंत्रिपरिषद से संबंधित स्थापना व्यय (49.15 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की स्थापना संबंधी व्यय (1.35 करोड़ रुपए)।	51 Cabinet For meeting establishment related expenditure of the Council of Ministers (Rs. 49.15 crore) and establishment related expenditure of the National Security Council Secretariat (Rs. 1.35 crore).	...	0.15	0.15
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
55. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2006-07 के दौरान शिक्षा उपकर की अतिरिक्त संग्रहण को प्रारम्भिक शिक्षा कोष में अन्तर्गत करना।	55 Department of School Education and Literacy Transfer of additional collection of Education Cess of 2% during the year 2006-07 to Prarambhik Shiksha Kosh.	189.00	...	189.00
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
63. खान मंत्रालय भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों को विशेष टर्मिनल लाभ पैकेज के लिए (67.80 करोड़ रुपए)।	63 Ministry of Mines For implementation of Special Terminal Benefit Package (Rs. 67.80 crore) to the employees of Bharat Gold Mines Limited.	...	46.28	46.28
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
66. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (क) भारतीय उष्ण कटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे से संबंधित व्यय (11.20 करोड़ रुपए), नेशनल सेन्टर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग (9.75 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग (173.15 करोड़ रुपए) से संबंधित व्यय के लिए। (ख) निम्नलिखित से संबंधित व्यय के लिए, नेशनल सेन्टर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग (17.50 करोड़ रुपए) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (41.60 करोड़ रुपए)।	66 Ministry of Earth Sciences (a) For expenditure relating to Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune (Rs. 11.20 crore), National Centre for Medium Range Weather Forecasting (Rs. 9.75 crore) and Indian Meteorology Department (Rs. 173.15 crore). (b) For expenditure relating to National Centre for Medium Range Weather Forecasting (Rs.17.50 crore) and Indian Meteorology Department (Rs. 41.60 crore).	41.50 58.50	14.60 0.60	56.10 59.10
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
69. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के स्थापना व्यय के लिए। (ख) अखिल भारत सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम के लिए किए गए भुगतानों के प्रति राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति के लिए।	69 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (a) For establishment expenditure of Central Vigilance Commission. (b) For re-imbursement to State Governments against payments made towards House Building Advances to All India Service Officers.	0.47 2.00	0.47 2.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
70. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण वर्ष 2006-07 में अनुमानित अल्प वसूलियों के लिए तेल विपणन कम्पनियों को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए। (ख) ओएनजीसी द्वारा निर्गत बोनस शेयरों में अतिरिक्त इक्विटी निवेश।	70 Ministry of Petroleum and Natural Gas (a) For providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries in 2006-07 on account of sale of sensitive petroleum products. (b) Additional equity investment in the bonus shares issued by ONGC.	5,000.00 528.58	5,000.00 528.58

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नौवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
84. नौवहन विभाग	84 Department of Shipping			
(क) (i) कोलकाता पतन न्यास को अतिरिक्त, तलकषण आर्थिक सहायता (131.78 करोड़ रुपए) (ii) लघु पतनों को लघु निर्माण कार्यों/चिकित्सा व्ययों इत्यादि के लिए अतिरिक्त व्यय (0.53 करोड़ रुपए) तथा (iii) प्रकाश गृहों तथा लाईट शिप (डीजीएलएल) महानिदेशालय (4.59 करोड़ रुपए) तथा व्यावसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (2.07 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) additional dredging subsidy to Kolkata Port Trust (Rs. 131.78 crore), (ii) additional expenditure for minor works/medical expenses, etc. to Minor Ports (Rs. 0.53 crore) and (iii) transfer to General Reserve Fund by Directorate General of Light Houses and Light Ships (DGLL) (Rs. 4.59 crore) and to meet additional expenditure on professional services (Rs. 2.07 crore).	...	87.68	87.68
(ख) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के बकाया ऋणों को सहायता अनुदान में रूपांतरित करने के लिए।	(b) For conversion of outstanding loans against Central Inland Water Transport Corporation (CIWTC) into grants-in-aid.	...	18.00	18.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
87. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	87 Ministry of Social Justice and Empowerment			
(क) स्कैबेंजर्स की मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए।	(a) For implementation of Self employment scheme for liberation and rehabilitation of scavengers.	55.00	...	55.00
(ख) अनुसूचित जातियों के लिए पश्च-मैट्रिक छात्रवृत्तियों की योजना के लिए।	(b) For the scheme of post matric scholarships for Scheduled Castes.	5.50	...	5.50
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
90. इस्पात मंत्रालय	90 Ministry of Steel			
ब्याज को इक्विटी में रूपांतरित करने के लिए मेकन लि. के संबंध में लेखाकरण समायोजन करने के लिए।	For carrying out accounting adjustment in respect of MECON Limited for conversion of interest into equity.	1.72	...	1.72
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
91. कपड़ा मंत्रालय	91 Ministry of Textiles			
आवश्यक लेखा समायोजन करने के लिए अर्थात् जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के बकाया ऋण को बट्टे खाता डालना (196.58 करोड़ रुपए) तथा ब्याज माफी (313.07 करोड़ रुपए)।	For carrying out necessary accounting adjustments viz. write off of outstanding loan (Rs. 196.58 crore) and waiver of interest (Rs. 313.07 crore) of Jute Corporation of India Limited.	...	297.49	297.49
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
93. जनजातीय कार्य मंत्रालय	93 Ministry of Tribal Affairs			
(i) पश्च मैट्रिक छात्रवृत्तियां (32.00 करोड़ रुपए), (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (1.43 करोड़ रुपए) तथा (iii) अनुसंधान सूचना तथा जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न जनजातीय अनुसंधान संस्थाओं इत्यादि द्वारा किए गए अनुसंधान/प्रशिक्षण कार्यक्रमलाप (0.45 करोड़ रुपए) की योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता अनुदान।	For additional grants-in-aid to the State Governments under the schemes of (i) Post Matric Scholarships (Rs. 32.00 crore), (ii) Vocational Training Centres (Rs. 1.43 crore) and (iii) research/training activities undertaken by various Tribal Research Institutes, etc under Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and Other Schemes (Rs. 0.45 crore).	33.88	...	33.88
गृह मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS, UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
94. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	94 Andaman and Nicobar Islands			
(क) विद्युत के क्रय (28.00 करोड़ रुपए) तथा उच्च गति डीजल तेल (4.77 करोड़ रुपए)।	(a) For purchase of power (Rs. 28.00 crore) and cost of High Speed Diesel oil (Rs. 4.77 crore).	...	32.77	32.77

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की लागत के लिए भारतीय खाद्य निगम को भुगतान।	(b) For payment to Food Corporation of India Limited towards cost of food grain for Public Distribution System.	...	1.59	1.59
(ग) विद्यालयों को सहायतानुदान	(c) Grants-in-aid to schools.	...	0.10	0.10
(घ) सीमावर्ती क्षेत्र परियोजनाओं के लिए सहायतानुदान	(d) Grants-in-aid for Border Area Projects.	...	0.65	0.65
(ङ) भंडारों का क्रय	(e) For purchase of stores.	...	5.00	5.00
95. चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में अवसंरचना उन्नयन (2.00 करोड़ रुपए) महाविद्यालयों में चालू कार्यों की पूर्ति तथा चण्डीगढ़ इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अतिरिक्त खंड का निर्माण (2.00 करोड़ रुपए), शहर में किशोर सुधार गृह, आंगनवाड़ी तथा शिशुगृह के भवन की पूर्ति (0.34 करोड़ रुपए), क्रिकेट स्टेडियम, सेक्टर 16 तथा हॉकी स्टेडियम सेक्टर 42, चण्डीगढ़ में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन (2.80 करोड़ रुपए), नई एसी/बोल्वो बसों की खरीद सहित 74 बसों का प्रतिस्थापन (9.00 करोड़ रुपए), सरकारी गृहों के चालू निर्माण कार्य की पूर्ति (5.00 करोड़ रुपए) तथा कूड़ा बीनने वालों के पुनर्वास तथा रिक्शा चालकों को आश्रय स्थल उपलब्ध करने के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी पार्क में उद्यमी विकास केन्द्र का विकास (4.20 करोड़ रुपए)।	95 Chandigarh Upgradation of infrastructure in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh (Rs. 2.00 crore), Completion of ongoing works in colleges and construction of additional block of Chandigarh College of Engineering and Technology (Rs. 2.00 crore), Completion of the building of Juvenile Home, anganwadis and creches in the city (Rs. 0.34 crore), Upgrading the infrastructural facilities in the Cricket Stadium, Sector 16 and Hockey Stadium Sector 42, Chandigarh (Rs. 2.80 crore), Replacement of 74 buses including purchase of new AC/Volvo buses (Rs. 9.00 crore), Completion of ongoing construction work of Government houses (Rs. 5.00 crore) and Development of Entrepreneur Development Centre(E.D.C) at Rajiv Gandhi Technology Park for rehabilitation of rag pickers and providing transit shelters to rickshaw pullers (Rs. 4.20 crore).	21.83	...	21.83
97. दमन एवं दीव केन्द्रीय क्षेत्रक विद्युत केन्द्रों से अतिरिक्त विद्युत की खरीद।	97 Daman and Diu For purchase of additional power from Central Sector Power Stations.	...	50.00	50.00
98. लक्षद्वीप (क) विद्युत उत्पादन यूनिटों का स्थापना संबंधी व्यय तथा अन्य आवश्यकताओं का वर्धन (9.65 करोड़ रुपए)। (ख) भारतीय खाद्य निगम को चावल अधिप्राप्ति लागत अदा करना। (ग) लोक निर्माण कार्य विभाग का स्थापना संबंधी व्यय तथा विभिन्न कार्यालय भवनों का अनुसंधान/मरम्मत (1.20 करोड़ रुपए)।	98 Lakshadweep (a) Establishment related expenditure and augmenting other requirement of power generating units (Rs. 9.65 crore). (b) To pay rice procurement cost to the Food Corporation of India. (c) Establishment related expenditure of Public Works Department and maintenance/repairs of various office buildings (Rs. 1.20 crore).	...	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
शहरी विकास मंत्रालय 99. शहरी विकास विभाग अस्थायी आवास किराए पर लेने के लिए बकाया राशि का भुगतान (49.25 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 99 Department of Urban Development For payment of arrears on hiring of transit accommodation (Rs. 49.25 crore).	...	0.77	0.77
100. लोक निर्माण कार्य (क) नई दिल्ली में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के लिए नए भवन का निर्माण (5.00 करोड़ रुपए), (ii) हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, मीनामवक्कन, जलाहली तथा कालीकट में आयकर विभाग के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण (10.00 करोड़ रुपए), (iii) संसद पुस्तकालय भवन/संसद भवन सौंध में टी.वी. चैनल की संस्थापना (6.05 करोड़ रुपए) तथा (iv) सरकारी लेखा तथा वित्त संस्थान के लिए नई दिल्ली में नए भवन का निर्माण (0.50 करोड़ रुपए)।	100 Public Works (a) For additional expenditure (i) on construction of new building for the Office of Comptroller and Auditor General of India at New Delhi (Rs. 5.00 crore), (ii) construction of office complexes for Income Tax Department at Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata, Meenambakkam, Jalahalli, and Calicut (Rs. 10.00 crore), (iii) installation of TV Channel in Parliament Library Building/Parliament House Annexe (Rs. 6.05 crore) and (iv) construction			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ट्रामा केन्द्र स्थापित करने के लिए अतिरिक्त व्यय।	(b) For additional expenditure on setting up of Trauma Centre at Safdarjung Hospital, New Delhi.	1.96	...	1.96
(ग) मुम्बई में लवण आयुक्त के कार्यालय के चालू निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय।	(c) For additional expenditure for ongoing construction work of the Office of the Salt Commissioner at Mumbai.	0.40	...	0.40
(घ) देहरादून में भारत का सर्वेक्षण के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए।	(d) For construction of office building for Survey of India at Dehradun.	1.80	...	1.80
101. लेखा सामग्री तथा मुद्रण	101 Stationery and Printing			
भारत सरकार मुद्रणालयों के लिए कागज तथा अन्य उपभोग्य मदों की अधिप्राप्ति पर व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on procurement of paper and other consumable items for the Government of India Presses.	...	7.98	7.98
कुल तकनीकी	Total Technical	1,195.91	366,417.03	367,612.94

4. 1 लाख रुपए प्रत्येक का अनुपूरक अनुदान भी नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में लिया जाना प्रस्तावित है, जिसके समक्ष निर्दिष्ट व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के यथा मामला राजस्व या पूंजी भाग के भीतर बचतों के विनियोजन में की जाएगी।

4. Supplementary Grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें
कृषि मंत्रालय

1. कृषि एवं सहकारिता विभाग

(क) सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की पुनर्संरचित योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों को अतिरिक्त सहायतानुदान प्रदान करने के लिए (3.00 करोड़ रुपए) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहकारिताओं के विकास के लिए सहायता (21.00 करोड़ रुपए)।

(ख) सहकारिताओं के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अतिरिक्त सहायतानुदान उपलब्ध कराने के लिए।

3. पशु पालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी

(क) (i) राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत में प्रयोगशाला के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को सहायतानुदान (6.80 करोड़ रुपए), (ii) राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत के लिए उपकरणों के आयात पर सीमाशुल्क का भुगतान (2.00 करोड़ रुपए), (iii) नई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना 'एविअन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण एवं रोकथाम' पर व्यय की पूर्ति (10.00 करोड़ रुपए) तथा (iv) राष्ट्रीय पशु और भैंस प्रजनन परियोजना (23.30 करोड़ रुपए) के अंतर्गत दुधारु पशु, बछड़ा पालन कार्यक्रम, पशु भैंस फीड और चारा आपूर्ति कार्यक्रम शामिल करने हेतु कृषक जनसंख्या को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान।

Token Supplementary Demands for Grants
MINISTRY OF AGRICULTURE

1 Department of Agriculture and Cooperation

(a) For providing additional grants-in-aid to implementing agencies under the restructured scheme of Cooperative Education and Training (Rs. 3.00 crore) and assistance to National Cooperative Development Corporation (NCDC) for development of Cooperatives (Rs. 21.00 crore).

24.00 ... 24.00

(b) For providing additional grants-in-aid to National Cooperative Development Corporation (NCDC) for development of Cooperatives .

4.00 ... 4.00

3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries

(a) For (i) grants-in-aid to Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation for construction of a laboratory at the National Institute of Animal Health, Bagpat (Rs. 6.80 crore), (ii) payment of customs duty on import of equipments for the National Institute of Animal Health, Bagpat (Rs. 2.00 crore), (iii) meeting expenditure on the implementation of a new Externally Aided Project "Preparedness, Control and Containment of Avian Influenza" (Rs. 10.00 crore) and (iv) grants-in-aid to State Implementing Agencies for providing economic relief to farming population for induction of high

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) एविअन फ्लू की बीमारी फैलने के पश्चात कुक्कुट उद्योग को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कुक्कुट पालक किसानों पर बकाया मूलधन राशि पर एक वर्ष की अवधि के लिए 4 प्रतिशत की एकबारगी ब्याज सहायता संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	yielding milch animals, calf rearing programme, cattle buffalo breeding and feed and fodder supply programme under the National Project for Cattle and Buffalo Breeding (Rs. 23.30 crore). (b) For meeting additional expenditure on one time interest subvention of 4% for a period of one year on principal amount outstanding against poultry farmers as on 31.3.2006 to provide financial relief to the poultry industry following the outbreak of Avian Flu.	42.10	...	42.10
(ग) गहन डेयरी विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न दुग्ध संघों/परिसंघों को सहायतानुदान।	(c) For grants-in-aid to different milk unions/federations for implementation of Intensive Dairy Development Programme.	...	27.00	27.00
		10.50	...	10.50
परमाणु ऊर्जा विभाग				
5. परमाणु ऊर्जा				
(क) निम्न को अतिरिक्त सहायतानुदान: (i) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को दसवीं पंचवर्षीय आयोजना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए (7.75 करोड़ रुपए), (ii) विकिरण चिकित्सा केन्द्रों तथा कैंसर अस्पतालों की सहायता के लिए अनुसंधान संस्थाएं/सोसाइटियां तथा गैर सरकारी संस्थाओं को "विश्वविद्यालयों को सहायता" के अंतर्गत (1.00 करोड़ रुपए) तथा (iii) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंस, चेन्नई को कम्प्यूटर प्रणाली तथा पुस्तकालय के लिए (0.37 करोड़ रुपए)।	(a) For additional grants-in-aid to (i) Tata Institute of Fundamental Research for completion of Tenth Five Year Plan projects (Rs. 7.75 crore), (ii) research institutions/societies and non-government institutions to support radiation medicine centres and cancer hospitals under 'Assistance to Universities' (Rs. 1.00 crore) and (iii) Institute of Mathematical Sciences, Chennai for computer system and library upgradation (Rs. 0.37 crore).	9.12	...	9.12
(ख) निम्न को अनुसंधान व्यय के लिए अतिरिक्त सहायतानुदान (i) हरीशचन्द्र अनुसंधान संस्थान (0.39 करोड़ रुपए) तथा (ii) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर (0.40 करोड़ रुपए)।	(b) For additional grants-in-aid to (i) Harish Chandra Research Institute (Rs. 0.39 crore) and (ii) Institute of Plasma Research, Gandhinagar (Rs. 0.40 crore) for maintenance expenditure.	...	0.79	0.79
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय				
7. रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग				
लेखाकार समायोजन करने के लिए अर्थात् हिन्दुस्तान इंसेक्टोसाइड्स लि. के संबंध में भारत सरकार ऋण को इक्विटी में रूपांतरित करने के लिए।	For carrying out accounting adjustments, viz. conversion of Government of India loan into equity in respect of Hindustan Insecticides Limited.	31.55	...	31.55
कोयला मंत्रालय				
10. कोयला मंत्रालय				
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत निधियों का वर्धन।	For augmentation of funds under the lump sum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	13.13	...	13.13
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय				
11. वाणिज्य विभाग				
विशेष प्रयोजन चाय निधि को पूंजी अंशदान।	For capital contribution to 'Special Purpose Tea Fund'.	30.00	...	30.00
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
13. डाक विभाग				
डाक मोटर वाहनों के आधुनिकीकरण के लिए।	For modernisation of mail motor vehicles.	...	3.00	3.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चालू परियोजना तथा अनुमोदित परियोजनाओं की अतिरिक्त अपेक्षाओं के लिए (क) सामरिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विकास के अंतर्गत (11.00 करोड़ रुपए) तथा (ख) मडिया लैब एशिया के अंतर्गत (10.00 करोड़ रुपए)।	15 Department of Information Technology For on-going projects and additional requirements of approved projects (a) under Development of Strategic Electronic Equipment (Rs. 11.00 crore) and (b) under Media Lab Asia (Rs. 10.00 crore).	21.00	...	21.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 18. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 18 Department of Food and Public Distribution			
(क) (i) चीनी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण के लिए चीनी कारखानों को अतिरिक्त सब्सिडी (30.00 करोड़ रुपए) तथा (ii) गन्ना विकास संबंधी अनुसंधान परियोजनाओं संबंधी कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं को सहायतानुदान (0.90 करोड़ रुपए)।	(a) (i) Additional subsidy to sugar factories for maintenance of buffer stock of sugar (Rs. 30.00 crore) and (ii) Grants-in-aid to various institutions dealing with research projects on sugarcane development (Rs. 0.90 crore).	...	30.90	30.90
(ख) बैग्रेस आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजना के लिए चीनी कारखानों को अतिरिक्त ऋण।	(b) Additional loans to sugar factories for bagasse based co-generation power project.	...	11.76	11.76
संस्कृति मंत्रालय 19. संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE 19 Ministry of Culture			
(क) भारतीय तथा विदेशी थिएटर समूहों द्वारा 9वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन करने के लिए नेशनल स्कूल आफ ड्रामा को सहायतानुदान, कोलकाता में द्वितीय उपग्रह समारोह तथा दिल्ली एवं कोलकाता में साशा वाल्ट्ज नाटक का निर्माण।	(a) Grants-in-aid to National School of Drama for organising 9th Bharat Rang Mahotsava by Indian and Foreign Theatre Groups, 2nd Satellite Festival at Kolkata and production of play SASHA WALTZ in Delhi and Kolkata.	2.00	...	2.00
(ख) (i) लमही में मुंशी प्रेमचन्द मेमोरियल अनुसंधान एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए (2.00 करोड़ रुपए), (ii) संचित निधि कोष के वर्धन के रूप में मगन संग्रहालय न्यास, वर्धा को सहायतानुदान (4.00 करोड़ रुपए), (iii) संचित निधि का सृजन करने के लिए आश्रम प्राधिकरण को समर्थ बनाने हेतु सेवाग्राम आश्रम न्यास, वर्धा को सहायतानुदान (5.00 करोड़ रुपए) तथा (iv) मुम्बई, मदुरई, पटना तथा बैरकपुर में चार क्षेत्रीय गांधी संग्रहालयों को 1 करोड़ रुपए प्रत्येक की अतिरिक्त संचित निधि कोष (4.00 करोड़ रुपए)।	(b) (i) For setting up of Munshi Premchand Memorial Research and Study Centre at Lamhi (Rs. 2.00 crore), (ii) Grants-in-aid to Magan Sangrahalaya Trust, Wardha as enhancement of corpus fund (Rs. 4.00 crore), (iii) Grants-in-aid to Sevagram Ashram Trust, Wardha to enable Ashram authority to create a corpus fund (Rs. 5.00 crore) and (iv) Additional corpus fund of Rs. 1 crore each to four Regional Gandhi Museums at Mumbai, Madurai, Patna and Barrackpore (Rs. 4.00 crore).	...	15.00	15.00
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 29. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT and FORESTS 29 Ministry of Environment and Forests			
निम्न को अतिरिक्त सहायतानुदान के लिए:	For additional grants-in-aid to:			
(क) (i) "पशुओं का कल्याण" योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए आश्रय स्थलों, आवारा कुत्तों के प्रतिरक्षण तथा बंधीकरण के लिए पशु कल्याण बोर्ड (1.88 करोड़ रुपए), (ii) निर्माण कार्य व्यय हेतु भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (1.83 करोड़ रुपए), (iii) इन-हाउस अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए वैज्ञानिक एवं कार्यालय उपकरण की खरीद तथा भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए भारतीय वानिकी प्रबंधन एवं शिक्षा परिषद (2.03 करोड़ रुपए) तथा वन शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न	(a) (i) Animal Welfare Board for shelters for animals, birth control and immunisation of stray dogs under the scheme 'Welfare of Animals' (Rs. 1.88 crore), (ii) Indian Institute of Forestry Management for works expenditure (Rs. 1.83 crore), (iii) Indian Council of Forestry Management and Education for purchase of scientific and office equipment for undertaking in-house research projects and repairs and maintenance of buildings (Rs. 2.03 crore)			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विश्वविद्यालयों को भुगतान (2.00 करोड़ रुपए), (iv) प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के लिए बांस लेमिनेटों के विनिर्माण के लिए प्रायोगिक संयंत्र सुविधा की स्थापना के लिए इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर (1.20 करोड़ रुपए), (v) क्षेत्राधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा वैज्ञानिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, देहरादून (2.00 करोड़ रुपए) तथा (vi) भारतीय प्राणी उद्यानों में विकास कार्य करने तथा उनके कार्यकरण की दशाएं सुधारने के लिए केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (3.63 करोड़ रुपए)।	and for payment to various universities for imparting forest education (Rs. 2.00 crore), (iv) Indian Plywood Industries Research Institute, Bangalore for establishment of pilot plant facility to manufacture bamboo laminates for training and demonstration (Rs. 1.20 crore), (v) Wildlife Institute of India, Dehradun for providing facilities to scientists and imparting training to field officers (Rs. 2.00 crore) and (vi) Central Zoo Authority for undertaking development work in Indian Zoos and improving their working conditions (Rs. 3.63 crore).	14.57	...	14.57
(ख) (i) पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण योजना के विभिन्न संस्थान (5.00 करोड़ रुपए), (ii) भारतीय जैव-विविधता प्राधिकरण और जैव-विविधता संरक्षण योजना की अन्य संस्थाएं जिनमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना हेतु एक करोड़ रुपए शामिल हैं (2.30 करोड़ रुपए), (iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों हेतु व्यय सहित खतरनाक पदार्थ प्रबंधन योजना के तहत नए उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं (2.49 करोड़ रुपए), (iv) अनुसंधान और विकास के तहत नई परियोजनाओं तथा चल रही परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थाएं (0.50 करोड़ रुपए), (v) प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता योजना के तहत राज्य प्रदूषण बोर्डों से प्राप्त प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए (1.43 करोड़ रुपए), (vi) "पर्यावरण की स्थिति" योजना के तहत विभिन्न संस्थाएं (0.66 करोड़ रुपए), (vii) "उत्कृष्ट केन्द्र" योजना के तहत पर्यावरण शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न केन्द्र (0.38 करोड़ रुपए), (viii) ग्लेशियर अध्ययन केन्द्र इत्यादि स्थापित करने के लिए जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान (1.14 करोड़ रुपए), (ix) चार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रबंधन आयोजना शुरू करने के लिए लिए (0.07 करोड़ रुपए), (x) नई पहचान की गई नमभूमियों की कार्ययोजना के लिए विभिन्न संस्थाएं (0.60 करोड़ रुपए), (xi) गरान पारिस्थितिकी स्कीम में चल रही अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थाएं (1.00 करोड़ रुपए) और (xii) जलवायु परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित क्रियाकलापों और नई परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थाएं (0.19 करोड़ रुपए)।	(ब) (i) various institutions for Environment Education Training Scheme (Rs. 5.00 crore), (ii) Bio Diversity Authority of India and other institutions for Bio Diversity Conservation scheme including rupees one crore for Externally Aided Project (Rs. 2.30 crore), (iii) creating new treatment, storage and disposal facilities under Hazardous Substance Management Scheme including expenditure for various international conventions for Externally Aided Project (Rs. 2.49 crore), (iv) various institutions for on-going projects and also on new projects under the Research & Development scheme (Rs. 0.50 crore), (v) for implementation of proposals from State Pollution Boards under the scheme 'Assistance for Abatement of Pollution' (Rs. 1.43 crore), (vi) various institutions under the scheme 'State of Environment' (Rs. 0.66 crore), (vii) various centres for strengthening environment education under the scheme 'Centres of Excellence' (Rs. 0.38 crore), (viii) G.B. Pant Himalayan Institute of Environment and Development for setting up glacier study centre (Rs. 1.14 crore), (ix) Various institutions for undertaking management plans for four biosphere reserves (Rs. 0.07 crore), (x) various institutions for action plans of newly identified wetlands (Rs. 0.60 crore), (xi) various institutions for ongoing research projects in the scheme Mangroves Eco-systems (Rs. 1.00 crore) and (xii) various institutions for new projects and activities relating to climate change study (Rs. 0.19 crore).	15.76	...	15.76
(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को स्थापना से संबंधित व्यय के लिए सहायता अनुदान।	(c) Grants-in-aid to Central Pollution Control Board, New Delhi for establishment related expenditure.	...	0.85	0.85

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	33 Payments to Financial Institutions			
इंडियन ओवरसीज बैंक को एफसीएनआर (ए) जमा योजना पर उसके ब्याज के दावों में कमी होने के कारण आई मुद्रा में कमी के लिए भुगतान करने हेतु।	To make payments to Indian Overseas Bank for exchange loss on account of shortfall in its interest claims on FCNR(A) deposit scheme.	...	36.97	36.97
41. राजस्व विभाग	41 Department of Revenue			
विदेश यात्रा कर और अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के संग्रहण के संबंध में विभिन्न संवाहकों को संग्रहण प्रभार के एरियर्स के भुगतान के लिए।	For payment of arrears of the collection charges to the various carriers in respect of collection of Foreign Travel Tax and Inland Air Travel Tax.	...	5.48	5.48
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45 Ministry of Food Processing Industries			
गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुसंधान और विकास के लिए सहायता की स्कीमों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on the scheme for Assistance for Quality Assurance, Codex Standards and Research and Development for Food Processing Industries.	4.40	...	4.40
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	46 Department of Health and Family Welfare			
(क) के संबंध में (i) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ को अद्यतन प्रौद्योगिकी मुहैया करके विभिन्न विभागों को जोड़ने और उन्नत कराने के लिए सहायता अनुदान (61.00 करोड़ रुपए), (ii) नेत्र चिकित्सा उपस्करों की अधिप्राप्ति की विकेन्द्रीकृत गतिविधि और ट्रैकोमा के अंतर्गत बाद की जिम्मेदारियां और अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम की जरूरत को पूरा करने के लिए स्वेच्छिक और अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान देना (16.45 करोड़ रुपए), (iii) मुख्यालय में तपेदिक कक्ष की सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियां (3.00 करोड़ रुपए), (iv) जीएफएटीएम द्वारा सहायता प्राप्त विदेश सहायता घटक के अंतर्गत एड्स, तपेदिक और मलेरिया से निपटने के लिए वैश्विक निधि के अंतर्गत कार्यरत राज्य तपेदिक संस्थाओं को सहायता अनुदान (15.00 करोड़ रुपए), (v) "केन्द्रीय कुष्ठ नियंत्रण योजना" के अंतर्गत "सूचना, शिक्षा और संचार" की गतिविधियों के लिए सहायता अनुदान (1.15 करोड़ रुपए), (vi) विदेशी सहायता घटक के अंतर्गत "राज्य एड्स नियंत्रण संस्थाओं" (एसएसीएस) के लिए अनुदान सहायता (99.40 करोड़ रुपए) और (vii) "भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन पहल" के समर्थन के लिए जन स्वास्थ्य संस्थान को संचित निधि मुहैया करके अनुदान सहायता (43 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) Grants-in-aid to Post Graduate Institute of Medical Education & Research, (PGIMER) Chandigarh, for adding and upgrading the various Departments by providing the state of art technology (Rs. 61.00 crore), (ii) Grants-in-aid to Voluntary and other Institutions for meeting the requirement of decentralized activity of procurement of ophthalmic equipment and past liabilities under Trachoma and Blindness Control Programme (Rs. 16.45 crore), (iii) Information Education and Communication activities of TB Cell at Headquarter (Rs.3.00 crore), (iv) Grants-in-aid to State TB societies under Global fund to fight AIDS, T.B. & Malaria (GFATM) under GFATM assisted Externally Aided Component (Rs. 15.00 crore), (v) Grant-in-aid for "Information, Education and Communication" activities under "Leprosy Control Central Scheme" (Rs. 1.15 crore), (vi) Grants-in-aid to "State Aids Control Societies (SACS)" under Externally Aided Component (Rs. 99.40 crore), and (vii) Grants-in-aid to Institute of Public Health for supporting the "Public Health Foundation of India (PHFI)" initiative by providing a corpus Fund (Rs. 43 crore).	239.00	...	239.00
(ख) सहायता अनुदान के संबंध में (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को वेतन और	(b) For Grants-in-aid to (i) Indian Council of Medical Research to meet additional			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
भत्तों की अतिरिक्त जरूरत और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (9.00 करोड़ रुपए), (ii) वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान (वीपीसीआई), नई दिल्ली को वेतन और भत्तों की अतिरिक्त जरूरत और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (2.00 करोड़ रुपए), (iii) पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को वेतन और भत्तों की अतिरिक्त जरूरत और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (8.00 करोड़ रुपए), (iv) भारतीय भेषज परिषद को वेतन और भत्तों की अतिरिक्त जरूरत और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (0.02 करोड़ रुपए), (v) लाला राम सरूप टी.बी. अस्पताल को वेतन और भत्तों की अतिरिक्त जरूरत और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (0.85 करोड़ रुपए) और (vi) नई दिल्ली टी.बी. केन्द्र को वेतन और भत्तों की अतिरिक्त जरूरत और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (0.15 करोड़ रुपए)।	requirement on pay & allowances and other Establishment related expenditure (Rs. 9.00 Crores), (ii) Vallabhbhai Patel Chest Institute (VPCI), New Delhi to meet additional requirement on pay & allowances and other Establishment related expenditure (Rs. 2.00 crore), (iii) PGIMER, Chandigarh to meet additional requirement on pay & allowances and other Establishment related expenditure (Rs. 8.00 Crore), (iv) Pharmacy Council of India to meet additional requirement on pay & allowances and other Establishment related expenditure (Rs. 0.02 crore), (v) Lala Ram Sarup TB Hospital to meet additional requirement on pay & allowances and other Establishment related expenditure (Rs. 0.85 crore), and (vi) New Delhi TB Centre to meet additional requirement on pay & allowances and other Establishment related expenditure (Rs. 0.15 crore).	...	20.02	20.02
(ग) (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को राष्ट्रीय प्राइमेट निर्माण और अनुसंधान केन्द्र में चल रहे कार्यों को पूरा करने (8.00 करोड़ रुपए) और आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पशु सुविधा (3.44 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान (ii) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र को वेतन और भत्तों के भुगतान की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपए), (iii) एनआरएचएम ब्रांड की दृश्यता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) स्थानों के प्रसारण और जिला और निचले स्तर पर कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (18.00 करोड़ रुपए), (iv) पोलियो के दौरों की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को अनुदान सहायता (26.06 करोड़ रुपए), (v) जिला स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं (डीएलएचएस) को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप निधि (यूएनएफपीए) द्वारा किए जाने वाले अग्रिम भुगतानों को आगे बढ़ाने की प्रबंधन सूचना प्रणाली हेतु सहायता अनुदान (0.22 करोड़ रुपए) और (vi) मिशन फ्लेक्सिबल पूल के अंतर्गत दवाओं की अधिप्राप्ति के लिए राज्य संस्थाओं को सहायता अनुदान (224.88 करोड़ रुपए)।	(c) (i) For grants-in-aid to Indian Council of Medical Research to meet additional requirement for completing the ongoing works in National Centre for Primate Building and Research (Rs. 8.00 crore) and for research on genetically modified animal facility (Rs.3.44 crore), (ii) Grants-in-aid to Population Research Centre to meet additional requirement for payment of pay and allowances (Rs. 0.50 crore), (iii) To meet additional expenditure for telecast of National Rural Health Mission (NRHM) spots for sustaining the visibility of the NRHM Brand and to expand the outreach of the programme at the District and lower levels (Rs. 18.00 crore), (iv) Grants-in-aid for Pulse Polio Immunization Programme to meet the additional requirement of polio rounds (Rs. 26.06 crore), (v) Grants-in-aid for Management Information System passing on advance payments made by United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) for District Level Health Societies (DLHS)(Rs. 0.22 crore) and (vi) Grants-in-aid to State societies for procurement of drugs under Mission Flexible Pool (Rs. 224.88 crore).	281.10	...	281.10
(घ) के संबंध में सहायता अनुदान (i) वेतन और भत्तों इत्यादि के भुगतान की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली को	(d) Grants-in-aid to (i) National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi to meet additional requirement for payment of pay and allowances, etc.			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(0.80 करोड़ रुपए), (ii) वेतन और भत्तों इत्यादि के भुगतान की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई को (0.40 करोड़ रुपए)।	(Rs. 0.80 crore), (ii) International Institute for Population Science, Mumbai to meet additional requirement for payment of pay and allowances, etc. (Rs. 0.40 crore).	...	1.20	1.20
47. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग	47 Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
के संबंध में सहायता अनुदान मुहैया करना (क) वेतन और भत्तों और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए आयुर्वेद में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान, जामनगर को (0.50 करोड़ रुपए) और (ख) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को वेतन और भत्ते और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (0.20 करोड़ रुपए)।	To provide Grants-in-aid to (a) Institute of Post Graduate Training and Research in Ayurveda, Jamnagar for pay and allowances and other establishment related expenditure (Rs. 0.50 crore) and (b) Central Council for Research in Homoeopathy for pay and allowances and other establishment related expenditure (Rs. 0.20 crore).	...	0.70	0.70
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
48 भारी उद्योग विभाग	48 Department of Heavy Industry			
एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमिटेड के संबंध में ऋण को इक्विटी में रूपांतरित करने से संबंधित आवश्यक लेखांकन समायोजन करने के लिए।	For carrying out necessary accounting adjustments regarding conversion of loan into equity in respect of HMT (Machine tools) Limited.	122.64	...	122.64
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
52. पुलिस	52 Police			
(क) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत सहायता अनुदान देने के लिए।	(a) For providing grants-in-aid under the scheme of Modernisation of Police Forces.	...	33.76	33.76
(ख) दिल्ली पुलिस आवास निगम की स्थापना हेतु आरंभिक पूंजी देने के लिए (5.00 करोड़ रुपए) और सशस्त्र सीमाबल की कार्यालयी-इमारतों के निर्माण के लिए भूमि की खरीद (6.03 करोड़ रुपए)।	(b) For providing initial capital for the establishment of Delhi Police Housing Corporation (Rs. 5.00 crore) and for purchase of land for construction of office buildings of Sashastra Seema Bal (Rs. 6.03 crore).	...	11.03	11.03
54. संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	54 Transfers to Union Territory Governments			
1984 के दंगा-पीड़ितों को वर्धित मुआवजा देने के लिए।	For providing enhanced compensation to victims of 1984 riots.	...	77.88	77.88
मानव विकास संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
55. प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	55 Department of School Education and Literacy			
(क) (i) सर्वशिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयनकारी सोसायटियों को अतिरिक्त राशि जारी करने के लिए (104.00 करोड़ रुपए) और (ii) प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता देने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्कूलों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के परिवहन के लिए राज्यों द्वारा पहले किए जा चुके व्यय के लंबित दावों के निपटान के लिए (14.26 करोड़ रुपए)।	(a) (i) For Sarva Shiksha Abhiyan towards release of additional amount to State implementing societies (Rs. 104.00 crore) and (ii) To settle the pending claims of the expenditure already incurred by States for transportation of food grains from Food Corporation of India godowns to schools under the scheme National Programme for Nutritional Support to Primary Education (Rs. 14.26 crore).	118.26	...	118.26
56. उच्च शिक्षा विभाग	56 Department of Higher Education			
(क) (i) "मॉडल स्कूलों (नवोदय स्कूल) की स्थापना" योजना के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय, इमारतों का रखरखाव और मरम्मत,	(a) (i) Establishment related expenditure, maintenance and repairs of buildings, construction of buildings and other			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
इमारतों का निर्माण और अन्य आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय (3.50 करोड़ रुपए), (ii) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद" योजना के तहत वचनबद्ध देयताओं और निर्माण व्यय पूरा करने के लिए (3.00 करोड़ रुपए), (iii) "मानव मूल्यों की शिक्षा हेतु अभिकरणों को सहायता" योजना के तहत सहायता अनुदान की किश्तें जारी करना (1.40 करोड़ रुपए), (iv) यूनेस्को के कार्यक्रम और कार्यक्रमलाप में लगे स्वैच्छिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण "योजना के तहत देश में स्थायी विकास हेतु" यूएन डेकेड ऑफ एजुकेशन का कार्यान्वयन (0.10 करोड़ रुपए)।	recurring and non recurring expenditure under the scheme "Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas)" (Rs.3.50 crore), (ii) for meeting the committed liabilities and cost of construction under the scheme "National Council for Promotion of Urdu Language" (Rs.3.00 crore), (iii) for releasing of instalments of grants-in-aid under the scheme "Assistance to Agencies for Education in Human Values" (Rs.1.40 crore), (iv) Implementation of the UN Decade of Education for Sustainable Development in the country under the scheme "Strengthening of Voluntary Organisations engaged in UNESCO's Programmes and Activities" (Rs.0.10 crore).	8.00	...	8.00
(ख) (i) "विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों पर विदेश जा रहे भारतीय विद्वानों की योजना के अंतर्गत विद्वानों के लिए अध्येता-वृत्ति जैसे व्ययों को पूरा करने के लिए (0.12 करोड़ रुपए), (ii) वाईएमसीए इंडियन स्टूडेंट्स हास्टल, लंदन और स्कूल ऑफ ओरियन्टल एण्ड एफ्रीकन स्टडीज को अनुदान (0.09 करोड़ रुपए), (iii) पेरिल में जनरल कान्फ्रेंस के 33वें के भारतीय शिष्टमंडल भेजे जाने पर हुए अतिरिक्त व्यय हेतु (0.37 करोड़ रुपए)।	(b) (i) To meet various expenses like stipend for scholars under the scheme "Indian Scholars going abroad against scholarships offered by Foreign Govt./ Organisations" (Rs.0.12 crore), (ii) Grant to YMCA Indian Students Hostel, London and to the School of Oriental and African Studies (Rs.0.09 crore), (iii) To meet the additional expenditure incurred on the deputation of Indian delegation to 33rd Session of General Conference at Paris (Rs.0.37 crore).	...	0.58	0.58
(ग) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर; अवसंरचना सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर अतिरिक्त व्यय हेतु (12.00 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान; अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन और अधिक छात्रों को दाखिला देने के लिए (39.23 करोड़ रुपए), (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; आईआईटी, गुवाहाटी में अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन के लिए (10.00 करोड़ रुपए), (iv) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान; एनआईटीटीआर चण्डीगढ़ नए हॉस्टल के निर्माण हेतु और एनआईटीटीटीआर, कोलकाता में नई निर्माण गतिविधियों हेतु (3.70 करोड़ रुपए) (v) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, अमेठी में राजीव गांधी सूचना-प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार परिसर में निर्माण कार्य और अन्य सुविधाओं पर अतिरिक्त व्यय हेतु (3.00 करोड़ रुपए), (vi) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद: हॉस्टल के निर्माण हेतु वचनबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए (7.00 करोड़ रुपए); (vii) बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग, मुंबई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई: एप्रेन्टिसों के नियोजन और उपकरणों की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय (1.64 करोड़ रुपए) के संबंध में।	(c) (i) Indian Institute of Science, Bangalore; to meet additional expenditure on modernization and upgradation of infrastructure facilities (Rs.12.00 crore), (ii) National Institutes of Technology; for upgradation of infrastructure facilities and increase in intake of students (Rs.39.23 crore), (iii) Indian Institutes of Technology; for upgradation of infrastructure facilities at IIT, Guwahati (Rs.10.00 crore), (iv) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs); for construction of new Hostel at NITTTR, Chandigarh and for new construction activities in NITTTR, Kolkata (Rs.3.70 crore), (v) Indian Institute of Information Technology, Allahabad; to meet the additional expenditure on construction work and other facilities in the Extension Campus at Rajiv Gandhi Institute of Information Technology at Amethi (Rs.3.00 crore), (vi) Indian School of Mines, Dhanbad; to meet the committed liabilities towards construction of hostel (Rs.7.00 crore), (vii) Board of Apprenticeship Training, Mumbai, Kolkata, Kanpur and Chennai, for			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) (i) वर्धित लक्ष्यों पर "अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण अध्येवावृत्ति एवं वृत्ति कार्यक्रम" योजना के तहत अतिरिक्त व्यय (1.40 करोड़ रुपए), (ii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर; आवर्ती व्यय पूरा करने के लिए (0.30 करोड़ रुपए); (iii) भारतीय प्रबंध संस्थान; ब्लाक अनुदान योजना के तहत समतुल्य अनुदान देने के लिए (9.00 करोड़ रुपए); (iv) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई; ब्लाक अनुदान योजना के तहत समतुल्य अनुदान देने के लिए (6.00 करोड़ रुपए); (v) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, ब्लाक अनुदान योजना के तहत समतुल्य अनुदान देने के लिए (0.65 करोड़ रुपए); (vi) मंहगाई भत्ते, पेंशन और पीओएल उत्पादों में वृद्धि के कारण बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिस शिप ट्रेनिंग, मुम्बई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (0.60 करोड़ रुपए) और (vii) लंबित बिलों को निकालने और भारतीय उपस्कर, किताबों के खरीद हेतु वार्षिक अनुदान जारी करने के लिए एशियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंकाक के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (0.10 करोड़ रुपए)।	(d) meeting additional expenditure for placement of apprentices and purchase of equipment (Rs. 1.64 crore). (i) Additional expenditure required under the scheme "Programme for Apprenticeship Training Scholarship and Stipends" on account of enhanced targets(Rs.1.40 crore), (ii) Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior; for meeting recurring expenditure (Rs.0.30 crore), (iii) Indian Institutes of Management; to provide (Rs.9.00 crore) as matching grant under the scheme Block grant, (iv) National Institute of Industrial Engineering, Mumbai; to provide (Rs.6.00 crore) as matching grant under the scheme Block grant, (v) Indian School of Mines, Dhanbad; to provide Rs.0.65 crore as matching grant under the scheme Block grant,(vi) Additional requirement for Board of Apprenticeship Training, Mumbai, Kolkata, Kanpur and Chennai, on account of enhancement in DA, Pension and hike in POL products (Rs.0.60 crore),and (vii) Additional requirement for Asian Institute of Technology, Bangkok, to clear pending bills and to release annual grant for purchase of Indian equipment, books etc.(Rs.0.10 crore).	76.57	...	76.57
(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर को अधिक यूजी/पीजी कार्यक्रम शुरू करने के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं एवं अन्य अवसंरचना के उन्नयन हेतु अनुदान देना।	(e) To provide grant to North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for upgradation of existing Laboratories and other infrastructure to start more UG/PG Programmes.	...	18.05	18.05
(च) शिक्षकों और हिन्दी पंडितों की वचनबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए "भाषा शिक्षकों कि नियुक्ति" योजना के लिए आंध्रप्रदेश सरकार को सहायता अनुदान।	(f) Grants-in-aid to the State Government of Andhra Pradesh for the scheme "Appointment of Language Teacher" to meet committed liabilities of teachers and Hindi Pundits.	4.10	...	4.10
		5.76	...	5.76

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

57. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- (क) (i) इमारतों के निर्माण और स्थापना संबंधी व्यय के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपए) (ii) महिलाओं को देह-व्यापार और स्रोत क्षेत्रों एवं गंतव्य क्षेत्रों में देह-व्यापार के शिकार लोगों को बचाने एवं पुनर्वास हेतु बनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.81 करोड़ रुपए), (iii) देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमन्द कामकाजी बच्चों के कल्याण की योजना के लिए गैर सरकारी संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.25 करोड़ रुपए)।

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

57 Ministry of Women and Child Development

- (a) (i) Grants-in-aid to Central Social Welfare Board for construction of buildings and establishment related expenditure (Rs. 0.25 crore), (ii) additional funds to NGOs to implement projects for combating trafficking (of women) and for rescue and rehabilitation of victims of trafficking in source areas as well as destination areas (Rs. 0.81 crore), (iii) additional funds to NGOs for the scheme of welfare of working children in need of care and protection (Rs. 0.25 crore).

1.31 ... 1.31

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) (i) भारत मॉरीशस सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत महिला अधिकारिता के संबंध में महिला-विषयक प्रशिक्षण पर कार्यशाला और वाणिज्यिक यौन-शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के देह-व्यापार का सामना करने के लिए अतिरिक्त व्यय।	(b) To meet the expenditure on the workshop on Gender Training on Women's Empowerment under Indo-Mauritius Cultural Exchange Programme and on prevention and combating of trafficking of women and children for commercial sexual exploitation.	...	0.07	0.07
(ग) (i) देश में ही दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए घर ढूंढने की योजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.20 करोड़ रुपए) (ii) किशोरों के कुसमायोजन को रोकने और नियंत्रित करने के लिए (0.70 करोड़ रुपए)।	(c) (i) Additional funds to NGOs for the schemes of homes for infant and young children for promotion for in-country adoption (Rs. 0.20 crore), (ii) prevention and control of Juvenile maladjustment (Rs. 0.70 crore).	0.90	...	0.90
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
58. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	58 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) प्रसार भारती का व्यय पूरा करने के लिए ताकि यह निगम में नामित प्रतिनियुक्ति पर गए सरकारी कर्मचारियों के संबंध में "छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान लौटा सके।	(a) For meeting the expenditure of Prasar Bharati to enable it to remit 'leave salary and pension contribution' in respect of Government Employees who are on deemed deputation with the Corporation.	...	3.37	3.37
(ख) "राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम" को फिल्मों के डिजिटलीकरण, डीवीडी तैयार करने, लोकप्रिय एनएफडीसी फिल्मों की नकल तैयार करने, फिल्में खरीदने और क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण हेतु ऋण देने के लिए।	(b) For loan to 'National Film Development Corporation' for digitalisation of films, DVD authoring, replication of popular NFDC films, procurement of films and production of Regional films.	15.00	...	15.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
59 श्रम और रोजगार मंत्रालय	59 Ministry of Labour and Employment			
समाचारपत्रों के कर्मचारियों के नए वेतन बोर्डों के कार्यकरण के लिए।	For functioning of new wage boards of newspaper employees.	...	0.19	0.19
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
70 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	70 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
ओएनजीसी, ओआईएल, बीजीसीएल और आईएल के एएमजी अवधि से संबंधित आकस्मिक देनदारी दावों का निपटान।	Settlement of contingent liability claims of ONGC, OIL, BPCL and IOC pertaining to AMP period.	...	57.15	57.15
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
72 विद्युत मंत्रालय	72 Ministry of Power			
(क) (i) एपीडीआरपी परियोजना के परामर्शी प्रभार हेतु (27.00 करोड़ रुपए) और (ii) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को सहायता अनुदान (13.06 करोड़ रुपए)।	(a) (i) For consultancy charges for APDRP project (Rs. 27.00 crore), and (ii) grants-in-aid to Power Grid Corporation of India Limited (Rs. 13.06 crore).	40.06	...	40.06
(ख) (i) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की पेंशन निधि के सृद्धिकरण हेतु (1.00 करोड़ रुपए) और (ii) कार्यालय की इमारत के किराए की अदायगी हेतु केन्द्रीय बिजली विनियामक आयोग को (0.40 करोड़ रुपए) अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु।	(b) Grants-in-aid (i) for strengthening of pension fund of National Power Training Institute (Rs. 1.00 crore) and (ii) to Central Electricity Regulatory Commission for payment of rent of office building (Rs. 0.40 crore).	...	1.40	1.40
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
78 ग्रामीण विकास मंत्रालय	78 Department of Rural Development			
निम्नलिखित योजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए:	For meeting additional requirement of the following schemes:			
(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	(a) Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(3.00 करोड़ रुपए) और आंध्रप्रदेश में आदिवासी समुदायों के स्थायी विकास के लिए गिरिप्रगति के कार्यान्वयन हेतु विदेशी सहायता का अन्तरण (2.58 करोड़ रुपए)।	(Rs. 3.00 crore) and pass through of external assistance for implementation of Giripragati (Rs. 2.58 crore) for sustainable development of tribal communities in Andhra Pradesh.	5.58	...	5.58
(ख) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के खाद्यान्न घटक।	(b) Food grain component of Sampoorana Gramin Rozgar Yojana.	2,500.00	...	2,500.00
(ग) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (10.00 करोड़ रुपए) और डीआरडीए प्रशासन (20.00 करोड़ रुपए)।	(c) State Institutes of Rural Development (Rs. 10.00 crore) and DRDA administration (Rs. 20.00 crore).	30.00	...	30.00
(घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (800.00 करोड़ रुपए) और पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु विदेशी सहायता का अन्तरण (20.00 करोड़ रुपए)।	(d) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) (Rs. 800.00 crore) and pass through of external assistance (Rs. 20.00 crore) for implementation of PMGSY.	820.00	...	820.00
80 पेय जलापूर्ति विभाग	80 Department of Drinking Water Supply			
ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	For meeting additional requirement of various State Governments under Rural Sanitation Programme.	60.00	...	60.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
81 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	81 Department of Science and Technology			
(क) (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में ठोस अनुप्रयोगों के विकास पर केंद्रित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुशिक्षण अनुसंधान (27.00 करोड़ रुपए) और (ii) "बुजुर्ग व्यक्तियों और नवीचारी ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी" अनुप्रयोग के लिए विज्ञान और सोसाइटी कार्यक्रम (1.35 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) Multi-Disciplinary Research in Science and Technology to implement projects which focus on development of tangible applications in emerging fields of science and technology (Rs. 27.00 crore) and (ii) Science and Society Programme for - 'Science and Technology Applications for Elderly Population and Innovative Rural Development' (Rs. 1.35 crore).	28.35	...	28.35
(ख) देहरादून और हैदराबाद स्थित केन्द्रीय विद्यालयों का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण हेतु।	(b) For Survey of India to meet additional expenditure of Kendriya Vidyalaya Schools at Dehradun and Hyderabad.	...	0.68	0.68
82 विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	82 Department of Scientific and Industrial Research			
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को निम्न के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु :	For providing additional grants-in-aid to the Council of Scientific and Industrial Research for:			
(क) (i) अनुसंधान फेलो को फेलोशिप/छात्रवृत्तियां (15.00 करोड़ रुपए) और (ii) 'प्रौद्योगिकी संवर्धन विकास तथा उपयोग की योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों को अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराकर (2.80 करोड़ रुपए)।	(a) (i) Fellowships/Scholarships to Research Fellows (Rs. 15.00 crore) and (ii) providing additional grants-in-aid to various institutions under the scheme "Technology Promotion Development and utilisation (Rs. 2.80 crore).	17.80	...	17.80
(ख) (i) अनुसंधान फेलो को फेलोशिप/छात्रवृत्तियां (15.00 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वेतन व्यय (10.20 करोड़ रुपए)।	(b) (i) Fellowships/Scholarships to Research Fellows (Rs. 15.00 crore) and (ii) Salary expenditure of National Laboratories (Rs. 10.20 crore).	...	25.20	25.20
83 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	83 Department of Biotechnology			
(क) पूर्वोत्तर में जैव-सूचना विज्ञान सुविधाओं हेतु (1.00 करोड़ रुपए) और (ख) अंतराष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम और वैज्ञानिक सलाहकार समिति (विदेश) के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु (4.00 करोड़ रुपए)।	For release of additional grants-in-aid for (a) Bio-Informatic Facilities in the North East (Rs. 1.00 crore) and (b) projects under International Bilateral Programmes and Scientific Advisory Committee (Overseas) (Rs. 4.00 crore).	5.00	...	5.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
84 नौवहन विभाग	84 Department of Shipping			
(क) केन्द्र-भिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के शिपयार्ड और निजी क्षेत्र शिपयार्डों को अतिरिक्त सब्सिडी।	(a) Additional subsidy to Non-Central PSU Shipyard and Private Sector Shipyards.	...	7.00	7.00
(ख) भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण को वेतन/पेंशन आदि के बकाया का भुगतान संबंधी व्यय पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता-अनुदान।	(b) Additional grants-in-aid to Inland Waterways Authority of India for meeting expenditure on payment of arrears of salary/pension, etc.	...	1.79	1.79
(ग) प्रस्तावित भारतीय समुद्री विज्ञान विश्वविद्यालय के अवसंरचना विकास/डीपीआर अवययन हेतु अतिरिक्त सहायता-अनुदान।	(c) Additional grants-in-aid for infrastructure development/DPR study of the proposed Indian Maritime University.	20.00	...	20.00
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	85 Department of Road Transport and Highways			
भूटान में सड़क निर्माण कार्यों में लगे कर्मिकों को भूटान प्रतिपूर्ति भत्ते के पुनरीक्षण के अनुषंगी बकाया के भुगतान हेतु अतिरिक्त सहायता-अनुदान के लिए।	For additional grants-in-aid for payment of arrears incidental to revision of rates of Bhutan Compensatory Allowance to personnel engaged in road works in Bhutan.	...	6.68	6.68
लघु उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES			
86 लघु उद्योग मंत्रालय	86 Ministry of Small Scale Industries			
लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement under the Credit Guarantee Scheme for SSI Sector.	8.00	...	8.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
87 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	87 Ministry of Social Justice and Empowerment			
(क) आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु।	(a) for setting up of National Commission to examine the issue of sub-categorisation of Scheduled Castes in Andhra Pradesh.	...	0.01	0.01
(ख) स्कीमों के विज्ञापन और प्रसार हेतु।	(b) For advertising and publicity of the schemes.	7.38	...	7.38
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
89 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	89 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत अपंगता सांख्यिकी संबंधी फील्ड सर्वेक्षण करने के लिए (0.02 करोड़ रुपए) और एडीबी कार्यक्रम के अंतर्गत क्रय शक्ति समानता आंकड़ों के सुदृढ़ीकरण और संग्रहण में भारत की भागीदारी हेतु, अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (0.15 करोड़ रुपए)।	For meeting additional expenditure for undertaking field survey on disability statistics under World Health Organisation (Rs. 0.02 crore) and for India's participation in strengthening and collection of Purchasing Power Parity Data under ADB programme (Rs. 0.15 crore).	0.17	...	0.17
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
90 इस्पात मंत्रालय	90 Ministry of Steel			
(क) आवश्यक लेखाकरण समंजन करने के लिए अर्थात् मेकॉन लिमिटेड की गारंटी फीस सब्सिडी की माफी।	(a) For carrying out necessary accounting adjustments viz., waiver of Guarantee fee subsidy to MECON Limited.	...	5.13	5.13
(ख) आवश्यक लेखाकरण समंजन करने के लिए अर्थात् मेकॉन लिमिटेड के संबंध में 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण का रुपांतरण।	(b) For carrying out necessary accounting adjustments viz., conversion of loan outstanding as on 31.3.2005 into equity in respect of MECON Limited.	6.00	...	6.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
91 वस्त्र मंत्रालय	91 Ministry of Textiles			
(क) मिल गेट स्कीम (5.00 करोड़ रुपए), विपणन संवर्धन कार्यक्रम (3.50 करोड़ रुपए), हथकरघा बूनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (20.00 करोड़ रुपए), पूर्वोत्तर क्षेत्र हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम को सहायता (0.15 करोड़ रुपए), विपणन सहायता और सेवाएं (1.00 करोड़ रुपए), और ऊन विकास बोर्ड (5.25 करोड़ रुपए)।	(a) Mill Gate Scheme (Rs. 5.00 crore), Marketing promotion programme (Rs. 3.50 crore), Health Insurance Scheme for Handloom weavers (Rs. 20.00 crore), Assistance to North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation (Rs. 0.15 crore), Marketing support and services (Rs. 1.00 crore) and Wool Development Board (Rs. 5.25 crore).	34.90	...	34.90
(ख) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान।	(b) National Institute of Fashion Technology.	5.00	...	5.00
(ग) सूत में बाढ़ प्रभावित कपड़ा उद्योगों को राहत और पैकेज।	(c) Relief and package to the flood affected textile industries in Surat.	...	56.00	56.00
(घ) शिल्प परिसर हेतु भूमि के क्रम के लिए।	(d) For purchase of land for craft complex.	12.00	...	12.00
(ङ) नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन में वीआरएस के कार्यान्वयन हेतु।	(e) For implementation of VRS in National Jute Manufacturers Corporation.	...	60.00	60.00
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
92 पर्यटन मंत्रालय	92 Ministry of Tourism			
'आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन' शीर्ष के अंतर्गत होटलों को सब्सिडी के लिए।	For subsidy to Hotels under the Head 'Incentives to Accommodation Infrastructure'.	2.50	...	2.50
जनजातीय मामले मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
93 जनजातीय मामले मंत्रालय	93 Ministry of Tribal Affairs			
(क) (i) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु स्वैच्छिक संगठनों (2.77 करोड़ रुपए) और (ii) अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं हेतु कार्यान्वयन संगठनों (0.68 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त सहायता-अनुदान।	(a) For additional grants-in-aid (i) to voluntary organisations for implementing various programmes for the welfare of Scheduled Tribes (Rs. 2.77 crore) and (ii) to implementing organisations for various research projects for the benefit of Scheduled Tribes (Rs. 0.68 crore).	3.45	...	3.45
(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों और लड़कों के हार्टलों के निर्माण हेतु।	(b) For construction of hostels for Scheduled Tribe Girls and Boys in the North Eastern States.	1.70	...	1.70
गृह मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS, UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
94. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	94 Andaman and Nicobar Islands			
(क) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान	(a) For Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions.	0.05	...	0.05
(ख) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान	(b) For Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions.	0.20	...	0.20
(ग) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान	(c) For Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions.	0.50	...	0.50
(घ) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान	(d) For Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions.	0.94	...	0.94
(ङ) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान	(e) For Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions.	16.00	...	16.00
(च) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान	(f) For Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions.	0.20	...	0.20
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
99 शहरी विकास मंत्रालय	99 Department of Urban Development			
नासिक में दूरसंचार विभाग के लिए आवासीय भवन के निर्माण हेतु।	For construction of residential accommodation for the Department of Telecommunications at Nasik.	0.48	...	0.48

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
104 युवा मामले और खेल मंत्रालय	104 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) (i) "विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान" की स्कीम के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय संघ और अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता (1.00 करोड़ रुपए) (ii) "प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण" की स्कीम के अंतर्गत वचनबद्ध हेता संबंधी व्यय पूरा करने के लिए (1.00 करोड़ रुपए) और (iii) "कृत्रिम फर्शों की आपूर्ति और संस्थापना के लिए सहायता" की स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान (0.10 करोड़ रुपए)।	(a) (i) assistance to Association of Indian Universities and other Universities/ Colleges under the scheme of "Grants to Universities and Colleges" (Rs. 1.00 crore), (ii) For meeting expenditure on committed liability under the Scheme of "Talent Search and Training" (Rs. 1.00 crore) and (iii) Grants to State Governments under the scheme of "Support for Supply and Installations of Synthetic surfaces" (Rs. 0.10 crore).	2.10	...	2.10
(ख) (i) "नेहरु युवा केंद्र संगठन" को संगठन-पूर्व अवधि के पेंशन संबंधी व्यय पूरा करने के लिए सहायता (1.00 करोड़ रुपए), (ii) महंगाई भत्ते, आदि में वृद्धि के कारण एनएसएस के अधिकारियों को भुगतान करने के लिए "राष्ट्रीय सेवा योजना" के अंतर्गत सहायता (0.27 करोड़ रुपए), (iii) भारतीय खेल प्राधिकरण को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए सहायता (3.38 करोड़ रुपए), और (iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान को अन्य बातों के अलावा पश्चिम क्षेत्र कुलपति सम्मेलन, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय खेल और स्नाकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों सहित शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन हेतु सहायता (0.50 करोड़ रुपए)।	(b) (i) Assistance to "Nehru Yuva Kendra Sangathan" for meeting pension related expenditure of pre-sangathan period (Rs. 1.00 crore), (ii) Assistance under "National Service Scheme" for making payment to the officers of NSS due to increase in DA, etc. (Rs. 0.27 crore), (iii) Assistance to Sports Authority of India for pay and allowances and other establishment expenditure (Rs. 3.38 crore), and (iv) Assistance to Lakshmi Bai National Institute of Physical Education for conducting academic activities including inter-alia West Zone Vice Chancellors Conference, Zonal and National Inter Universities meets and for Post Graduate Diploma Courses (Rs. 0.50 crore).	...	5.15	5.15
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.52	0.32	0.84
5. तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल 104.69 करोड़ रुपए के चार अग्रिम स्वीकृत किए गए थे। इन्हें पूरक अनुदानों मांगें स्वीकृत होने के पश्चात इस निधि को वापस कर दिया जाएगा।	5. Four advances aggregating Rs.104.69 crore were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	1,898.80	384,437.96	386,336.76
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	702.37	18,020.61	18,722.98
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	1,195.91	366,417.03	367,612.94
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.52	0.32	0.84

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1. कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	265.02	...	265.02	1-2
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	65.99	...	65.99	3
3. पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.03	...	0.03	4
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
5. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	5. Atomic Energy	Voted	0.02	...	0.02	5
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
7. रसायन और पेट्रोसायन विभाग	स्वीकृत	7. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	732.57	72.50	805.07	6-7
8. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	8. Department of Fertilisers	Voted	3533.79	12.18	3545.97	8-9
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	84.91	...	84.91	10
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
10. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Coal	Voted	0.08	...	0.08	11
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
11. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	381.32	0.01	381.33	12
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
13. डाक विभाग	भारित स्वीकृत	13. Department of Posts	Charged Voted	0.15 365.24	... 0.01	0.15 365.25	13-14
14. दूरसंचार विभाग	भारित स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Charged Voted	0.04 60.59	... 60.59	0.04 60.59	15
15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	15. Department of Information Technology	Voted	0.01	4.40	4.41	16
कम्पनी कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS					
16. कम्पनी कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	16. Ministry of Company Affairs	Voted	...	26.80	26.80	17
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
18. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	18. Department of Food and Public Distribution	Voted	0.01	0.01	0.02	18
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	0.02	...	0.02	19
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
21. रक्षा पेंशन	स्वीकृत	21. Defence Pensions	Voted	582.00	...	582.00	20
22. रक्षा सेवा-थल सेना	भारित	22. Defence Services - Army	Charged	3.59	...	3.59	21
23. रक्षा सेवा-नौसेना	स्वीकृत	23. Defence Services - Navy	Voted	98.86	...	98.86	22
24. रक्षा सेवा-वायु सेना	स्वीकृत	24. Defence Services - Air Force	Voted	34.46	...	34.46	23
25. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	भारित	25. Defence Ordnance Factories	Charged	3.00	...	3.00	24
26. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	स्वीकृत	26. Defence Services - Research and Development	Voted	10.68	...	10.68	25

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.50	...	0.50	26
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
29. पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of Environment and Forests	Voted	3.04	...	3.04	27-28
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
30. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of External Affairs	Voted	185.81	...	185.81	29
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
31. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	31. Department of Economic Affairs	Voted	445.99	6000.00	6445.99	30
32. करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प		32. Currency, Coinage and Stamps	Voted	...	96.37	96.37	31
33. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	स्वीकृत	33. Payments to Financial Institutions	Voted	0.01	...	0.01	32
34. विनियोग-ब्याज अदायगियां	भारित	34. Appropriation - Interest Payments	Charged	4869.25	...	4869.25	33
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	भारित	35. Transfers to State and Union Territory Governments	Charged	...	700.00	700.00	34-35
	स्वीकृत		Voted	8947.39	...	8947.39	
37. विनियोग-कर्ज की वापसी-अदायगी	भारित	37. Appropriation - Repayment of Debt	Charged	...	349581.44	349581.44	36
38. व्यय विभाग	स्वीकृत	38. Department of Expenditure	Voted	3.46	5.00	8.46	37
39. पेंशन	स्वीकृत	39. Pensions	Voted	235.56	...	235.56	38
40. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	भारित	40. Indian Audit and Accounts Department	Charged	2.68	...	2.68	39
41. राजस्व विभाग	स्वीकृत	41. Department of Revenue	Voted	0.01	...	0.01	40
42. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	42. Direct Taxes	Voted	65.05	...	65.05	41
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	16.80	16.81	42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.04	25.35	25.39	43-45
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	47. Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.01	...	0.01	46
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
48. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	48. Department of Heavy Industry	Voted	188.31	613.38	801.69	47-48
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
50. गृह मंत्रालय	भारित	50. Ministry of Home Affairs	Charged	0.01	...	0.01	49
	स्वीकृत		Voted	9.22	...	9.22	
51. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	51. Cabinet	Voted	72.41	...	72.41	50
52. पुलिस	स्वीकृत	52. Police	Voted	0.01	0.01	0.02	51
53. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय		53. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs					
	स्वीकृत		Voted	283.16	...	283.16	52
54. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	54. Transfers to Union Territory Governments	Voted	120.49	...	120.49	53
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
55. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	55. Department of School Education and Literacy	Voted	189.28	...	189.28	54
56. उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	56. Department of Higher Education	Voted	133.73	...	133.73	55-57

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
57. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	57. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.03	...	0.03	58
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
58. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	58. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	0.01	0.02	59
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
59. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Labour and Employment	Voted	500.01	...	500.01	60
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
60. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	60. Election Commission	Voted	1.36	...	1.36	61
62. भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	62. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	8.73	...	8.73	62
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
63. खान मंत्रालय	भारित स्वीकृत	63. Ministry of Mines	Charged Voted	4.65 66.14	4.65 66.14	63
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
66. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	भारित स्वीकृत	66. Ministry of Earth Sciences	Charged Voted	0.05 56.05	... 59.10	0.05 115.15	64-65
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
69. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	भारित	69. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Charged	0.47	2.00	2.47	66
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
70. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	5000.01	528.58	5528.59	67
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
72. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	72. Ministry of Power	Voted	0.02	...	0.02	68
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE - PRESIDENT					
75. राज्यसभा	भारित स्वीकृत	75. Rajya Sabha	Charged Voted	0.18 0.93	0.18 0.93	69
76. विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग	भारित	76. Appropriation - Union Public Service Commission	Charged	4.50	...	4.50	70
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
78. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	78. Department of Rural Development	Voted	0.20	...	0.20	71
80. पेय जलापूर्ति विभाग	स्वीकृत	80. Department of Drinking Water Supply	Voted	0.01	...	0.01	72
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
81. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	81. Department of Science and Technology	Voted	0.02	...	0.02	73
82. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	82. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	0.02	...	0.02	74
83. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	83. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	0.01	75

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
84. नौवहन विभाग	स्वीकृत	84. Department of Shipping	Voted	105.70	0.01	105.71	76-77
85. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	स्वीकृत	85. Department of Road Transport and Highways	Voted	0.01	...	0.01	78
लघु उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES					
86. लघु उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	86. Ministry of Small Scale Industries	Voted	0.01	...	0.01	79
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
87. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Social Justice and Empowerment	Voted	60.52	...	60.52	80
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
89. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	89. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	12.62	...	12.62	81
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
90. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	90. Ministry of Steel	Voted	165.80	1.73	167.53	82
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
91. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Textiles	Voted	297.52	0.02	297.54	83-84
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
92. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	85
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
93. जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित स्वीकृत	93. Ministry of Tribal Affairs	Charged	33.88	...	33.88	86-87
			Voted	0.02	...	0.02	
गृह मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		MINISTRY OF HOME AFFAIRS UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
94. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	94. Andaman and Nicobar Islands	Voted	40.17	...	40.17	88-89
95. चंडीगढ़	भारित स्वीकृत	95. Chandigarh	Charged	0.24	...	0.24	90-92
			Voted	55.59	25.34	80.93	
96. दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत	96. Dadra and Nagar Haveli	Voted	1.00	...	1.00	93
97. दमन और दीव	स्वीकृत	97. Daman and Diu	Voted	50.70	...	50.70	94
98. लक्षद्वीप	स्वीकृत	98. Lakshadweep	Voted	43.01	7.30	50.31	95-97
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
99. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	99. Department of Urban Development	Voted	24.26	12.43	36.69	98
100. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	100. Public Works	Voted	...	25.71	25.71	99-100
101. लेखन-सामग्री और मुद्रण	स्वीकृत	101. Stationery and Printing	Voted	7.98	...	7.98	101
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
104. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.02	...	0.02	102
कुल जोड़		GRAND TOTAL		28520.27	357816.49	386336.76	
	भारित		Charged	4931.42	350283.44	355214.86	
	स्वीकृत		Voted	23588.85	7533.05	31121.90	
अनुबंध		ANNEXURE					

मांग संख्या DEMAND NO.1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिए)।

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	...	178.88
	स्वीकृत	Voted:	4969.43	5040.28
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	0.01	0.02
	स्वीकृत	Voted:	0.03	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	265.02	265.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5234.49	249.75	5484.24
	भारित	Charged:	0.01	178.89
	स्वीकृत	Voted:	5234.48	5305.34

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401- कृषि कार्य	स्वीकृत 2401-Crop Husbandry	Voted:	65.00 (का)	200.00 (खb)
2425- सहकारिता	स्वीकृत 2425-Cooperation	Voted:	0.01 (गc)	...
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत 2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (घd)	...
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	65.02	200.00
				265.02

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(क) कृषि संबंधी आर्थिक नीति और विकास हेतु निविष्टियों पर अध्ययन (3.46 करोड़ रुपए); (ii) एकीकृत तिलहन/पाम आयल तिलहन और मक्का विकास (आइसोपाम) (12 करोड़ रुपए); (iii) कार्य योजना (वृहत् प्रबंधन) के जरिए राज्यों के प्रयास का सम्पूर्ण/पूरकीकरण (11.20 करोड़ रुपए); और (iv) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के कार्यान्वयन हेतु भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) को भुगतान हेतु (135.37 करोड़ रुपए) की उपरोक्त योजनाओं संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि 97.03 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के राजस्व भाग में पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध हैं और 10 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के पूँजी भाग से अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः 55 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा;

(a) To meet additional expenditure on the schemes of: (i) Studies on Inputs for Agricultural Economic Policy and Development (Rs.3.46 crore); (ii) Integrated Oilseed/Oil Palm/Pulses and Maize Development (ISOPOM) (Rs.12 crore); (iii) Supplementation/Complementation of States' Efforts Through Work Plan (Macro-Management) (Rs.11.20 crore); and (iv) For payment to Agriculture Insurance Company of India (AIC) for implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) (Rs.135.37 crore). As savings of Rs.97.03 crore are available for re-appropriation within the Revenue section of the Grant and savings of Rs.10 crore will be surrendered from the Capital section of the Grant, the net cash out go will be Rs.55 crore.

(ख) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरसों के मूल्य समर्थन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरसों के बीजों की अधिप्राप्ति/निपटान

(b) For reimbursement of losses incurred by National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India

पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि. (नाफेड) द्वारा उठाए गए नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु (300 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः 200 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान का अनुरोध किया गया है।

(ग) सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्संरचित योजना के तहत कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को अतिरिक्त सहायता अनुदान (3 करोड़ रुपए) और सहकारिता के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता (21 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है;

(घ) सहकारिता के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (4 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

Limited (NAFED) on procurement/disposal of mustard seeds under the Price Support Operations for Mustard during Rabi 2005-06 and 2006-07 (Rs.300 crore). As savings of Rs.100 crore are available within the Revenue section of the Grant, supplementary for the balance amount of Rs.200 crore is sought.

(c) For providing additional grants-in-aid to implementing agencies under the restructured scheme of Cooperative Education and Training (Rs.3 crore) and assistance to National Cooperative Development Corporation (NCDC) for development of cooperatives (Rs.21 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) For providing additional grants-in-aid to National Cooperative Development Corporation (NCDC) for development of cooperatives (Rs.4 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2, वर्ष 2006-2007 की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिए)।

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 2 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	2160.00	...	2160.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	50.01	...	50.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	65.99	...	65.99
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	2276.00	...	2276.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	स्वीकृत	2415-Agricultural Research and Education	Voted:	21.99 (का)	36.00 (खb)	57.99
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	8.00 (गc)	...	8.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	29.99	36.00	65.99

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान के रूप में भुगतान करने हेतु किया गया है:-

(क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को आधारभूत संरचना के उन्नयन पर होने वाले व्यय (30 करोड़ रुपये) के लिए सहायता अनुदान जारी करना ताकि यह विश्वविद्यालय उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपना विकास करने हेतु सक्षम हो सके। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत 8.01 करोड़ रुपये की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए 21.99 करोड़ रुपये की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान का अनुरोध किया गया है।

(ख) समतुल्य अनुदान के सम्बन्ध में।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के सम्बन्ध में एकमुश्त प्रावधान के अन्तर्गत निधियों में वृद्धि करने हेतु।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are sought for payment as grants-in-aid to the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for the following purposes:

(a) Releasing grants-in-aid to Punjab Agricultural University, Ludhiana to incur expenditure on upgrading the infrastructure so as to enable it to develop as an institution of excellence (Rs.30 crore). As savings of Rs.8.01 crore are available within the Revenue section of the Grant, supplementary grant for the balance amount of Rs.21.99 crore is sought.

(b) Towards matching grant.

(c) For augmentation of funds under the lumpsum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)।

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1030.72	15.14	1045.86
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRANT :			
	स्वीकृत	Voted:	110.01	...	110.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1140.76	15.14	1155.90

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2403-पशु पालन	स्वीकृत	2403-Animal Husbandry	Voted :	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2404-डेरी विकास	स्वीकृत	2404-Dairy Development	Voted :	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है :-

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत स्थित प्रयोगशाला के निर्माण पर व्यय हेतु उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम को सहायता अनुदान (6.80 करोड़ रुपए); राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत के लिए उपकरणों के आयात पर सीमा-शुल्क का भुगतान (2 करोड़ रुपए); "पक्षी इन्फ्लुएंजा रोग से निपटने की तैयारी करने, उसके नियंत्रण एवं रोकथाम" के लिए विदेशी सहायता प्राप्त एक नई परियोजना के कार्यान्वयन पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (10 करोड़ रुपए); और राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन कार्यक्रम के तहत उच्च क्षमता वाले दुधारु पशुओं को पालने, बछड़ा पालन कार्यक्रम, पशु एवं भैंस प्रजनन एवं आहार एवं चारा आपूर्ति कार्यक्रम के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान जारी करना (23.30 करोड़ रुपए);</p> <p>(ख) पक्षी फ्लू के प्रकोप के कारण कुक्कुट पालन उद्योग को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कुक्कुट पालकों के प्रति बकाया मूलधन की राशि पर एक वर्ष की अवधि के लिए 4 प्रतिशत की एकबारगी ब्याज सब्सिडी पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (27 करोड़ रुपए); और</p> <p>(ग) गहन डेरी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु भिन्न-भिन्न दुग्ध यूनियनों/परिसंघों को सहायता अनुदान (10.50 करोड़ रुपए)।</p> | <p>(a) Grants-in-aid to UP State Industrial Development Corporation for incurring expenditure on construction of a laboratory at the National Institute of Animal Health, Bagpat (Rs. 6.80 crore); payment of customs duty on import of equipments for the National Institute of Animal Health, Bagpat (Rs. 2 crore); for meeting expenditure on the implementation of a new Externally Aided Project "Preparedness, Control and Containment of Avian Influenza" (Rs. 10 crore); and release as grants-in-aid to State Implementing Agencies for providing economic relief to farming population for induction of high yielding milch animals, calf rearing programme, cattle buffalo breeding and Feed and Fodder Supply Programme under the National Project for Cattle & Buffalo Breeding (Rs. 23.30 crore);</p> <p>(b) For meeting additional expenditure on one time interest subvention of 4% for a period of one year on principal amount outstanding against poultry farmers as on 31.3.2006 to provide financial relief to the poultry industry following the outbreak of Avian Flu (Rs. 27 crore); and</p> <p>(c) Grants-in-aid to different milk unions/federations for implementation of Intensive Dairy Development Programme (Rs. 10.50 crore).</p> |
|--|---|

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदानों के लिए अनुरोध किया गया है।

As matching savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 5

परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5; अनुदानों की पहली पूरक मांगों के पृष्ठ 5-6 और अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों के पृष्ठ 4-5 देखिए)।

(See page 5 of the Demands for Grants; pages 5-6 of First Supplementary Demands for Grants and pages 4-5 of Second Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	1.60	6.50
	स्वीकृत	Voted:	2080.63	1838.48
				3919.11
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	0.30	5.00
	स्वीकृत	Voted:	202.36	...
				202.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...
				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2284.91	1849.98	4134.89
	भारित	Charged:	1.90	11.50
	स्वीकृत	Voted:	2283.01	1838.48
				4121.49

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (क) (ख)	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	0.01	0.02
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01
				0.02

इस पूरक अनुदान का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजन हेतु है:

The supplementary grant is sought for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) (i) दसवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं को पूरा करने हेतु टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को (7.75 करोड़ रुपए); (ii) 'विश्वविद्यालयों को सहायता' के तहत विकिरण औषधि केन्द्रों और कैंसर अस्पतालों की सहायता के लिए संस्था सोसाइटियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के अनुसंधान हेतु (1.00 करोड़ रुपए); और (iii) कम्प्यूटर प्रणाली और पुस्तकालय उन्नयन हेतु गणित विज्ञान संस्थान, चेन्नई को (0.37 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त सहायता अनुदान।</p> <p>(ख) (i) हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान (0.39 करोड़ रुपए); और (ii) रखरखाव संबंधी व्यय हेतु प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर को (0.40 करोड़ रुपए) अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु।</p> | <p>(a) Additional grants-in-aid (i) to Tata Institute of Fundamental Research for completion of Tenth Five Year Plan projects (Rs.7.75 crore); (ii) to research institution societies and non-government institutions to support radiation medicine centres and cancer hospitals under 'Assistance to Universities' (Rs.1.00 crore); and (iii) to Institute of Mathematical Sciences, Chennai for computer system and library upgradation (Rs.0.37 crore).</p> <p>(b) Additional grants-in-aid to (i) Harish Chandra Research Institute (Rs.0.39 crore); and (ii) Institute of Plasma Research, Gandhinagar (Rs.0.40 core) for maintenance expenditure.</p> |
|---|---|

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.7

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)।
(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:		93.20	76.20	169.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:		84.00	339.69	423.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:		732.57	72.50	805.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:		909.77	488.39	1398.16

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2852- उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	732.57 (का)
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4857- रसायन एवं भेषज उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4857-Capital outlay on Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted:	55.01 (खब)	...
6857- रसायन एवं भेषज उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted:	...	17.49 (गक)
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	55.01	17.49
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	55.01	750.06

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:-

The supplementary grants are required for the following purposes: -

- (क) (i) आवश्यक लेखांकन समायोजन करने हेतु अर्थात् (i) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. के सम्बन्ध में दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार आयोजना ऋण (81.67 करोड़ रुपए) और आयोजना ऋण पर ब्याज (177.76 करोड़ रुपए) से छूट देना, (ii) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. के संबंध में दिनांक 31.3.2006 की स्थिति अनुसार आयोजना ऋण (66.40 करोड़ रुपए) और आयोजना ऋण पर ब्याज (126.69 करोड़ रुपए) से छूट देना, और (iii) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. के संबंध में दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार आयोजना तथा आयोजना भिन्न ऋण (71.70 करोड़ रुपए) तथा आयोजना और आयोजना भिन्न ऋण पर ब्याज (161.71 करोड़ रुपए) से छूट देना। इन्हें प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ii) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के संबंध में वेतन के बकायों, चिकित्सा उपचार तथा व्यावसायिक सेवाओं के संबंध में भुगतान करने के लिए (1.94 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (a) (i) For carrying out necessary accounting adjustment viz. (i) waiver of Plan loan (Rs.81.67 crore) and interest on Plan Loan (Rs.177.76 crore) as on 31.3.2005 in respect of Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL), (ii) waiver of Plan loan (Rs.66.40 crore) and interest on Plan Loan (Rs.126.69 crore) as on 31.3.2006 in respect of Hindustan Insecticides Ltd. (HIL), and (iii) waiver of Plan and Non -Plan loan (Rs.71.70 crore) and interest on Plan and Non Plan Loan (Rs.161.71 crore) as on 31.3.2005 in respect of Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (BCPL). These will be matched by receipts, and hence will not entail cash outgo.
- (ii) For payment of arrears of salary, for medical treatment and for professional services in connection with the Bhopal Gas Leak Disaster (Rs.1.94 crore). This will entail net cash outgo.

- | | |
|--|---|
| <p>(iii) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल) के संबंध में वीआरएस के लिए अनुदान (20 करोड़ रुपए) तथा वेतन संशोधन बकार्यों के भुगतान हेतु एकबारगी अनुदान (24.70 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।</p> | <p>(iii) Grant for VRS (Rs.20 crore) and one time Grant for payment of wage revision arrears (Rs.24.70 crore) in respect of Bengal Chemicals & Pharmaceutical Ltd. (BCPL). This will entail net cash outgo.</p> |
| <p>(ख) (i) बीसीपीएल को 55 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता। इसमें निवल नकद व्यय होगा।</p> <p>(ii) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड लि. के संबंध में लेखांकन समायोजन अर्थात् भारत सरकार के ऋण (31.55 करोड़ रुपए) को इक्विटी में बदलने हेतु सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> | <p>(b) (i) For equity support of Rs.55 crore to BCPL. This will entail net cash outgo.</p> <p>(ii) A token supplementary is sought for carrying out accounting adjustments, viz. conversion of Government of India loan (Rs.31.55 crore) into equity in respect of Hindustan Insecticides Ltd. (HIL).</p> |
| <p>(ग) बीसीपीएल को 17.49 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त आयोजना भिन्न ऋण के लिए। इसमें निवल नकद व्यय होगा।</p> | <p>(c) For interest free Non Plan Loan of Rs.17.49 crore to BCPL. This will entail net cash outgo.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 8

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2006-07 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 तथा वर्ष 2006-07 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-07, page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07 and Page 7 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	18049.02	105.04	18154.06
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	7170.37	...	7170.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	3533.79	12.18	3545.97
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	28753.18	117.22	28870.40
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	28753.18	117.22	28870.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2401- कृषि कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	...	2250.00 (क) 2250.00
2852- उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	1250.00 (ख) 1250.00
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3475-Other General Economic Services	Voted:	...	33.79 (ग) 33.79
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	...	3533.79 3533.79
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
6855- उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत	6855-Loans for Fertiliser Industries	Voted:	...	12.18 (घ) 12.18
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	3545.97 3545.97

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

This supplementary grant is required for the following purposes:-

(क) (i) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (1000.00 करोड़ रुपए)।

(a) (i) subsidy on imported decontrolled fertilisers (Rs.1000.00 crore).

(ii) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (1250.00 करोड़ रुपए)।

(ii) subsidy on indigenous decontrolled fertilisers (Rs.1250.00 crore).

(ख) स्वदेशी यूरिया पर सब्सिडी (1250.00 करोड़ रुपए)

(b) subsidy on indigenous urea (Rs.1250.00 crore).

(क) और (ख) के अन्तर्गत नकद व्यय होगा।

Expenditure under (a) and (b) will involve cash outgo.

(ग) उर्वरक तथा रसायन त्रावणकोर लि. (एफएसीटी) के सम्बन्ध में बकाया ऋण पर दांडिक ब्याज को बट्टे खाते डालना। इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(c) Write-off of penal interest on outstanding loan in respect of Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. (FACT). This will be matched by receipts, and hence will not entail cash outgo.

(घ) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम (6.79 करोड़ रुपए), भारतीय उर्वरक निगम (4.48 करोड़ रुपए) और पाइराइट्स, फोस्फेट तथा केमिकल लि. (0.91 करोड़ रुपए) के कर्मचारियों के लिए ऑफर की गयी स्वैच्छिक पृथक्करण योजना/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनुग्रह तथा उपादान के भुगतान के लिए प्रशिक्षण अवधि को शामिल करना। इसमें नकद व्यय होगा।

इस पूरक अनुदान में 3512.18 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

(d) inclusion of training period for payment of ex-gratia and gratuity under Voluntary Separation Scheme/Voluntary Retirement Scheme to employees of Hindustan Fertilizer Corporation (Rs.6.79 crore), Fertilizer Corporation of India (Rs.4.48 crore) and Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd. (Rs.0.91 crore). This will involve cash outgo.

This supplementary will entail a cash outgo of Rs.3512.18 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.9
नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	372.73	75.91	448.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	84.91	...	84.91
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	457.64	75.91	533.55

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation			
स्वीकृत	Voted:	...	84.91	84.91

यह पूरक अनुदान एअर इंडिया को हज यात्रियों के लिए विशेष विमानों की व्यवस्था के व्यय की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आवश्यक है। 25.91 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों द्वारा पूरी की जाएगी जिसके लिए तकनीकी पूरक अनुदान का अनुरोध किया गया है। बकाया 59 करोड़ रुपए राशि के संबंध में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for payment of compensation to Air India towards operation of Haj Charters. An amount of Rs.25.91 crore will be met by savings in the Capital Section of the grant for which a technical supplementary is sought. The balance amount of Rs.59 crore will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 10

कोयला मंत्रालय
MINISTRY OF COAL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2006-2007 की दूसरी पूरक अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)।
(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 8 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	205.71	235.71
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	131.71	131.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	0.08	0.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	337.50	30.00	367.50
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	337.50	367.50

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2803- कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत	2803-Coal and Lignite	Voted:	0.07 (खb)	...	0.07
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.08	...	0.08
	स्वीकृत		Voted:	0.08	...	0.08

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is sought:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान के तहत निधियां बढ़ाने के लिए (13.13 करोड़ रुपए) चूंकि बचतें उसी भाग में उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(a) For augmentation of funds under the lump sum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim (Rs.13.13 crore). As savings are available within the same section of the grant a token supplementary is sought.

(ख) 'डिटेल्ड ड्रिलिंग' योजना पर किए गए अतिरिक्त व्यय (9.38 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए मांगा गया है। अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों के पुनर्विनियोग के बाद इसमें 0.07 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

(b) To meet additional expenditure for the scheme 'Detailed Drilling' (Rs.9.38 crore). After re-appropriation of the savings available within the same section of the grant, this will entail net cash outgo of Rs.0.07 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 11

वाणिज्य विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक अनुदान मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 9 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	1872.74	654.00	2526.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	1.40	...	1.40
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	381.32	0.01	381.33
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2255.58	654.01	2909.59	
	भारित	Charged:	1.50	...	1.50
	स्वीकृत	Voted:	2254.08	654.01	2908.09

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग			REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	स्वीकृत	3453-Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	...	381.32 (का)	381.32
पूंजी भाग			CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
4407-बागान पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4407-Capital Outlay on Plantations	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.01	381.32	381.33

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

- (क) (i) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए मानित निर्यातों पर शुल्क वापसी और केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लम्बित दावों के निपटान हेतु (469.35 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 97.35 करोड़ रुपए की बचतों के पुनःविनियोजन (के बाद और अनुदान के पूँजी भाग से 72.00 करोड़ रुपए के अभ्यर्पण के पश्चात् इसमें 300.00 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा; तथा
- (ii) सूत, गुजरात के बाढ़ ग्रस्त 6000 रत्न और आभूषण यूनिटों को सहायता प्रदान करने हेतु (9.32 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) विशेष प्रयोजन चाय निधि को पूँजी अंशदान हेतु (30.00 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

This supplementary grant is required for:

- (a) (i) Settlement of pending claims of Duty Drawback on Deemed Exports and reimbursement of Central Sales Tax for Special Economic Zones (Rs.469.35 crore). After re-appropriation of the savings of Rs.97.35 crore available within the same section of the grant and surrender of Rs.72.00 crore from Capital section of the grant, this will entail net cash outgo of Rs.300.00 crore; and
- (ii) Assisting the flood affected 6000 gems and jewellery units of Surat, Gujarat (Rs.9.32 crore). This will entail net cash outgo.
- (b) Capital contribution to 'Special Purpose Tea Fund' (Rs.30.00 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.13

डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरे बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)।
(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.05	...	0.05
	स्वीकृत	Voted:	6533.64	385.97	6919.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	0.03	0.01	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.15	...	0.15
	स्वीकृत	Voted:	365.24	0.01	365.25
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6899.11	385.99	7285.10	
	भारित	Charged:	0.23	0.01	0.24
	स्वीकृत	Voted:	6898.88	385.98	7284.86
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services				
	भारित	Charged:	...	0.15 (का)	0.15
	स्वीकृत	Voted:	8.62 (खब)	356.47 (गक)	365.09
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.15 (घद)	...	0.15
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	8.77	356.62	365.39
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services	Voted:	...	0.01 (डे)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	8.77	356.63	365.40	
	भारित	Charged:	...	0.15	0.15
	स्वीकृत	Voted:	8.77	356.48	365.25
टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।					
Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	...	(-) 75.25	(-) 75.25	

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पूरक अनुदान/विनियोग का अनुरोध किया गया है:-

- विभागीय डाक मोटर सेवा के तहत न्यायालय के आदेशों की वजह से किए जाने वाले भुगतानों को पूरा करने के लिए (0.15 करोड़ रुपए)।
- विभागीय उप-कार्यालयों, 'प्रीमियम उत्पादों के सर्वर्धन, प्रशिक्षण', विरासत भवन के परिरक्षण के संबंध में किए गए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (8.62 करोड़ रुपए)।
- मुख्य रूप से वेतन, मजदूरी, रेल और हवाई डाक वाहनों को देय ढुलाई प्रभारों, ग्रामीण डाक आजीवन बीमा और अधिवर्षिता एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- For meeting payment arising out of court decrees under departmental mail motor service (Rs.0.15 crore).
- For meeting additional expenditure towards 'Departmental Sub Offices', 'promotion of premium products', 'training' and 'preservation of heritage building' (Rs.8.62 crore).
- For meeting additional expenditure, mainly, towards salaries, wages, haulage charges payable to Railways and air mail carriers, Rural Postal Life Insurance and Superannuation

के लिए (356.47 करोड़ रुपए)।	and other retirement benefits (Rs.356.47 crore).
(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.15 करोड़ रुपए)।	(d) For meeting additional expenditure towards development of North Eastern Region(Rs.0.15 crore).
(ङ) डाक मोटर वाहनों के आधुनिकीकरण के लिए (3 करोड़ रुपए) चूंकि अनुदान के आयोजना पक्ष के तहत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।	(e) For modernization of mail motor vehicles (Rs.3 crore). As savings are available under Plan side of the grant, a token supplementary is sought.
अतिरिक्त प्राप्तियों (351.74 करोड़ रुपए) और वसूलियां (75.25 करोड़ रुपए) को हिसाब में लेने के बाद, इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।	After taking into account the additional receipts (Rs.351.74 crore) and recoveries (Rs.75.25 crore), the supplementary does not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 14

दूर-संचार विभाग
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)।

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 12 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	4565.46	101.00
पूरक अनुदान :	SUPPLEMENTARY GRANT :			
	स्वीकृत	Voted:	...	25.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.04	...
	स्वीकृत	Voted:	60.59	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4626.09	126.00	4752.09
	भारित	Charged:	0.04	...
	स्वीकृत	Voted:	4626.05	126.00

- II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat Economic Services	Charged:	...	0.04 (का)
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and Other Retirement Benefits	Voted:	...	60.59 (खb)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		60.63	60.63
	भारित	Charged:	...	0.04
	स्वीकृत	Voted :	...	60.59

इस पूरक विनियोग/अनुदान का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है :-

The supplementary appropriation/grant is sought for the following purposes:-

- | | |
|--|--|
| <p>(क) दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाता के पक्ष में दिए गए फैसले के कारण ब्याज का भुगतान करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से 0.04 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी जिसकी प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान पारित होने के बाद की जाएगी।</p> <p>(ख) दूर-संचार विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने के लिए (60.59 करोड़ रुपए)।</p> <p>अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों को हिसाब में लेने के बाद, इस पूरक अनुदान पर 11.23 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) Payment of interest arising out of an award by Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) in favour of a telecom service provider. An amount of Rs. 0.04 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India which shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed.</p> <p>(b) Payment of pensionary benefits to the erstwhile employees of Department of Telecommunications (Rs. 60.59 crore).</p> <p>After taking into account the savings available in the capital section of the grant, the cash outgo on account of this supplementary is Rs. 11.23 crore.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 15

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)।

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1025.00	101.00	1126.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	4.40	4.41
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1025.01	105.40	1130.41
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1025.01	105.40	1130.41

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4859-दूरसंचार तथा		4859-Capital Outlay on				
इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों		Telecommunication				
पर पूंजी परिव्यय		and Electronic				
	स्वीकृत	Industries	Voted:	4.40 (खb)	...	4.40
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		4.41	...	4.41
	स्वीकृत		Voted:	4.41	...	4.41

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजन के लिए है:

The supplementary grant is required for:

(क) (i) स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के विकास के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं और स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त अपेक्षाएं (11.00 करोड़ रुपए); और

(a) (i) On-going projects and additional requirements of approved projects under Development of Strategic Electronic Equipment (Rs.11.00 crore); and

(ii) मीडिया लैब एशिया के तहत चल रही परियोजनाएं (10.00 करोड़ रुपए)। चूंकि इस अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

(ii) On-going projects under Media Lab Asia (Rs.10.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) भवन निर्माण के मानकीकरण, परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम (3.00 करोड़ रुपए) हेतु और मशीनरी तथा उपस्कर (1.40 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अपेक्षा की पूर्ति हेतु। चूंकि समतुल्य राशि इस अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(b) Meeting additional requirement in Standardisation, Testing and Quality Control Programme for construction of building (Rs.3.00 crore) and for machinery and equipment (Rs.1.40 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section of the Grant, a technical supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.16

कम्पनी कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)।

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	135.00	10.00	145.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	...	26.80	26.80
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	135.00	36.80	171.80
	स्वीकृत	Voted:	135.00	36.80	171.80

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5475-Capital Outlay on other General Economic Services	Voted:	...	26.80
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	26.80

यह पूरक अनुदान बंगलौर और चेन्नई में निर्मित कार्यालय के स्थान की खरीद और जयपुर, कटक और चंडीगढ़ में कार्यालय परिसरों को निर्माण पर अतिरिक्त व्यय (26.80 करोड़ रुपए) हेतु माँगा गया है। चूँकि, अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for additional expenditure on purchase of built up office space at Bangalore and Chennai and construction of office complexes at Jaipur, Cuttack and Chandigarh (Rs.26.80 crore). As equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 18

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18, वर्ष 2006-2007 की पहली पूरक अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)।

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 13 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	24655.88	339.60	24995.48
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	0.93	...	0.93
	स्वीकृत	Voted:	1.12	...	1.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	24657.96	339.61	24997.57
	भारित	Charged:	0.95	...	0.95
	स्वीकृत	Voted:	24657.01	339.61	24996.62

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2408-खाद्य, भंडारण और भंडागारण	स्वीकृत	2408-Food, Storage and Warehousing	Voted:	...	0.01 (का)
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों को ऋण	स्वीकृत	6860-Loans for Consumer Industries	Voted:	...	0.01 (खb)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	0.02

निम्नांकित उद्देश्यों के लिए पूरक अनुदान मांगा जा रहा है:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (क) (i) चीनी के बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए चीनी मिलों को अतिरिक्त सब्सिडी (30 करोड़ रुपए); और
(ii) गन्ना विकास संबंधी शोध परियोजनाओं पर काम कर रही विविध संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.90 करोड़ रुपए)।
- (ख) बगासी आधारित सह-विद्युतनिर्माण परियोजना हेतु चीनी कारखानों को अतिरिक्त सहायता (11.76 करोड़ रुपए)।
- (a) (i) Additional subsidy to sugar factories for maintenance of buffer stock of sugar (Rs.30 crore); and
(ii) Grants-in-aid to various institutions dealing with research projects on sugarcane development (Rs.0.90 crore).
- (b) Additional loans to sugar factories for bagasse based co-generation power project (Rs.11.76 crore).
- चूंकि अनुदान के इस हिस्से में बचत उपलब्ध है, प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे जा रहे हैं।
- As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 19

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिए और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच का पृष्ठ 13 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पूरक मांगों के दूसरे बैच का पृष्ठ 14 देखिए)।

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 13 of First batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 14 of second batch of supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	772.00	48.00	820.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	25.06	...	25.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	797.08	48.00	845.08

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2205-कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	2205-Art and Culture	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ (परक)		Total (Supplementary)		0.01	0.01	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं:

The supplementary grant are sought for the following purposes:

(क) भारतीय और विदेशी रंगमंच समूहों द्वारा नौवां भारत रंग महोत्सव कोलकाता में दूसरा उपग्रह उत्सव के आयोजना तथा दिल्ली एवं कोलकाता में नाटक साशा वालटूज के निर्माण हेतु राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को सहायता-अनुदान (2 करोड़ रुपए)।

(a) Grants-in-aid to National School of Drama (Rs.2 crore), for organizing 9th Bharat Rang Mahotsava by Indian and Foreign Theatre Groups, 2nd Sattellite Festival at Kolkata and production of play SASHA WALTZ in Delhi and Kolkata.

(ख) (i) लमही में मुंशी प्रेमचन्द स्मृति अनुसंधान एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु (2 करोड़ रुपए)

(b) (i) For setting up of Munsii Premchand Memorial Research and Study Centre at Lamhi (Rs.2 crore).

(ii) मगन संग्रहालय ट्रस्ट, वर्धा को संचित निधि में वृद्धि करने के लिए सहायता अनुदान (4 करोड़ रुपए) ताकि ट्रस्ट अपने कार्यकलाप जारी रख सके

(ii) Grants-in-aid to Magan Sangrahalaya Trust, Wardha (Rs.4 crores) as enhancement of corpus fund, to enable the trust to continue with their activities.

(iii) सेवाग्राम आश्रम ट्रस्ट वर्धा को सहायता अनुदान (5 करोड़ रुपए) ताकि आश्रम के प्राधिकारी संचित निधि सृजित कर सकें जिससे वे अपने कार्यकलाप जारी रख सकेंगे।

(iii) Grants-in-aid to Sevagram Ashram Trust Wardha (Rs.5 crore) to enable the Ashram authority to create a corpus fund which will allow them to continue with their activities.

(iv) मुम्बई, मदुराई, पटना और बैरकपुर में चार क्षेत्रीय गांधी संग्रहालयों को एक-एक करोड़ रुपए की अतिरिक्त संचित निधि ताकि ट्रस्ट अपने कार्यकलाप जारी कर सकें।

(iv) Additional corpus fund of Rs.1 crore each to four Regional Gandhi Museums at Mumbai, Madurai, Patna and Barrackpore to enable these trusts to continue with their activity.

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचते उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, token supplementaries have been sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 21

रक्षा पेंशन DEFENCE PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिए)।

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.25	...	0.25
	स्वीकृत	Voted:	13223.75	...	13223.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	582.00	...	582.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	13806.00	...	13806.00	
	भारित	Charged:	0.25	...	0.25
	स्वीकृत	Voted:	13805.75	...	13805.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071- पेंशन तथा अन्य	2071- Pensions and Other			
सेवानिवृत्ति लाभ	Retirement Benefits			
	स्वीकृत	Voted:	...	582.00
			582.00	582.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता दिनांक 1-1-2006 और 1-7-2006 से प्रभावी पेंशनरों को स्वीकृत अतिरिक्त मँहगाई राहत प्रदान करने के कारण हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए है। इस पूरक अनुदान के कारण 582 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The Supplementary Grant is required for meeting additional expenditure owing to additional dearness relief sanctioned to pensioners with effect from 1.1.2006 and 1.7.2006. Cash outgo on account of this supplementary will be Rs.582 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 22

रक्षा सेवाएं - थल सेना
DEFENCE SERVICES - ARMY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)।
(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	14.10	...	14.10
	स्वीकृत	Voted:	33191.04	...	33191.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	3.59	...	3.59
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	33208.73	...	33208.73	
	भारित	Charged:	17.69	...	17.69
	स्वीकृत	Voted:	33191.04	...	33191.04

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं - थल सेना	2076-Defence Services - Army			
भारित	Charged:	...	3.59	3.59

यह पूरक विनियोग न्यायालय डिक्रियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि, व्यय की प्रतिपूर्ति बचतों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Appropriation is required for meeting additional expenditure arising out of Court decrees. There will be no cash outgo as the expenditure is matched by savings.

मांग संख्या DEMAND NO. 23

रक्षा सेवाएं - नौसेना
DEFENCE SERVICES - NAVY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)।

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.37	...	1.37
	स्वीकृत	Voted:	6790.41	...	6790.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	98.86	...	98.86
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6890.64	...	6890.64	
	भारित	Charged:	1.37	...	1.37
	स्वीकृत	Voted:	6889.27	...	6889.27

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2077-रक्षा सेवाएं - नौसेना	2077-Defence Services - Navy			
	स्वीकृत	Voted:	...	98.86
			98.86	98.86

यह पूरक अनुदान 'वेतन', 'परिवहन' और सुनामी पश्च परिचालन तथा रखरखाव संबंधी निर्माण कार्यों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि व्यय की प्रतिपूर्ति बचतों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Grant is required for meeting additional expenditure towards 'salaries', 'transportation' and on operational and maintenance works carried out post Tsunami. There will be no cash outgo as the expenditure is matched by savings.

मांग संख्या DEMAND NO. 24

रक्षा सेवाएं - वायु सेना
DEFENCE SERVICES - AIR FORCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)।
(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	5.93	...	5.93
	स्वीकृत	Voted:	10081.43	...	10081.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	34.46	...	34.46
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10121.82	...	10121.82	
	भारित	Charged:	5.93	...	5.93
	स्वीकृत	Voted:	10115.89	...	10115.89

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2078-रक्षा सेवाएं - वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force			
स्वीकृत	Voted:	...	34.46	34.46

यह पूरक अनुदान अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण 'वेतन' के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि व्यय की प्रतिपूर्ति बचतों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Grant is required for meeting additional expenditure under 'salaries' due to payment of additional DA. There will be no cash outgo as the expenditure is matched by savings.

मांग संख्या DEMAND NO. 25

रक्षा आयुध कारखाने
DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)।

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.00	...	1.00
	स्वीकृत	Voted:	1499.08	...	1499.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	3.00	...	3.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1503.08	...	1503.08	
	भारित	Charged:	4.00	...	4.00
	स्वीकृत	Voted:	1499.08	...	1499.08

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2079-रक्षा सेवाएं-आयुध सेवाएं	2079-Defence Services-Ordnance Factories			
	भारित	Charged:	...	3.00
			3.00	3.00

यह पूरक विनियोग न्यायालय डिक्रियों के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि, व्यय की प्रतिपूर्ति बचतों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Appropriation is required to meet additional expenditure arising out of Court decree. There will be no cash outgo as the expenditure is matched by savings.

मांग संख्या DEMAND NO. 26

रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास
DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिए)।
(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.24	...	0.24
	स्वीकृत	Voted:	3019.84	...	3019.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	10.68	...	10.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3030.76	...	3030.76	
	भारित	Charged:	0.24	...	0.24
	स्वीकृत	Voted:	3030.52	...	3030.52

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2080-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and Development			
	स्वीकृत	Voted:	...	10.68
			10.68	10.68

यह पूरक अनुदान विभिन्न परियोजनाओं पर 'अनुसंधान/अनुसंधान विकास' के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि, व्यय की प्रतिपूर्ति बचतों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Grant is required to meet additional expenditure under 'Research/Research Development' on various projects. There will be no cash outgo as the expenditure is matched by savings.

मांग संख्या DEMAND NO. 28

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)।
(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 17 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान :		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1253.74	109.05	1362.79
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	...	2.00	2.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.50	...	0.50
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1254.24	111.05	1365.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070- Other Administrative Services	Voted:	...	0.50
					0.50

इस पूरक अनुदान का अनुरोध पूर्वोत्तर परिषद के सचिवालय (एनईसी) के स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional establishment expenditure of the Secretariat of the North Eastern Council (NEC). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 29

पर्यावरण और वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19; अनुदान की प्रथम पूरक मांगों का पृष्ठ 15 और अनुदान की द्वितीय पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)।

(See page 29 of the Demands for Grants; page 15 of the First Supplementary Demands for Grants and page 18 of the Second Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1495.63	24.51
				1520.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	0.21	0.60
	स्वीकृत	Voted:
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	3.04	...
				3.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1498.88	25.11	1523.99
	भारित	Charged:	0.21	0.60
	स्वीकृत	Voted:	1498.67	24.51
				1523.18

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वन्य और वनजीवन	2406-Forestry and Wildlife	0.01 (का)	1.22 (खb)	1.23
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	0.01 (गc)	0.81 (घd)	0.82
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat Economic Services	...	0.99 (डe)	0.99
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.02	3.02	3.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) अतिरिक्त सहायता अनुदान का भुगतान:
- 'जन्तुओं के कल्याण' योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए शरण स्थानों जन्म नियंत्रण तथा घूमन्त कुत्तों का प्रतिरक्षण करने के लिए पशु कल्याण बोर्ड को (1.88 करोड़ रुपए);
 - निर्माण कार्य व्यय के लिए भारतीय वन्य प्रबंध संस्थान को (1.83 करोड़ रुपए);
 - गृहों में अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए वैज्ञानिक और कार्यालय उपकरण खरीदने तथा भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए (2.03 करोड़ रुपए); तथा वन शिक्षा में संलग्न विभिन्न विश्वविद्यालयों को अदायगी के लिए (2.00 करोड़ रुपए) भारतीय वन्य प्रबंध और शिक्षा परिषद को;
 - बांस की परतों का निर्माण करने संबंधी प्रशिक्षण और प्रदर्शन हेतु प्रयोगिक संयंत्र सुविधा की स्थापना के लिए भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलोर को (1.20 करोड़ रुपए);
 - वैज्ञानिकों को सुविधाएं मुहैया कराने तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून को (2.00 करोड़ रुपए); और

The supplementary grant is required for following purposes :

- (a) (i) Payment of additional grants-in-aid to :
- Animal Welfare Board for shelters for animals, birth control and immunisation of stray dogs under the scheme 'Welfare of Animals' (Rs. 1.88 crore);
 - Indian Institute of Forestry Management for works expenditure (Rs. 1.83 crore);
 - Indian Council of Forestry Management and Education for purchase of scientific and office equipment for undertaking in-house research projects and repairs and maintenance of buildings (Rs. 2.03 crore); and for payment to various universities for imparting forest education (Rs. 2.00 crore);
 - Indian Plywood Industries Research Institute, Bangalore for establishment of pilot plant facility to manufacture bamboo laminates for training and demonstration (Rs 1.20 crore);
 - Wildlife Institute of India, Dehradun for providing facilities to scientists and imparting training to field officers (Rs. 2.00 crore); and

- भारतीय चिड़िया घरों में विकास कार्य शुरू करने और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार करने के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को (3.63 करोड़ रुपए)
 - (ii) 'भारतीय वन सर्वेक्षण' योजना के अंतर्गत 'राष्ट्रीय वन्य डाटाबेस प्रबंध प्रणाली' और 'सतत वन प्रबंध, प्रमाणन और व्यापार'-नामक दो नये उप-अंगों के कार्यान्वयन के लिए (0.40 करोड़ रुपए);
- चूंकि बचतें अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांग मांगी गयी है।
- (ख) (i) भारतीय वनविद्या अनुसंधान और शिक्षा परिषद को अनुसंधान कार्यकलापों को शुरू करने तथा स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए (1.50 करोड़ रुपए) तथा (ii) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में पशुओं के भरण-पोषण के लिए (0.01 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी खंड में 0.29 करोड़ रुपए के पुनर्विनियोग के बाद, अनुदान के पूंजी खंड से 1.22 करोड़ रुपए सुपुर्द कर दिए जाएंगे। यह कोई अपरिहार्य नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदान सहायता की अदायगी :
- (i) विभिन्न संस्थानों को पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण योजना के लिए (5.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजना के लिए एक करोड़ रुपए सहित भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण और जैव विविधता संरक्षण योजना के लिए अन्य संस्थानों को (2.30 करोड़ रुपए)।
 - (iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के व्यय सहित खतरनाक पदार्थ प्रबंध योजना के अंतर्गत नयी अभिक्रिया, भंडारण और निपटान सुविधाओं के सृजन के लिए (2.49 करोड़ रुपए)।
 - (iv) विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान और विकास योजना के तहत चल रही परियोजनाओं और नयी परियोजनाओं के लिए भी (0.50 करोड़ रुपए)।
 - (v) 'प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता' योजना के अंतर्गत राज्य प्रदूषण बोर्डों के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए (1.43 करोड़ रुपए)।
 - (vi) 'पर्यावरण की परिस्थिति' योजना के तहत विभिन्न संस्थानों को (0.66 करोड़ रुपए)।
 - (vii) 'उत्कृष्ट केन्द्रों' योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा के सुदृढीकरण के लिए विभिन्न केन्द्रों को (0.38 करोड़ रुपए)।
 - (viii) ग्लेशियर अध्ययन केन्द्र की स्थापना के लिए जी.बी.पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान (1.14 करोड़ रुपए)।
 - (ix) चार बायोस्फेयर रिजर्व हेतु प्रबंध योजनाएं शुरू करने के लिए विभिन्न संस्थानों को (0.07 करोड़ रुपए)।
 - (x) नयी चिन्हित वेटलैंड कार्य योजनाओं के लिए विभिन्न संस्थानों को (0.60 करोड़ रुपए)।
 - (xi) कच्छ वनस्पति ईको-सिस्टम योजना में चल रही अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थानों को (1.00 करोड़ रुपए)।
 - (xii) जलवायु परिवर्तन अध्ययन से संबंधित नयी परियोजनाओं और कार्यकलापों के लिए विभिन्न संस्थानों को (0.19 करोड़ रुपए)।
- चूंकि बचतें अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा है।
- (घ) (i) अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान की अदायगी (0.80 करोड़ रुपए)। इसी के समकक्ष राशि अनुदान के पूंजी खंड से सुपुर्द की जाएगी, तकनीकी पूरक अनुदान मांगी है।
- (ii) स्थापना संबंधी व्यय के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को अनुदान सहायता (0.85 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा है।
- (ङ) (i) न्यायालय के मामलों के निपटान के लिए नये नियुक्त विधायी सहायकों की व्यावसायिक सेवाओं के व्यय के लिए (0.04 करोड़ रुपए); और (ii) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि होने पर (0.95 करोड़ रुपए)। चूंकि इसके समकक्ष राशि अनुदान की पूंजी खंड से दी जाएगी, यह तकनीकी पूरक अनुदान मांगा है।
- Central Zoo Authority for undertaking development work in Indian zoos and improving their working conditions (Rs. 3.63 crore).
 - (ii) To implement two new sub-components - 'National Forestry Database Management Systems' and 'Sustainable Forest Management, Certification and Trade' under the scheme 'Forest Survey of India' (Rs. 0.40 crore);
- As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Indian Council of Forestry Research and Education for undertaking research activities and meeting establishment expenditure (Rs. 1.50 crore); and (ii) providing feed to animals at National Zoological Park (Rs. 0.01 crore). After re-appropriation of Rs. 0.29 crore within the same section of the grant, Rs. 1.22 crore will be surrendered from Capital section of the grant. This will not entail any cash outgo.
- (c) Payment of additional grants-in-aid to :
- (i) various institutions for Environment Education Training Scheme (Rs. 5.00 crore).
 - (ii) Bio Diversity Authority of India and other institutions for Bio Diversity Conservation scheme including rupees one crore for Externally Aided Project (Rs. 2.30 crore).
 - (iii) for creating new treatment, storage and disposal facilities for Hazardous Substances Management Scheme including expenditure for various international conventions under Externally Aided Project (Rs. 2.49 crore).
 - (iv) various institutions for on-going projects and also on new projects under the Research & Development scheme (Rs. 0.50 crore).
 - (v) For implementation of proposals for State Pollution Boards under the scheme 'Assistance for Abatement of Pollution' (Rs. 1.43 crore).
 - (vi) various institutions under the scheme 'State of Environment' (Rs. 0.66 crore).
 - (vii) various centres for strengthening environment education under the scheme 'Centres of Excellence' (Rs. 0.38 crore).
 - (viii) G.B. Pant Himalayan Institute of Environment and Development for setting up Glacier Study Centre, etc. (Rs. 1.14 crore).
 - (ix) various institutions for undertaking management plans for four biosphere reserves (Rs. 0.07 crore).
 - (x) various institutions for action plans of newly identified wetlands (Rs. 0.60 crore).
 - (xi) various institutions for ongoing research projects in the scheme Mangroves Eco-systems (Rs. 1.00 crore).
 - (xii) various institutions for new projects and activities relating to climate change study (0.19 crore).
- As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (d) (i) Payment of contribution to international bodies (Rs. 0.80 crore). As an equivalent amount will be surrendered from Capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
- (ii) Grants-in-aid to Central Pollution Control Board, New Delhi for establishment related expenditure (Rs. 0.85 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (e) (i) For expenditure on professional services of newly appointed Legal Assistants for disposing court cases (Rs. 0.04 crore); and (ii) increase in establishment related expenditure (Rs. 0.95 crore). As an equivalent amount will be surrendered from Capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 30

विदेश मंत्रालय
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30, वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 और अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)।

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 16 of the First Supplementary Demands for Grants and page 19 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारत Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत Voted:	3464.61	230.41	3695.02
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत Voted:	242.19	...	242.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत Voted:	185.81	...	185.81
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	भारत Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत Voted:	3892.61	230.41	4123.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat General Services			
	स्वीकृत Voted:	...	3.92 (का)	3.92
2061- विदेश	2061-External Affairs			
	स्वीकृत Voted:	...	181.89 (खb)	181.89
जोड़ - (पूरक)	Total - (Supplementary)	Voted:	...	185.81
			185.81	185.81

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:-

The supplementary grants are required for the following purposes:-

(क) वेतन में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (3.92 करोड़ रुपए)

(a) For meeting the additional requirement in salaries (Rs.3.92 crore)

(ख) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए:

(b) For meeting additional expenditure on:

(i) विशेष राजनयिक व्यय के तहत आपातक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपए के अग्रिम की प्रतिपूर्ति।

(i) Recoupment of advance from the Contingency Fund of India, of Rs.100 crore for meeting urgent requirement under Special Diplomatic Expenditure.

(ii) राजदूतावास और मिशन (51.41 करोड़ रुपए), पासपोर्ट और अल्पवास (2.48 करोड़ रुपए) और 28 करोड़ रुपए केम्ब्रिज विश्वविद्यालय (यू.के.) में एक पीठ के निर्माण हेतु।

(ii) Embassies & Missions (Rs.51.41 crore), Passport & Emigration (Rs.2.48 crore), and Rs.28 crore for creation of a Chair in the University of Cambridge (UK).

उपर्युक्त के लिए 185.81 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The above will entail a net cash outgo of Rs.185.81crore

मांग संख्या DEMAND NO.31

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों के पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 तथा वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिए)।

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 21 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	2887.82	658.01	3545.83
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.02	0.01	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	445.99	6000.00	6445.99
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	3333.83	6658.02	9991.85

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत	3075-Other Transport Services	Voted:	...	443.08 (क) 443.08
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3475-Other General Economic Services	Voted:	...	2.91 (ख) 2.91
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	...	445.99 445.99
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर		5475-Capital Outlay on Other General			
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Economic Services	Voted:	...	6000.00 (ग) 6000.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	6445.99 6445.99

पूरक अनुदान निम्न प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए अतिरिक्त सब्सिडियां प्रदान करने के लिए (134.08 करोड़ रुपए) और सामरिक महत्व की रेल लाइनों के प्रचालन से हुई हानियों की क्षतिपूर्ति (309 करोड़ रुपए)। इस पर नकद व्यय होगा।
- (ख) वर्ष 1991 में कम्बोडिया की सरकार को दिए गए अधिकतम ऋण के संबंध में बकाया देनदारियों (2.91 करोड़ रुपए) को समाप्त करना। चूंकि इसी मात्रा की समकक्ष राशि प्राप्त कर ली जाएगी, इस पर नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) सामाजिक और अवसंरचना विकास के लिए पहलों के वित्तपोषण के लिए 6500 करोड़ रुपए का व्यय पूरा करने के लिए। प्रारम्भ में इस प्रावधान को सरकारी खाते में अंतरित किया जाएगा। इसके बाद में 2007-08 के बजट में घोषित योजनाओं सहित विभिन्न कम्पनियों को अंतरित किया जाएगा। इन योजनाओं में साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति, भूजल पुनर्भरण, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास आदि शामिल हैं। चूंकि यह अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (500 करोड़ रुपए) से आंशिक रूप से पूरा किया जाएगा, शेष राशि (6000 करोड़ रुपए) का पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) For providing additional subsidies to Railways towards dividend relief and other concessions (Rs. 134.08 crore) and reimbursement of losses to Railways on operating Strategic Railway Lines (Rs.309 crore). This will entail cash outgo.
- (b) Waiver of outstanding dues (Rs.2.91 crore) in respect of line of credit extended to Government of Cambodia in 1991. As this will be matched by receipts of an equivalent amount, there will be no cash outgo.
- (c) For meeting the expenditure of Rs.6500 crore towards funding initiatives for social and infrastructure development. The provision would be transferred initially to Public Account and thereafter eventually transferred to various entities for schemes including those announced in Budget 2007-2008. These schemes include Means- cum- merit scholarships, Ground water recharge, Social security for rural landless households, skills development, etc. As this will be partly met by savings (Rs.500 crore) available within the same section of the Grant, supplementary for the balance amount (Rs.6000 crore) is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 32

करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प
CURRENCY, COINAGE AND STAMPS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)।

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारत	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	0.92	1.00
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	96.37	96.37
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	96.45	97.37

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4046-करेंसी, सिक्का निर्माण	4046-Capital Outlay on			
और टकसालों पर	Currency, Coinage			
पूंजी परिव्यय	and Mint			
	स्वीकृत	Voted:	96.37	96.37

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय और टकसाल निगम लि. से सिक्कों की खरीद हेतु है।

The supplementary grant is required for purchase of coins from Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL).

चूंकि समकक्ष राशि की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

As this will be matched by revenue receipts of an equivalent amount, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 33

वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां

PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)।

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 22 of the Second Supplementary Demands for Grant for the year 2006-2007).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	4169.43	232.80	4402.23
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	6567.77	42.46	6610.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	10737.21	275.26	11012.47

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
3475-अन्य सामान्य				
आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	...	0.01	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता इण्डियन ओवरसीज बैंक को अनिवासी विदेशी मुद्रा (एफसीएनआर) (ए) जमा योजना में इसके ब्याज संबंधी दावों में कमी होने के कारण हुई विनिमय हानि (36.97 करोड़ रुपए) के संबंध में भुगतान करने के लिए है।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

The supplementary grant is required to make payments to Indian Overseas Bank for exchange loss (Rs.36.97 crore) on account of shortfall in its interest claims on Foreign Currency Non-Resident (FCNR) (A) deposit scheme.

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO.34 (विनियोग) (APPROPRIATION)

ब्याज अदायगी
INTEREST PAYMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिए)।

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	145822.60	...	145822.60
	स्वीकृत	Voted:
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	4869.25	...	4869.25
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	150691.85	...	150691.85	
	भारित	Charged:	150691.85	...	150691.85
	स्वीकृत	Voted:

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2049-ब्याज भुगतान	2049-Interest Payments			
	भारित	Charged:	...	4869.25
			4869.25	4869.25

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता मुख्यतया 'क्षतिपूर्ति और अन्य बॉण्ड', 'बाजार स्थिरीकरण योजना' और 'सरकारी हुंडियों पर छूट' संबंधी अदायगियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए है।

The supplementary appropriation is required to meet additional expenditure arising out of payments, mainly, on 'Compensation & Other Bonds', 'Market Stabilisation Scheme' and 'Discount on Treasury Bills'.

इस पूरक विनियोग में 4869.25 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

This supplementary entails a net cash outgo of Rs.4869.25 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 35

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की अन्तरण
TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिए और 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 और अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों के दूसरे बैच का पृष्ठ 24 देखिए)।

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants and page 24 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	29406.50	5000.00	34406.50
	स्वीकृत	Voted:	28924.79	...	28924.79
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	195.61	...	195.61
	स्वीकृत	Voted:	12293.03	...	12293.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	...	700.00	700.00
	स्वीकृत	Voted:	8947.39	...	8947.39
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	79767.32	5700.00	85467.32	
	भारित	Charged:	29602.11	5700.00	35302.11
	स्वीकृत	Voted:	50165.21	...	50165.21

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण में राहत	स्वीकृत	2245-Relief on Account of Natural Calamities	Voted:	...	500.00(का)	500.00
2075- विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2075-Miscellaneous General Services	Voted:	...	8447.39(खb)	8447.39
जोड़ - राजस्व भाग	स्वीकृत	Total - Revenue Section	Voted:	...	8947.39	8947.39
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
7601- राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	भारित	7601-Loans and Advances to State Governments	Charged:	700.00(गc)	...	700.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		700.00	8947.39	9647.39
	भारित		Charged:	700.00	...	700.00
	स्वीकृत		Voted:	...	8947.39	8947.39

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा है:-

The supplementary grants are required for the following purposes:-

(क) अत्यधिक भयंकर स्वरूप की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता देने के लिए (500 करोड़ रुपए)। चूंकि यह राशि एनसीसीएफ से पूरी की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(a) For assistance to the States from National Calamity Contingency Fund for calamities of severe nature (Rs.500 crore). Since the amount will be met from the NCCF, there will be no cash outgo.

- (ख) 12वें वित्त आयोग के पंचाट के अंतर्गत ऋण माफी योजना के तहत राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालना (4617.10 करोड़ रुपए), ग्यारहवें वित्त आयोग की सामान्य ऋण राहत योजना के तहत गुजरात सरकार को 58.29 करोड़ रुपए की ऋण-छूट और उग्रवाद के दौर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पंजाब सरकार को दिए गए ऋण और उस पर अर्जित ब्याज जो 3772 करोड़ रुपए बैढ़ता है, को माफ करने के लिए। इनकी पूर्ति प्राप्तियों से की जाएगी और इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) ईएपी संबंधी ऋण संघटक मुहैया कराने के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) (700 करोड़ रुपए)। राजस्व (भारित) भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (b) Write off of loans to the State Governments under Debt Waiver Scheme under the 12th Finance Commission Award (Rs.4617.10 crore), Debt waiver of Rs.58.29 crore to the Government of Gujarat under the General Debt Relief Scheme of the Eleventh Finance Commission and waiver of loan and accrued interest amounting to Rs.3772 crore to the Government of Punjab for combating terrorism during the period of militancy. These will be matched by receipts, and hence will not entail any cash outgo.
- (c) To provide loan component under Externally Aided Projects (EAP) (Rs.700 crore). Matching savings are available in the Revenue (Charged) section, hence technical supplementary is sought.

संख्या NO.37 (विनियोग) (APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी
REPAYMENT OF DEBT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)।

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	...	1098307.66 1098307.66	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	...	349581.44 349581.44	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	भारित	Charged:	...	1447889.10 1447889.10	
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6001-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	भारित	6001-Internal Debt of Cental Government	Charged:	...	349400.94 (का)349400.94
6002-विदेशी ऋण	भारित	6002-External Debt	Charged:	...	180.50 (ख) 180.50
जोड़ (पूरक)	भारित	Total (Supplementary)	Charged:	...	349581.44 349581.44

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए निधियों की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए है:

(क) सामान्य बाजार उधारों के तहत 14-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (389311 करोड़ रुपए), 91-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (36915 करोड़ रुपए), 182-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (4192 करोड़ रुपए), 364-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (1159 करोड़ रुपए), के उन्मोचन, अफ्रीकी विकास निधि (1.46 करोड़ रुपए), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (795.97 करोड़ रुपए), 10 प्रतिशत राहत बाण्ड, 1993 (0.12 करोड़ रुपए), 8.50 प्रतिशत राहत बाण्ड, 2001 (533.93 करोड़ रुपए) के लिए। चूंकि विनियोग के अन्तर्गत बचते उपलब्ध हैं, इसलिए शेष राशि हेतु पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) विदेशी ऋण की अदायगी।

चूंकि व्यय की पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Appropriation is required to meet additional requirement of funds towards:

(a) Discharge of 14 day Treasury Bills (Rs.389311 crore), 91 day Treasury Bills (Rs.36915 crore), 182 day Treasury Bills (Rs.4192 crore), 364 day Treasury Bills (Rs. 1159 crore) under normal market borrowings, African Development Fund (Rs.1.46 crore), International Monetary Fund (Rs.795.97 crore), 10% Relief Bonds, 1993 (Rs.0.12 crore), 8.50% Relief Bonds, 2001 (Rs.533.93 crore). As savings are available within the Appropriation, supplementary for the balance amount is sought.

(b) Repayment of External Debt.

There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

मांग संख्या DEMAND NO. 38

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)।
(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government and page 25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत Voted:	29.45	...	29.45
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत Voted:	3.72	...	3.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत Voted:	3.46	5.00	8.46
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत Voted:	36.63	5.00	41.63

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat General Services			
	स्वीकृत Voted:	...	2.83 (का)	2.83
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services			
	स्वीकृत Voted:	...	0.63 (खb)	0.63
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	...	3.46	3.46
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	7475-Loans for other General Economic Services			
	स्वीकृत Voted:	...	5.00 (गc)	5.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	8.46	8.46

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगा गया है:
(क) व्यय विभाग के कार्यालय के जीर्णोद्धार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के व्यय की पूर्ति हेतु (2.83 करोड़ रुपए)।

(ख) सरकारी लेखा और वित्त संस्थान (आईएनजीएफ) की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु (0.63 करोड़ रुपए)।

(ग) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई), हैदराबाद को ब्याज-मुक्त ऋण (5 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने हेतु।

इनमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(i) For meeting expenditure in connection with renovation of office of Department of Expenditure and for information technology (Rs. 2.83 crore).

(ii) For strengthening the infrastructure of Institute of Government Accounts and Finance (INGAF) (Rs. 0.63 crore).

(iii) For providing interest free loan (Rs. 5 crore) to the Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad.

These will entail net cash out go.

मांग संख्या DEMAND NO.39

पेंशन
PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)।

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	23.44	...	23.44
	स्वीकृत	Voted:	6799.66	...	6799.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	235.56	...	235.56
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	7058.66	...	7058.66
	भारित	Charged:	23.44	...	23.44
	स्वीकृत	Voted:	7035.22	...	7035.22

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	स्वीकृत	2071-Pensions and Other Retirement Benefits	Voted:	...	235.51 (का)
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	0.05 (खb)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	235.56

अनुपूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

(क) महंगाई वेतन के रूप में 50% महंगाई भत्ते को मिलाने और मौजूदा पेंशन धारकों के मासिक पेंशन/परिवार पेंशन में तदनुरूप वृद्धि; पेंशन धारकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति; नई पेंशन योजना में सरकार के अंशदान; और भूतपूर्व सांसदों के पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

(ख) कार्य के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है उन सरकारी सेवकों के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु।

इस पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) For meeting additional expenditure arising due to merger of 50% Dearness Allowance as Dearness Pay and corresponding increase in the monthly pensions/family pensions of the existing pensioners; Medical re-imbursement to pensioners; Government's Contribution towards New Pension Scheme; and increase in pension of Ex-MPs.

(b) For ex-gratia payment to the families of Government Servants who died in harness.

This will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 40

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)।

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	37.09	...	37.09
स्वीकृत	Voted	1202.79	7.50	1210.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	2.68	...	2.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1242.56	7.50	1250.06
भारित	Charged:	39.77	...	39.77
स्वीकृत	Voted	1202.79	7.50	1210.29

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखापरीक्षा	भारित 2016-Audit	Charged:	...	2.68

इस पूरक विनियोग का अनुरोध स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु किया गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is sought for meeting additional establishment related expenditure. This will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 41

राजस्व विभाग
DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों का दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिए)।

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	3339.07	2.06	3341.13
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	23.00	...	23.00
	स्वीकृत	Voted:	1100.00	...	1100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4462.10	2.06	4464.16	
	भारित	Charged:	23.02	...	23.02
	स्वीकृत	Voted:	4439.08	2.06	4441.14

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	2045-Other Taxes and Duties on Commodities and Services			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता विभिन्न अवधि के लिए विदेश यात्रा कर और अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के संग्रहण के संबंध में विभिन्न संवाहकों को संग्रहण प्रभारों (5.48 करोड़ रुपए) की बकाया राशि के भुगतान के लिए है।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for payment of arrears of collection charges (Rs. 5.48 crore) to the various carriers in respect of collection of Foreign Travel Tax and Inland Air Travel Tax for different period.

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.42

प्रत्यक्ष कर
DIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिए)।

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	1305.98	28.00	1333.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	65.05	...	65.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1371.05	28.00	1399.05	
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	1371.03	28.00	1399.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2020-आय एवं व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure				
	स्वीकृत	Voted:	...	65.05	65.05

आय कर विभाग के संबंध में अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय और प्रचार अभियान आदि के लिए पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है। इसकी पूर्ति अनुदान के पूंजी भाग में 17.70 करोड़ रुपए की बचतों द्वारा की जाएगी, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा। इसलिए इसमें 47.35 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional establishment related expenditure in respect of Income Tax Department and for publicity campaign, etc. This will be matched by savings of Rs.17.70 crore in Capital Section of the grant, which will be surrendered and hence will entail a net cash outgo of Rs.47.35 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)।
 (See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-07 and page 23 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारत	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	173.70	...	173.70
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	16.50	16.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	16.80	16.81
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	173.72	33.30	207.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भांडागार		2408-Food Storage and Warehousing			
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4408-खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजी परिव्यय		4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing			
	स्वीकृत	Voted:	15.00 (खब)	...	15.00
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय		4552-Capital Outlay on North Eastern Areas			
	स्वीकृत	Voted:	1.80 (गक)	...	1.80
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	16.81	...	16.81

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is required for:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान तथा विकास हेतु सहायता के लिए योजना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (4.40 करोड़ रुपये)।

(a) Meeting additional expenditure on the scheme for Assistance for Quality Assurance, Codex Standards and Research and Development for Food Processing Industries (Rs.4.40 crore).

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) हरियाणा स्थित कुंडली में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु भूमि की खरीद।

(b) Purchase of land for setting up of National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) at Kundli, Haryana.

(ग) सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान का संवर्धन।

(c) Augmentation of the provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

चूंकि उक्त (ख) और (ग) के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी, जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, इसलिए प्रत्येक मामले में तकनीकी पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

As expenditure under (b) & (c) above will be matched by savings available in the Revenue Section of the Grant, which will be surrendered, a technical supplementary is sought in each case.

इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.46

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)।

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 27 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	13874.55	475.68	14350.23
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.03	4.51	4.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.04	25.35	25.39
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	13874.62	505.54	14380.16

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2210-Medical & Public Health	Voted:	0.01 (क)	0.01 (ख)	0.02
2211- परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	Voted:	0.01 (ग)	0.01 (घ)	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परियोजना	4210-Capital Outlay on Medical & Public Health	Voted:	25.35 (ड)	...	25.35
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	25.37	0.02	25.39

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु माँगा है:

- (क) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी प्रदान कर विभिन्न विभागों को बढ़ाने और उन्नयन हेतु सहायता अनुदान (61.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) रोहा और अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नेत्र उपकरण की खरीद और अन्य देयताओं की अधिप्राप्ति के विकेन्द्रीकृत कार्यकलाप की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, स्वैच्छिक और अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान (16.45 करोड़ रुपए)।
- (iii) मुख्यालय में टीबी कक्ष की सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी कार्यकलापों के लिए (3.00 करोड़ रुपए)।
- (iv) जीएफएटीएम समर्थित विदेशी सहायता प्राप्त संघटक के तहत एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने हेतु वैश्विक निधि

The Supplementary is required for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid to Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER) Chandigarh for adding and upgrading the various Departments by providing the state of art technology (Rs.61.00 crore).
- (ii) Grants-in-aid to Voluntary and other Institutions for meeting the requirement of decentralized activity of procurement of ophthalmic equipment and other liabilities under Trachoma and Blindness Control Programme (Rs.16.45 crore).
- (iii) For Information Education and Communication activities of TB Cell at Headquarter (Rs.3.00 crore).
- (iv) Grants-in-aid to State T.B. societies under global fund to fight AIDS, T.B. & Malaria (GFATM) under

के तहत राज्य टीबी संस्थाओं को सहायता अनुदान (15.00 करोड़ रुपए)।	GFATM assisted Externally Aided Component (Rs.15.00 crore).
(v) केन्द्रीय कुष्ठ नियंत्रण योजना के तहत सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान (1.15 करोड़ रुपए)।	(v) Grant-in-aid for Information, Education and Communication activities under Leprosy Control Central Scheme (Rs.1.15 crore).
(vi) विदेशी सहायता प्राप्त संघटक के तहत राज्य एड्स नियंत्रण संस्थाओं (सैकस) को सहायता अनुदान (99.40 करोड़ रुपए)।	(vi) Grants-in-aid to State Aids Control Societies (SACS) under Externally Aided Component (Rs.99.40 crore).
(vii) भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्था (पीएचएफआई) की पहल को मूल निधि प्रदान कर समर्थन करने हेतु लोक स्वास्थ्य संस्थान को सहायता अनुदान (43.00 करोड़ रुपए)।	(vii) Grants-in-aid to Institute of Public Health for supporting the Public Health Foundation of India (PHFI) initiative by providing a corpus fund (Rs.43.00 crore).
चूँकि, बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं; अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।	As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (9.00 करोड़ रुपए)।	(b) (i) Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.9.00 crore).
(ii) वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट (वीपीसीआई), नई दिल्ली को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए)।	(ii) Grants-in-aid to Vallabhbhai Patel Chest Institute (VPCI), New Delhi to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.2.00 crore).
(iii) पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (8.00 करोड़ रुपए)।	(iii) Grants-in-aid to PGIMER, Chandigarh to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.8.00 crore).
(iv) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.02 करोड़ रुपए)।	(iv) Grants-in-aid to Pharmacy Council of India to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.0.02 crore).
(v) लाला राम सरूप टीबी अस्पताल को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.85 करोड़ रुपए)।	(v) Grants-in-aid to Lala Ram Sarup TB Hospital to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.0.85 crore).
(vi) नई दिल्ली टीबी केन्द्र को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रुपए)।	(vi) Grants-in-aid to New Delhi TB Centre to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.0.15 crore).
चूँकि, बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं; अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।	As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल सेन्टर फॉर प्राइमेट बिल्डिंग एंड रिसर्च (8.00 करोड़ रुपए) पर चालू कार्यों को पूरा करने और जननिक परिष्कृत पशु सुविधा पर अनुसंधान हेतु (3.44 करोड़ रुपए) अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।	(c) (i) Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research to meet additional requirement for completing the ongoing works in National Centre for Primate Building and Research (Rs.8.00 crore) and for research on genetically modified animal facility (Rs.3.44 crore).
(ii) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र को वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपए)।	(ii) Grants-in-aid to Population Research Centre to meet additional requirement for payment of pay and allowances (Rs.0.50 crore).
(iii) एनआरएचएम ब्रांड की स्पष्टता को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) स्पाटों के प्रसारण	(iii) To meet additional expenditure for telecast of National Rural Health Mission (NRHM) Spots for

हेतु और जिला और निम्न स्तरों पर कार्यक्रम की पहुँच को व्यापक बनाने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (18.00 करोड़ रुपए)।

- (iv) पोलियो अभियान की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को सहायता अनुदान (26.06 करोड़ रुपए)।
- (v) जिला स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं (डीएलएचएस) के लिए यूनाइटेड नेशन्स फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज (यूएनएफपीए) द्वारा अग्रिम भुगतानों की मंजूरी हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली को सहायता अनुदान (0.22 करोड़ रुपए)।
- (vi) मिशन फ्लेक्सिबल पूल के तहत औषधियों की खरीद के लिए राज्य की संस्थाओं को सहायता अनुदान (224.88 करोड़ रुपए)।

चूँकि, बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं; अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (घ) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली को वेतन और भत्तों आदि के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.80 करोड़ रुपए)।
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई को वेतन और भत्तों आदि के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.40 करोड़ रुपए)।

चूँकि, बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं; अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ङ) (i) डा. आरएमएल अस्पताल को सिविल निर्माण और बिजली के कार्यों जिसका निष्पादन सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाना है, कि अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (1.35 करोड़ रुपए)।
- (ii) वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी), नई दिल्ली को कॉलेज भवन/पुस्तकालय के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (10.00 करोड़ रुपए)।
- (iii) डा. आरएमएल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (14.00 करोड़ रुपए)।

चूँकि, अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, जिसे इस लेख में अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है।

sustaining the visibility of the NRHM Brand and to expand the outreach of the programme at the District and lower levels (Rs.18.00 crore).

- (iv) Grants-in-aid for Pulse Polio Immunization Programme to meet the additional requirement of polio rounds (Rs.26.06 crore).
- (v) Grants-in-aid for Management Information System passing on advance payments made by United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) for District Level Health Societies (DLHS) (Rs.0.22 crore).
- (vi) Grants-in-aid to State societies for procurement of drugs under Mission Flexible Pool (Rs.224.88 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) (i) Grants-in-aid to National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi to meet additional requirement for payment of pay and allowances etc. (Rs.0.80 crore).
- (ii) Grants-in-aid to International Institute for Population Science, Mumbai to meet additional requirement for payment of pay and allowances etc. (Rs.0.40 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) (i) Dr. RML Hospital, New Delhi: Additional requirement is for civil and electrical works to be executed by CPWD (Rs.1.35 crore).
- (ii) Vardhman Mahaveer Medical College (VMMC), New Delhi: Additional requirement is for construction of college building/library (Rs.10.00 crore).
- (iii) Dr. RML Post Graduate Institute of Medical Education & Research, New Delhi: Additional requirement is for construction of postgraduate institute building (Rs.14.00 crore).

As equivalent savings are available within the Revenue/Voted Section of the Grant, which will be surrendered on this account, technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 47

आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) विभाग
DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA
AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47, अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)।

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 26 of First Supplementary Demands for Grants and page 29 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	445.89	2.00	447.89
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	445.93	2.00	447.93

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medicine and Public Health				
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01

इस पूरक अनुदान का अनुरोध निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- | | |
|--|--|
| (i) "आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, जामनगर" के संबंध में वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय (0.50 करोड़ रुपए) हेतु सहायता अनुदान उपलब्ध कराना। | (i) To provide grants-in-aid to Institute of Post Graduate Training and Research in Ayurveda, Jamnagar for pay and allowances and other establishment related expenditure (Rs.0.50 crore). |
| (ii) "केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद" को वेतन तथा भत्ते और अन्य स्थापना संबंधी व्यय (0.20 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान उपलब्ध कराना। | (ii) To provide grants-in-aid to Central Council for Research in Homoeopathy for pay and allowances and other establishment related expenditure (Rs.0.20 crore). |

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.48

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 और 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 31 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
पूरक अनुदान:	स्वीकृत	Voted:	332.74	580.88	913.62
	SUPPLEMENTARY GRANT:				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Voted:	1992.30	0.04	1992.34
	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	188.31	613.38	801.69
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	2513.35	1194.30	3707.65

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries				
	स्वीकृत	Voted:	...	188.31 (का)	188.31
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4858-इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4858-Capital Outlay on Engineering Industries	Voted:	563.01 (खब)	...	563.01
6858-इंजीनियरिंग उद्योगों हेतु ऋण	6858-Loans for Engineering Industries	Voted:	...	50.37 (गक)	50.37
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	563.01	50.37	613.38
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	563.01	238.68	801.69

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) आवश्यक लेखाकरण समायोजन करने के लिए अर्थात्
- ऋण को बट्टे खाते डालना (102.75 करोड़ रुपए) और ब्याज की माफी (50.40 करोड़ रुपए) जो भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के मामले में दि. 31.3.2006 को बकाया और
 - पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के संबंध में दि. 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार ब्याज की माफी (35.16 करोड़ रुपए)। इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) एच एम टी मशीन टूल्स लिमिटेड में निवेश हेतु (563 करोड़ रुपए) अर्थात् 3.5% तरजीही शेयर पूंजी (443 करोड़ रुपए) और पूंजी व्यय के लिए प्रयोग की जाने वाली अतिरिक्त इक्विटी (90 करोड़ रुपए), प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और उन्नयन (20 करोड़ रुपए) और पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण (10 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के तहत 19.50 करोड़ रुपए तक की समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, उन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा। इसलिए निवल नकद व्यय 543.50 करोड़ रुपए होगा।
- (ii) आवश्यक लेखाकरण समायोजन करने के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है अर्थात् एचएमटी मशीन टूल्स लि.

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- For carrying out necessary accounting adjustments viz. (i) write off of loan (Rs. 102.75 crore) and waiver of interest (Rs.50.40 crore) outstanding as on 31.03.2006 in respect of Bharat Pumps and Compressors Limited and (ii) waiver of interest (Rs.35.16 crore) as on 31.03.2006 in respect of HMT Machine Tools Ltd., consequent upon restructuring. This will not entail a cash outgo.
- (i) For investment in HMT Machine Tools Ltd. (Rs.563 crore) viz., 3.5% Preference Share Capital (Rs.443 crore) and additional equity to be utilised for Capital expenditure (Rs.90 crore), Technological acquisition & upgradation (Rs.20 crore) and Training and retraining (Rs.10 crore) consequent upon restructuring. As matching savings to the extent of Rs. 19.50 crore available under the Revenue Section of the Grant will be surrendered, the net cash outgo will be Rs.543.50 crore.
- (ii) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of

के संबंध में ऋण को इक्विटी में बदलना (122.64 करोड़ रुपए)।

- (ग) वीआरएस/वीएसएस तथा सांविधिक देयों के भुगतान हेतु एक मुश्त प्रावधान के अंतर्गत निधियां बढ़ाना (i) रुग्ण/हानि में चलने वाले सीपीएसयू को बकाया वेतन/मजदूरी तथा सांविधिक देयों का भुगतान करने के लिए (47 करोड़ रुपए) और (ii) भारत पम्पस और कम्प्रेसर्स लिमिटेड से संबंधित सीआईएसएफ के देयों के निपटान हेतु (3.37 करोड़ रुपए), जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा। चूंकि समूचा व्यय अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, अतः कोई निवल नकद व्यय नहीं होगा।

loan (Rs. 122.64 crore) into equity in respect of HMT Machine Tools Ltd.

- (c) Augmentation of funds under the lumpsum provision for VRS/VSS and payment of statutory dues for (i) payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to sick/loss making CPSUs (Rs. 47 crore), and (ii) settlement of CISF dues pertaining to Bharat Pumps and Compressors Limited (Rs.3.37 crore). As the entire expenditure will be matched by savings available in the Revenue section of the Grant which will be surrendered, there will be no net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 50

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)।
(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-07 and page 32 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.05	...	0.05
	स्वीकृत	Voted:	759.45	41.50	800.95
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	9.22	...	9.22
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	768.74	41.50	810.24	
	भारित	Charged:	0.06	...	0.06
	स्वीकृत	Voted:	768.68	41.50	810.18

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative					
	भारित	Services	Charged:	...	0.01 (का)	0.01
	स्वीकृत		Voted:	...	9.22 (खb)	9.22
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)			...	9.23	9.23
	भारित		Charged:	...	0.01	0.01
	स्वीकृत		Voted:	...	9.22	9.22

इस पूरक अनुदान/विनियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

The supplementary grant/appropriation is required for meeting the expenditure on :

(क) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) मामले में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु (0.01 करोड़ रुपए)।

(a) Payment of compensation in Motor Accidents Claims Tribunal (MACT) case as awarded by the Hon'ble High Court of Delhi (Rs.0.01 crore).

(ख) आसूचना ब्यूरो (14.75 करोड़ रुपए) और आप्रवासन ब्यूरो (1.60 करोड़ रुपए) के स्थापना संबंधी व्यय हेतु।

(b) Establishment related expenditure of Intelligence Bureau (Rs.14.75 crore) and Bureau of Immigration (Rs.1.60 crore).

चूँकि, अनुदान के स्वीकृत पूँजी भाग में उपलब्ध 9.23 करोड़ रुपए की समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएँगी, अतः उपर्युक्त दोनों मामलों के संबंध में तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है। शेष आवश्यकता की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी।

As matching savings of Rs.9.23 crore available in the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, a technical supplementary is sought in respect of both the above cases. The balance requirement will be met from savings within the same section of the Grant.

इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 51

मंत्रिमंडल CABINET

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिए)।

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.14	...	0.14
	स्वीकृत	Voted:	215.92	3.00	218.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	72.41	...	72.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	288.47	3.00	291.47	
	भारित	Charged:	0.14	...	0.14
	स्वीकृत	Voted:	288.33	3.00	291.33

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2013-मंत्रिपरिषद	स्वीकृत	2013-Council of Ministers	Voted:	...	50.50 (का)	50.50
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	...	21.91 (खb)	21.91
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	72.41	72.41

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्न को पूरा करने के लिए है:

The supplementary grant is sought for meeting:

(क) (i) मंत्रिपरिषद का स्थापना संबंधी व्यय (49.15 करोड़ रुपए);

(a) (i) establishment related expenditure of the Council of Ministers (Rs.49.15 crore);

(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का स्थापना संबंधी व्यय (1.35 करोड़ रुपए)।

(ii) establishment related expenditure of the National Security Council Secretariat (Rs.1.35 crore);

(ख) विशेष सुरक्षा समूह का स्थापना संबंधी व्यय।

(b) establishment related expenditure of the Special Protection Group.

चूंकि अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध 0.15 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इस पूरक अनुदान में 72.26 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय शामिल है।

As an amount of Rs.0.15 crore available in the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, the supplementary grant involves a net cash outgo of Rs.72.26 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.52

पुलिस
POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52, वर्ष 2006-07 की अनुदानों की प्रथम पूरक मांगों का पृष्ठ 29 तथा वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)।

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-07, page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07 and page 33 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	3.44	17.35	20.79
	स्वीकृत	Voted:	14090.65	2039.38	16130.03
पूरक अनुदान:	SUPPLYMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	547.53	0.01	547.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		14641.63	2056.75	16698.38
	भारित	Charged:	3.44	17.35	20.79
	स्वीकृत	Voted:	14638.19	2039.40	16677.59

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2055-पुलिस		2055-Police	Voted:	...	0.01 (का)
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर		4055-Capital Outlay			
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	on Police	Voted:	...	0.01 (खब)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	0.02

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

(क) पुलिस बलों के आधुनीकीकरण की योजना के तहत सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु (33.76 करोड़ रुपए)।

(ख) (i) दिल्ली पुलिस आवास निगम की संस्थापना हेतु प्रारम्भिक पूंजी उपलब्ध कराने हेतु (5.00 करोड़ रुपए)।

(ii) सशस्त्र सीमा बल के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की खरीद (6.03 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व तथा पूंजी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) Providing grants-in-aid under the scheme of Modernisation of Police Force (Rs.33.76 crore).

(b) (i) Providing initial capital for the establishment of Delhi Police Housing Corporation (Rs.5.00 crore).

(ii) Purchase of land for construction of office buildings of Sashastra Seema Bal (Rs.6.03 crore).

As matching savings are available within the Revenue and Capital sections of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

The supplementary will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.53

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की 2006-07 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53, वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिए)।

(See page 53 of the Demands for Grants of the Central Government for the year 2006-07, page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07 and page 34 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	964.51	...	964.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	337.13	...	337.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	283.16	...	283.16
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1584.82	...	1584.82
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	1584.80	...	1584.80

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	50.00 (क)	50.00
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	स्वीकृत	2245-Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	30.00 (ख)	30.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	203.16 (ग)	203.16
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	283.16	283.16

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए है:

- (क) स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन की दर में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।
 (ख) जम्मू तथा कश्मीर में भूकम्प से प्रभावित लोगों के लिए राहत वस्तुएं, आश्रय स्थल आदि की व्यवस्था करना।
 (ग) निम्नलिखित पर व्यय के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति:

- (i) पश्चिम बंगाल में आतंकवादियों का पुनर्वास (2.11 करोड़ रुपए)।
 (ii) जम्मू तथा कश्मीर में भूकम्प से प्रभावित लोगों के लिए राहत वस्तुओं, आश्रय स्थानों आदि की व्यवस्था करना (35.00 करोड़ रुपए)।
 (iii) अन्य पुनर्वास कार्यक्रम (32.24 करोड़ रुपए)।
 (iv) 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजे में वृद्धि की व्यवस्था करना (152.82 करोड़ रुपए)।

अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इस पूरक अनुदान के कारण नकद व्यय 283.16 करोड़ रुपए होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) Meeting additional expenditure on account of enhancement of the rate of Swatantrata Sainik Samman Pension.
 (b) Providing relief items, shelters, etc. to people affected by earthquake in Jammu & Kashmir.
 (c) Re-imbursement to State Governments, expenditure incurred on:
 (i) Rehabilitation of migrants in West Bengal (Rs.2.11 crore).
 (ii) Providing relief items, shelters, etc. to people affected by earthquake in Jammu & Kashmir (Rs.35.00 crore).
 (iii) Other Rehabilitation Programme (Rs.32.24 crore).
 (iv) Providing enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs. 152.82 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the grant, the cash outgo on account of this supplementary will be Rs.283.16 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 54

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण
TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2006-2007 की अनुदान की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।
(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1123.37	72.00	1195.37
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	22.12	...	22.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	120.49	...	120.49
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1265.98	72.00	1337.98

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3602- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	...	120.49
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	120.49

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:
(i) वर्ष 1984 के दंगों के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु (77.88 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ii) केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहणों की प्रतिपूर्ति के संबंध में पुंडुचेरी सरकार को अनुदान प्रदान करने हेतु (120.48 करोड़ रुपए)।

इस पूरक अनुदान में 120.48 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:
(i) Providing enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs. 77.88 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ii) Providing grant to the Government of Puducherry towards reimbursement of Central Sales Tax collections (Rs. 120.48 crore).

This supplementary grant involves a net cash outgo of Rs. 120.48 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.55

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)।
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 35 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत	Voted:	25878.71	...	25878.71	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत	Voted:	189.28	...	189.28	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)					
	स्वीकृत	Voted:	26068.01	...	26068.01	
II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:						
II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:						
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	189.01 (का)	0.27 (खb)	189.28
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	189.01	0.27	189.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:-

- (क) (i) वर्ष 2006-07 के दौरान 2% के शिक्षा उपकर के अतिरिक्त संग्रहण का प्रारंभिक शिक्षा कोष को अतिरिक्त अन्तरण अन्तरण (189.00 करोड़ रुपए)।
(ii) सर्व शिक्षा अभियान: राज्य कार्यान्वयनकारी सोसायटियों को अतिरिक्त राशि जारी करना (104.00 करोड़ रुपए)।
(iii) "प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता देने का राष्ट्रीय कार्यक्रम" परियोजना के अंतर्गत स्कूलों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के परिवहन हेतु राज्यों द्वारा व्यय के लंबित दावों का निपटान करना (14.26 करोड़ रुपए)।
- (ख) राष्ट्रीय बाल भवन- पदों को भरने के कारण वर्धित वेतन घटक नई पेंशन योजना लागू करने, चिकित्सा व्ययों और कार्यालयी तथा सामान्य व्ययों के लिए (0.27 करोड़ रुपए)।

जहां (क)(ii)(iii) के तहत व्यय अनुदानों के उन्हीं भागों में उपलब्ध बचतों से किया जाएगा, क(i) के तहत व्यय अतिरिक्त प्राप्तियों से किया जाएगा। (ख) के तहत नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) (i) Transfer of additional collection of Education Cess of 2% during the year 2006-07 to Prarambhik Shiksha Kosh (Rs.189.00 crore)
(ii) Sarva Shiksha Abhiyan: release of additional amount to State Implementing Societies (Rs.104.00 crore).
(iii) To settle the pending claims on account of expenditure incurred by States for transportation of food grains from Food Corporation of India godowns to schools under the scheme "National Programme for Nutritional Support to Primary Education" (Rs.14.26 crore).
- (b) National Bal Bhawan- to meet increased salary component due to filling up of posts, introduction of new pension scheme, medical expenses and office and general expenses (Rs.0.27 crore).

While expenditure under (a)(ii)(iii) shall be met from the savings available in the same section of the Grant, the expenditure under a (i) shall be matched by additional receipts. Expenditure under (b) shall entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 56

उच्चतर शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56, वर्ष 2006-2007 की पहली अनुदान मांगों का पृष्ठ 32 और दूसरी पूरक अनुदान मांगों का पृष्ठ 36 देखिए)।

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 32 of First Supplementary Demands for Grants and page 36 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत Voted:	6982.27	0.01	6982.28	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत Voted:	0.05	...	0.05	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत Voted:	133.73	...	133.73	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत Voted:	7116.05	0.01	7116.06	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education				
	स्वीकृत Voted:	0.01 (का)	123.97(खb)	123.98	
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education				
	स्वीकृत Voted:	0.01 (गc)	9.72 (घd)	9.73	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas				
	स्वीकृत Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments				
	स्वीकृत Voted:	0.01 (चf)	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
	स्वीकृत Voted:	0.04	133.69	133.73	

इन पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) (i) माडल स्कूलों की स्थापना (नवोदय विद्यालय) स्कीम के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय, भवनों का रखरखाव और मरम्मत, भवनों का निर्माण तथा अन्य आवर्ती और अनावर्ती व्यय (3.50 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ii) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद स्कीम के अंतर्गत वचनबद्ध देयताएं और निर्माण लागत पूरी करने के लिए (3.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(iii) मानव मूल्यों की शिक्षा हेतु एजेंसियों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए (1.40 करोड़ रुपए)।</p> <p>(iv) यूनेस्को के कार्यक्रमों और गतिविधियों में लगे स्वैच्छिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत देश में वहनीय विकास हेतु यूएन शिक्षा दशक का कार्यान्वयन (0.10 करोड़ रुपए)।</p> | <p>(a) (i) Establishment related expenditure, maintenance and repairs of buildings, construction of buildings and other recurring and non recurring expenditure under the scheme Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas) (Rs.3.50 crore).</p> <p>(ii) For meeting the committed liabilities and cost of construction under the scheme National Council for Promotion of Urdu Language (Rs.3.00 crore).</p> <p>(iii) For grants-in-aid under the scheme Assistance to Agencies for Education in Human Values (Rs.1.40 crore).</p> <p>(iv) Implementation of the UN Decade of Education for Sustainable Development in the country under the scheme Strengthening of Voluntary Organisations engaged in UNESCO's Programmes and Activities (Rs.0.10 crore).</p> |
|---|---|

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (13.36 करोड़ रुपए)।
- (ii) माडल स्कूलों की स्थापना (नवोदय विद्यालय) की स्कीम के अंतर्गत महंगाई भत्ते संबंधी व्यय, सेवा निवृत्ति लाभों के लिए वचनबद्ध देयता और खाली पदों को भरने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (10.00 करोड़ रुपए)।
- (iii) तिब्बती शरणार्थी बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं (तिब्बती स्कूल सोसाइटी) के अंतर्गत पेंशनरों की संख्या में वृद्धि, वेतन और भत्ते और स्थापना संबंधी लागतों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (0.30 करोड़ रुपए)।
- (iv) अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.30 करोड़ रुपए)।
- (v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्धित महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों की अतिरिक्त देनदारी, सम्पत्ति कर/बिजली/जल प्रभारों आदि के कारण वचनबद्ध देयता और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों को भरने, भवनों की वृहत, मरम्मत, नई पेंशन स्कीम और मेडिकल कालेज तथा एसपीएम राजकीय डिग्री कालेज हेतु प्रावधान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (100.00 करोड़ रुपए)।

इस पर 123.96 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (vi) "विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों के एवज में विदेश जाने वाले भारतीय शिक्षाविद" स्कीम के अंतर्गत शिक्षाविदों को वजीफे जैसे विभिन्न खर्च पूरे करने के लिए (0.12 करोड़ रुपए)।
- (vii) वाईएमसीए, इंडियन स्टूडेंट हास्टल लंदन और स्कूल आफ ओरिएण्टल एंड अफ्रीकन स्टडीज को अनुदान (0.09 करोड़ रुपए)।
- (viii) "यूनेस्को में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनिधि मंडल" स्कीम के अंतर्गत पेरिस में सामान्य सम्मेलन के तैत्तिसर्वे सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की तैनाती पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.37 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ग) (i) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को आधुनिकीकरण और अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (12.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन और विद्यार्थियों के प्रवेश में वृद्धि हेतु (39.23 करोड़ रुपए)।
- (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को आईआईटी गुवाहटी में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन हेतु (10.00 करोड़ रुपए)।
- (iv) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) को एनआईटीटीआर, चंडीगढ़ में नए हॉस्टल के निर्माण और एनआईटीटीआर कोलकाता में नए भवन निर्माण कार्यकलापों के लिए (3.70 करोड़ रुपए)।
- (v) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद को राजीव गाँधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी में विस्तार परिसर में भवन निर्माण कार्य और अन्य सुविधाओं संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Additional requirement for Kendriya Vidyalaya Sangathan on establishment related expenditure (Rs.13.36 crore).
- (ii) Additional requirement under the scheme Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas) for meeting expenditure on DA, committed liability towards retirement benefits and filling up of vacant posts (Rs.10.00 crore).
- (iii) Additional requirement under the scheme Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society) for meeting the expenditure towards increase in number of pensioners, pay & allowances and other establishment related costs (Rs.0.30 crore).
- (iv) To meet additional expenditure under the scheme National Award to Teachers (Rs.0.30 crore).
- (v) Additional requirement for University Grants Commission to meet the enhanced DA, additional liability of retirement benefits, committed liability on account of property tax/ electricity/water charges etc., and in Central Universities for filling up of teaching posts, major repairs of buildings, New Pension Scheme and provision for Medical College and S.P.M. Govt. Degree College (Rs.100.00 crore).

This will entail a net cash outgo of Rs.123.96 crore.

- (vi) To meet various expenses like stipend for scholars under the scheme "Indian Scholars going abroad against scholarships offered by Foreign Govt. /Organisations" (Rs.0.12 crore).
- (vii) Grant to YMCA Indian Students Hostel, London and to the School of Oriental and African Studies (Rs.0.09 crore).
- (viii) To meet the additional expenditure incurred on the deputation of Indian delegation to 33rd Session of General Conference at Paris under the scheme Deputation and Delegation to UNESCO (Rs.0.37 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Indian Institute of Science, Bangalore; to meet additional expenditure on modernization and upgradation of infrastructure facilities (Rs.12.00 crore).
- (ii) National Institutes of Technology; for upgradation of infrastructural facilities and increase in intake of students (Rs.39.23 crore).
- (iii) Indian Institutes of Technology; for upgradation of infrastructural facilities at IIT, Guwahati (Rs.10.00 crore).
- (iv) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs); for construction of new Hostel at NITTTR, Chandigarh and for new construction activities in NITTTR, Kolkata (Rs.3.70 crore).
- (v) Indian Institute of Information Technology, Allahabad; to meet the additional expenditure on construction work and other facilities in the Extension Campus at Rajiv

हेतु (3.00 करोड़ रुपए)।

- (vi) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद को हॉस्टल को निर्माण संबंधी प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु (7.00 करोड़ रुपए)।
- (vii) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मुम्बई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई को अप्रेंटिसों को अधिक नौकरी दिलाने और उपकरणों की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय कू पूर्ति हेतु (1.64 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (घ) (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को संकाय सदस्यों की भर्ती, पेंशन का भुगतान, वर्द्धित महंगाई भत्ता, बिजली, जल और टेलिफोन बिल, स्थापना प्रभारों में वृद्धि के संबंध में (21.82 करोड़ रुपए)।

12.11 करोड़ रुपए की राशि की पूर्ति समतुल्य बचत से की जाएगी और 9.71 करोड़ रुपए की शेष राशि का निवल नकद व्यय होगा।

- (ii) वर्द्धित लक्ष्यों के कारण "शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और बजीफा कार्यक्रम" योजना के अन्तर्गत अपेक्षित अतिरिक्त व्यय (1.40 करोड़ रुपए)।
- (iii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्धन संस्थान, ग्वालियर के संबंध में होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए (0.30 करोड़ रुपए)।
- (iv) भारतीय प्रबन्धन संस्थान, सामान्य अनुदान योजना के अन्तर्गत समतुल्य अनुदान के रूप में 9.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराना।
- (v) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई, सामान्य अनुदान योजना के तहत समतुल्य अनुदान के रूप में 6.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराना।
- (vi) इंडियन स्कूल आफ माइंस, धनबाद, सामान्य अनुदान योजना के अन्तर्गत 0.65 करोड़ रुपए उपलब्ध कराना।
- (vii) महंगाई भत्ता, पेंशन तथा पीओएल उत्पादों में वृद्धि के कारण शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई, कोलकाता, कानपुर तथा चेन्नई की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (0.60 करोड़ रुपए)।
- (viii) एसियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी, बैंकॉक को लम्बित बिलों के निपटान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता और भारतीय उपस्कर, पुस्तकों आदि की खरीद हेतु वार्षिक अनुदान जारी करना (0.10 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

- (ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर को और अधिक यूजी/पीजी कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु मौजूदा प्रयोगशालाओं तथा अन्य आधारभूत संरचना का उन्नयन (4.10 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

- (च) अध्यापकों तथा हिन्दी पंडितों की वचनबद्ध दायित्वों की पूर्ति हेतु "भाषा अध्यापक की नियुक्ति" संबंधी योजना के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को सहायता अनुदान (5.76 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

Gandhi Institute of Information Technology at Amethi (Rs.3.00 crore).

- (vi) Indian School of Mines, Dhanbad; to meet the committed liabilities towards construction of hostel (Rs.7.00 crore).
- (vii) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Kolkata, Kanpur and Chennai; for meeting additional expenditure for increasing the placement of Apprentices and purchase of equipment (Rs.1.64 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (d) (i) National Institutes of Technology; towards recruitment of faculty, payment of pension, enhanced DA, electricity, water & telephone bills and increase in establishment charges (Rs.21.82 crore).

An amount of Rs. 12.11 crore will be met from matching saving and remaining amount of Rs. 9.71 crore will be a net cash outgo.

- (ii) Additional expenditure required under the scheme "Programme for Apprenticeship Training Scholarship and Stipends" on account of enhanced targets (Rs.1.40 crore).
- (iii) Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior; for meeting recurring expenditure (Rs.0.30 crore)
- (iv) Indian Institute of Management; to provide Rs.9.00 crore as matching grant under the scheme Block Grant.
- (v) National Institute of Industrial Engineering, Mumbai; to provide Rs.6.00 crore as matching grant under the scheme Block Grant.
- (vi) Indian School of Mines, Dhanbad; to provide Rs.0.65 crore as matching grant under the scheme Block Grant.
- (vii) Additional requirement for Board of Apprenticeship Training, Bombay, Kolkata, Kanpur and Chennai, on account of enhancement in DA, Pension and hike in POL products (Rs.0.60 crore).
- (viii) Additional requirement for Asian Institute of Technology, Bangkok, to clear pending bills and to release annual grant for purchase of Indian equipment, books etc. (Rs.0.10 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (e) To provide grant to North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for upgradation of existing laboratories and other infrastructure to start more UG/PG programmes (Rs.4.10 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (f) Grants-in-aid to the State Government of Andhra Pradesh for the scheme "Appointment of Language Teacher" to meet committed liabilities of teachers and Hindi Pundits (Rs.5.76 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 57

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)।
(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	4852.94	...	4852.94
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRANT :			
	स्वीकृत	Voted:	45.51	...	45.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)			
		Voted:	4898.48	...	4898.48

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare	Voted :	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552-पूर्वोत्तर राज्य	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted :	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted :	0.02	0.01	0.03

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया गया है :

- (क) (i) भवन निर्माण तथा संस्थान सम्बन्धी व्यय पर (0.25 करोड़ रुपए) के लिए 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड' को सहायता अनुदान।
- (ii) तस्करी (महिलाओं की) को रोकने के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा स्रोत क्षेत्रों तथा गंतव्य क्षेत्रों में तस्करी के पीड़ितों के बचाव तथा पुनर्वास हेतु (0.81 करोड़ रुपए) स्वयंसेवी संगठनों के लिए अतिरिक्त निधि की व्यवस्था करना।
- (iii) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा अनुमोदित "देखभाल तथा संरक्षण हेतु जरूरतमंद कामगार बच्चों के कल्याण" की योजना के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (0.25 करोड़ रुपए)।
- (ख) भारत-मारीशस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत "महिला अधिकारिता पर जेंडर प्रशिक्षण" और "वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी की रोकथाम तथा उसका भुगतान करने" के सम्बन्ध में कार्यशालाओं पर किए गए वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु (0.07 करोड़ रुपए)।
- (ग) (i) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा-अनुमोदित 'देश में गोद-लेने को प्रोत्साहन देने हेतु शिशु तथा नौजवान बच्चों के लिए आवास' सम्बन्धी योजना के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.20 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराना।
- (ii) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा-अनुमोदित "किशोरों के अंस्तुलित जीवन की रोकथाम तथा नियंत्रण" की योजना हेतु गैर-सरकारी संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.70 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराना।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं।

The supplementary grants are sought for the following purposes:-

- (a) (i) Grants-in-aid to the "Central Social Welfare Board" for construction of building and establishment related expenditure (Rs. 0.25 crore).
- (ii) Additional funds to NGOs to implement projects for combating trafficking (of women) and for rescue and rehabilitation of victims of trafficking in source areas as well as destination areas (Rs. 0.81 crore).
- (iii) Additional funds to NGOs for the scheme of "Welfare of Working Children in need of Care and Protection" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.25 crore).
- (b) To meet the committed expenditure incurred on the workshops on "Gender Training on Women's Empowerment" under Indo-Mauritius Cultural Exchange Programme and on "Prevention and Combating of Trafficking of Women and Children for Commercial Sexual Exploitation" (Rs. 0.07 crore).
- (c) (i) Additional funds to NGOs for the scheme of "Homes for Infant and Young Children for Promotion In-country Adoption" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.20 crore).
- (ii) Additional funds to NGOs for the scheme of "Prevention and Control of Juvenile Maladjustment" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.70 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 57

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)।
(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	4852.94	...	4852.94
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRANT :			
	स्वीकृत	Voted:	45.51	...	45.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)			
		Voted:	4898.48	...	4898.48

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare	Voted :	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552-पूर्वोत्तर राज्य	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted :	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted :	0.02	0.01	0.03

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया गया है :

- (क) (i) भवन निर्माण तथा संस्थान सम्बन्धी व्यय पर (0.25 करोड़ रुपए) के लिए 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड' को सहायता अनुदान।
- (ii) तस्करी (महिलाओं की) को रोकने के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा स्रोत क्षेत्रों तथा गंतव्य क्षेत्रों में तस्करी के पीड़ितों के बचाव तथा पुनर्वास हेतु (0.81 करोड़ रुपए) स्वयंसेवी संगठनों के लिए अतिरिक्त निधि की व्यवस्था करना।
- (iii) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा अनुमोदित "देखभाल तथा संरक्षण हेतु जरूरतमंद कामगार बच्चों के कल्याण" की योजना के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (0.25 करोड़ रुपए)।
- (ख) भारत-मारीशस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत "महिला अधिकारिता पर जेंडर प्रशिक्षण" और "वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी की रोकथाम तथा उसका भुगतान करने" के सम्बन्ध में कार्यशालाओं पर किए गए वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु (0.07 करोड़ रुपए)।
- (ग) (i) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा-अनुमोदित 'देश में गोद-लेने को प्रोत्साहन देने हेतु शिशु तथा नौजवान बच्चों के लिए आवास' सम्बन्धी योजना के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.20 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराना।
- (ii) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा-अनुमोदित "किशोरों के अंस्तुलित जीवन की रोकथाम तथा नियंत्रण" की योजना हेतु गैर-सरकारी संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.70 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराना।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं।

The supplementary grants are sought for the following purposes:-

- (a) (i) Grants-in-aid to the "Central Social Welfare Board" for construction of building and establishment related expenditure (Rs. 0.25 crore).
- (ii) Additional funds to NGOs to implement projects for combating trafficking (of women) and for rescue and rehabilitation of victims of trafficking in source areas as well as destination areas (Rs. 0.81 crore).
- (iii) Additional funds to NGOs for the scheme of "Welfare of Working Children in need of Care and Protection" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.25 crore).
- (b) To meet the committed expenditure incurred on the workshops on "Gender Training on Women's Empowerment" under Indo-Mauritius Cultural Exchange Programme and on "Prevention and Combating of Trafficking of Women and Children for Commercial Sexual Exploitation" (Rs. 0.07 crore).
- (c) (i) Additional funds to NGOs for the scheme of "Homes for Infant and Young Children for Promotion In-country Adoption" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.20 crore).
- (ii) Additional funds to NGOs for the scheme of "Prevention and Control of Juvenile Maladjustment" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.70 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO.58

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरे बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)।

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 39 of Second Supplementary Demands for grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	1558.57	157.47	1716.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1558.63	157.48	1716.11	
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	1558.60	157.48	1716.08

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2221-प्रसारण	स्वीकृत	2221-Broadcasting	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6220-सूचना एवं प्रचार		6220-Loans for Information				
के लिए ऋण	स्वीकृत	and Publicity	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.01	0.01	0.02
	भारित		Charged:
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.01	0.02

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए इस पूरक अनुदान का अनुरोध किया गया है:-

(क) प्रसार भारती को 3.37 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए जिससे वह उन सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं, "छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान" का भुगतान कर सके। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) 'राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम' (एनएफडीसी) को फिल्मों के डिजिटलाइजेशन, डीवीडी तैयार करने, लोकप्रिय एनएफडीसी फिल्मों को प्रतिकृतियां तैयार करने, फिल्मों की अधिप्राप्ति और क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण के तौर पर 15 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग के अधीन बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) Rs.3.37 crore to Prasar Bharati to enable it to remit 'leave salary and pension contribution' in respect of Government Employees who are on deemed deputation with the Corporation. As savings are available within Revenue section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) Rs.15 crore as loan to the 'National Film Development Corporation' for digitalization of films, DVD authoring, replication of popular NFDC films, procurement of films and production of Regional films. As savings are available under Capital section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 59

श्रम और रोजगार मंत्रालय
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)।

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007.)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	1643.56	...	1643.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	500.01	...	500.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2143.59	...	2143.59	
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2143.57	...	2143.57

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2230- श्रम और रोजगार	2230-Labour &				
	स्वीकृत	Employment	Voted:	...	500.01
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	500.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:-

The supplementary grant is required for the following purposes:-

- (i) वेतनभोगी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के नए 'वेतन बोर्डों' के कार्य संचालन हेतु क्रमशः व्यय की पूर्ति हेतु (0.19 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के संबंध में सरकारी हिस्से के अंशदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूर्ति हेतु (500 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

- (i) For meeting expenditure for functioning of new 'Wage Boards' of working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees respectively (Rs.0.19 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (ii) For meeting additional requirement on Government share of contribution towards Employees' Pension Scheme, 1995 (Rs.500 crore). This will entail a net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

चुनाव आयोग
ELECTION COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिए)।

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	12.50	...	12.50	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	1.36	...	1.36	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	13.86	...	13.86	
स्वीकृत	Voted:	13.86	...	13.86	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2015-चुनाव	2015-Elections				
स्वीकृत	Voted:	...	1.36	1.36	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1.36	1.36	

यह पूरक अनुदान चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग के अतिरिक्त स्थापन सम्बन्धी व्यय और आयोग की वेबसाइट के रख-रखाव और राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण के व्यय के लिए अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for additional establishment related expenditure of the Election Commission and the Delimitation Commission and also the expenditure for maintenance of the Commission's website and National Voters Awareness Campaign/ Training. This will entail cash outgo.

संख्या NO. 62 (विनियोग) (APPROPRIATION)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
SUPREME COURT OF INDIA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिए)।

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारत	Charged:	43.27	...	43.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारत	Charged:	8.73	...	8.73
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	52.00	...	52.00
भारत	Charged:	52.00	...	52.00

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice			
भारत	Charged:	...	8.73	8.73
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	8.73	8.73

यह पूरक विनियोग न्यायालय में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) और अन्य सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था करने तथा अतिरिक्त स्थापन सम्बन्धी व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूर्ति के लिए अपेक्षित है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure for providing Closed Circuit Television (CCTV) and other security related equipments in the Court and for additional establishment related expenditure. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.63

खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 41 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	362.97	131.95	494.92
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	58.85	0.01	58.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	4.65	...	4.65
	स्वीकृत	Voted:	66.14	...	66.14
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	492.71	131.96	624.67	
	भारित	Charged:	4.75	...	4.75
	स्वीकृत	Voted:	487.96	131.96	619.92
II.इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II.This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2853-अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2853-Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries				
	भारित	Charged:	...	4.65 (का)	4.65
	स्वीकृत	Voted:	...	66.14 (खb)	66.14
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	70.79	70.79	
	भारित	Charged:	...	4.65	4.65
	स्वीकृत	Voted:	...	66.14	66.14

इस पूरक विनियोग/अनुदान के लिए अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किया गया है:

The supplementary Appropriation/Grants is sought for the following purposes:

(क) कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के कर्मचारियों को अन्तरिम भुगतान करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(a) Recoupment of an advance obtained from the Contingency Fund of India for making interim payment to the employees of Bharat Gold Mines Limited in compliance of orders of the High Court of Karnataka. This will entail a cash outgo.

(ख) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के कर्मचारियों को विशेष सेवांत लाभ पैकेज (67.80 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन हेतु। चूंकि राजस्व भाग में 1.66 करोड़ रुपए की सीमा तक बचतों के पुनर्विनियोजन से व्यय की आंशिक रूप से पूर्ति की जाएगी, इसलिए शेष राशि हेतु पूरक अनुदान का अनुरोध किया जा रहा है। इसके अलावा, अनुदान के पूंजी भाग में 46.28 करोड़ रुपए की राशि की समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें 19.86 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

(b) For implementation of Special Terminal Benefit Package (Rs.67.80 crore) to the employees of Bharat Gold Mines Limited. As the expenditure will partly be met by re-appropriation of savings to the extent of Rs.1.66 crore in the Revenue Section, the supplementary is being sought for the balance amount. Further, as there are matching savings available to the tune of Rs.46.28 crore in the Capital Section of the Grant, the net cash outgo will be Rs.19.86 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 66

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
(पूर्वनाम - महासागर विकास विभाग)
MINISTRY OF EARTH SCIENCES
(Previously - Department of Ocean Development)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिए)।

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	...	475.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.05	0.05
	स्वीकृत	Voted:	56.05	115.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	531.85	59.10	590.95
	भारित	Charged:	0.05	0.05
	स्वीकृत	Voted:	531.80	590.90

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research			
	स्वीकृत	Voted:	16.50 (का)	4.45 (खb)
3455-मौसम विज्ञान	3455-Meteorology			
	भारित	Charged:	...	0.05 (गc)
	स्वीकृत	Voted:	25.00 (घd)	10.10 (ङe)
जोड़ - राजस्व भाग	Total - Revenue Section	41.50	14.60	56.10
	भारित	Charged:	...	0.05
	स्वीकृत	Voted:	41.50	14.55
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on other Scientific and Environmental Research			
	स्वीकृत	Voted:	17.50 (चf)	...
5455-मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	5455-Capital Outlay on Meteorology			
	स्वीकृत	Voted:	41.00 (छg)	0.60 (जh)
जोड़ - पूंजी भाग	Total - Capital Section	58.50	0.60	59.10
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	58.50	0.60
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	100.00	15.20	115.20
	भारित	Charged:	...	0.05
	स्वीकृत	Voted:	100.00	15.15
टिप्पणी: उपरोक्त अनुमानों में नीचे दी गई वसूलियां शामिल नहीं हैं जिसका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।				
Note: The above estimates do not include the recoveries shown below which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3455-मौसम विज्ञान	3455-Meteorology			
	स्वीकृत	Voted:	...	(-)1.00

(क) से (ड) इस पूरक अनुदान का अनुरोध भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे (11.20 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय मीडियम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (9.75 करोड़ रुपए) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (173.15 करोड़ रुपए) संबंधी प्रावधान के अंतरण हेतु किया गया है क्योंकि इन संगठनों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत 138.00 करोड़ रुपए की बचतों के पुनर्विनियोजन के पश्चात शेष राशि के लिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।

(च) से (ज) यह पूरक अनुदान का अनुरोध राष्ट्रीय मीडियम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (17.50 करोड़ रुपए) और भारतीय मौसम विभाग (41.60 करोड़ रुपए) संबंधी प्रावधान के अंतरण हेतु किया गया है क्योंकि इन संगठनों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

उपर्युक्त पूरक अनुदानों में कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उपर्युक्त योजनाओं/संगठनों संबंधी बजटीय प्रावधान अभ्यर्पित करेगा।

(a) to (e) The supplementary grant is sought for transfer of the provision relating to Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune (Rs.11.20 crore), National Centre for Medium Range Weather Forecasting (Rs.9.75 crore) and India Meteorology Department (Rs.173.15 crore) as these organisations have been transferred from the Department of Science and Technology to the Ministry of Earth Sciences. After re-appropriation of the savings of Rs.138.00 crore within the revenue section of the Grant, a technical supplementary is sought for the balance amount.

(f) to (h) The supplementary grant is sought for transfer of the provision relating to National Centre for Medium Range Weather Forecasting (Rs.17.50 crore) and India Meteorology Department (Rs.41.60 crore) as these organisations have been transferred from the Department of Science and Technology to the Ministry of Earth Sciences.

The above supplementaries will not entail any cash outgo as Department of Science and Technology will surrender the budgetary provision relating to above schemes/organisations.

मांग संख्या DEMAND NO. 69

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 तथा अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)।

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	7.14	9.00	16.14
	स्वीकृत	Voted:	301.13	28.03	329.16
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	...	1.00	1.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.47	2.00	2.47
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	308.74	40.03	348.77	
	भारित	Charged:	7.61	11.00	18.61
	स्वीकृत	Voted:	301.13	29.03	330.16

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग			REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			2070-Other Administrative			
	भारित	Services	Charged:	...	0.47 (का)	0.47
पूंजी भाग			CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम			7601-Loans and Advances to State Governments			
	भारित		Charged:	...	2.00 (खb)	2.00
जोड़ (पूरक)	भारित	Total (Supplementary)	Charged:	...	2.47	2.47

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है:

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना व्यय।

(ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम के लिए भुगतानों के एवज में राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति।

चूंकि अनुदान के राजस्व/पूंजी (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध बचतें अभ्यर्पित कर दी जाएंगी, इसलिए प्रत्येक मामले में तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है जिसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional requirement on:

(a) Establishment expenditure of Central Vigilance Commission.

(b) Re-imbursement to State Governments against payments made towards House Building Advances to All India Service Officers.

As matching savings available in the Revenue/Capital (Voted) Section of the Grant will be surrendered, a technical supplementary is sought in each case involving no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 70

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 और अनुदानों की दूसरी मांगों का पृष्ठ 44 देखिए)।

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 36 of First Supplementary Demands for Grants and page 44 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	3106.62	...	3106.62	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	19150.01	...	19150.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	5000.01	528.58	5528.59	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	27256.64	528.58	27785.22	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	Voted:	...	5000.01 (का)	5000.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4802-पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	4802-Capital Outlay on Petroleum	Voted:	...	528.58 (खb)	528.58
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	5528.59	5528.59

टिप्पणी : अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई प्राप्तियों को हिसाब में नहीं लिया गया है, जिसका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।

Note : The above estimates of additional requirement do not take into account the Receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

4000-विविध पूंजी प्राप्तियां	4000-Miscellaneous Capital Receipts	...	(-) 528.58	(-) 528.58	
8012-विशेष जमा और खाता	8012-Special Deposits and Accounts	...	(-) 5000.00	(-) 5000.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु आवश्यक है :

- (क) (i) 'संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों' की बिक्री के कारण वर्ष 2006-07 में अनुमानित कम वसूलियों के संबंध में तेल विपणन कम्पनियों को विशेष सिक्योरिटीज निर्गम के जरिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु (5000 करोड़ रुपए)। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ii) एपीएम अवधि के संबंध में ओएनजीसी, ओआईएल, बीपीसीएल और आईओसी के आकस्मिक देयताओं के निपटान हेतु (57.15 करोड़ रुपए)। चूंकि राशि की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ख) ओएनजीसी द्वारा जारी बोनस शेयरों में 528.58 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु। इसे प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा।

The supplementary grants are required for the following purposes:-

- (a) (i) Providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under recoveries in 2006-07 on account of sale of 'Sensitive Petroleum Products' (Rs. 5000 crore). It does not entail any cash outgo.
- (ii) Settlement of contingent liability claims of ONGC, OIL, BPCL and IOC pertaining to the APM period (Rs. 57.15 crore). Since the amount will be met from savings in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Additional equity investment in the bonus shares issued by ONGC to the tune of Rs. 528.58 crore. This will be matched by receipts.

मांग संख्या DEMAND NO.72

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 और वर्ष 2006-2007 की दूसरी पूरक अनुदान मांगों का पृष्ठ 45 देखिए)।
(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, and page 45 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:		5188.42	1797.74	6986.16
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:		0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:		0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:		5188.45	1797.74	6986.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2801-Power	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
		Voted:	0.01 (क) (ख)	0.02

इन पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) (i) त्वरित सिंचाई विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) परियोजना के लिए परामर्श प्रभागों के संबंध में परामर्शदाताओं के बकाया बिलों के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकताएं (27 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए।
- (ii) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. के संघटित स्थानीय प्रेषण केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र (यूएलडीसी-एनईआर) के संबंध में सहायता-अनुदान शीर्ष के एवज में अतिरिक्त आवश्यकता (13.06 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (i) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) की पेंशन निधियों के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता-अनुदान शीर्ष के एवज में अतिरिक्त राशि (1 करोड़ रुपए) की आवश्यकता है।
- (ii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के कार्यालय भवन के किराया प्रभागों का भुगतान करने के लिए सहायता-अनुदान शीर्ष के एवज में अतिरिक्त राशि (0.40 करोड़ रुपए) की आवश्यकता है।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for the following purposes:

- (a) (i) For meeting the additional requirements (Rs. 27 crore) in respect of consultancy charges for Accelerated Power Development & Reform Programme (APDRP) Project for clearing the pending bills of consultants.
- (ii) For meeting the additional requirements (Rs. 13.06 crore) in respect of Unified Local Dispatch Centre-North Eastern Region (ULDC-NER) of Power Grid Corporation of India Ltd. against the head Grant-in-aid.

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) An additional amount (Rs. 1 crore) is needed for strengthening of Pension Funds of National Power Training Institute (NPTI) against the head Grant-in-aid.
- (ii) An additional amount (Rs. 0.40 crore) is required for making payment of Rent Charges of Office Building of Central Electricity Regulatory Commission (CERC) against the head Grant-in-aid.

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.75

राज्य सभा
RAJYA SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिए)।

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.34	...	0.34
	स्वीकृत	Voted:	102.00	...	102.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.18	...	0.18
	स्वीकृत	Voted:	0.93	...	0.93
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	103.45	...	103.45	
	भारित	Charged:	0.52	...	0.52
	स्वीकृत	Voted:	102.93	...	102.93
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-Parliament/State/Union				
विधान मण्डल	Territory Legislatures				
	भारित	Charged:	...	0.18	0.18
	स्वीकृत	Voted:	...	0.93	0.93
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1.11	1.11	
	भारित	Charged:	...	0.18	0.18
	स्वीकृत	Voted:	...	0.93	0.93

यह पूरक अनुदान/विनियोग अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय (1.11 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए अपेक्षित है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for meeting additional establishment related expenditure (Rs.1.11 crore). This will entail net cash outgo.

संख्या NO.76 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिए)।

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	59.99	...	59.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	4.50	...	4.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	64.49	...	64.49
भारित	Charged:	64.49	...	64.49
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission			
भारित	Charged:	...	4.50	4.50
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)			
भारित	Charged:	...	4.50	4.50

यह पूरक विनियोग अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय और आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं और इसके द्वारा किए जाने वाले चयन, जिसमें विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) के माध्यम से विज्ञापन पर व्यय (4.50 करोड़ रुपए का) शामिल है, से जुड़े व्यय के लिए भी आवश्यक है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for additional establishment related expenditure and also the expenditure in connection with examinations conducted by the Commission and selections made by it including expenditure on advertisement through Directorate of Advertisement and Visual Publicity(DAVP) (Rs.4.50 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 78

ग्रामीण विकास विभाग
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)।

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 46 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	39073.18	...	39073.18
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	16455.02	...	16455.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.20	...	0.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	55528.40	...	55528.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	स्वीकृत	2501-Special Programmes for Rural Development	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत	2505-Rural Employment	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		2515-Other Rural Development Programmes	Voted:	0.01 (गक)	0.16 (घद)	0.17
3054-सड़कें एवं पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	0.01 (गे)	...	0.01
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.04	0.16	0.20

इस पूरक अनुदान का अनुरोध निम्नलिखित योजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया है:

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (3 करोड़ रुपए) और आन्ध्र प्रदेश में जनजातीय समुदायों के सतत विकास हेतु गिरिप्रगति (2.58 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन हेतु विदेशी सहायता का अन्तरण।

(ख) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का खाद्यान्न संघटक (2500 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं।

(ग) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (10 करोड़ रुपए) और डीआरडीए प्रशासन (20 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(घ) प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (0.16 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (800 करोड़ रुपए) और पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु विदेशी सहायता (20 करोड़ रुपए) का अन्तरण। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting additional requirements of the following Schemes:

(a) Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (Rs.3 crore) and pass through of external assistance for implementation of Giripragati (Rs.2.58 crore) for sustainable development of tribal communities in Andhra Pradesh.

(b) Foodgrain component of Sampoorana Gramin Rozgar Yojana (Rs.2500 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

(c) State Institutes of Rural Development (Rs.10 crore) and DRDA Administration (Rs.20 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) National Institute of Rural Development (Rs.0.16 crore) for meeting administrative expenditure. This will entail a cash outgo.

(e) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) (Rs.800 crore) and pass through of external assistance (Rs.20 crore) for implementation of PMGSY. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.80

पेयजल आपूर्ति विभाग
DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिए)।

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	6001.70	...	6001.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	6001.71	...	6001.71

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान का अनुरोध ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्य सरकारों की अतिरिक्त आवश्यकता (60 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु किया गया है। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting additional requirement (Rs.60 crore) of various State Governments under Rural Sanitation Programme. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.81

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और 2006-07 की दूसरी पूरक अनुदान मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)।
(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 47 of Second Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.07	...	0.07
	स्वीकृत	Voted:	1605.59	153.60	1759.19
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.96	0.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1605.69	154.56	1760.25	
	भारित	Charged:	0.07	...	0.07
	स्वीकृत	Voted:	1605.62	154.56	1760.18

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research				
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	0.01	0.02	

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

(क) (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकसित क्षेत्रों में ठोस अनुप्रयोगों के विकास पर संकेन्द्रित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु आयामी अनुसंधान (27.00 करोड़ रुपए); और (ii) 'प्रौढ़ एवं अभिनव ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग' संबंधी विज्ञान एवं सोसाइटी कार्यक्रम (1.35 करोड़ रुपए)

(ख) भारत के सर्वेक्षण को देहरादून और हैदराबाद स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के अतिरिक्त व्यय (0.68 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

The supplementary grant is required for:

(a) (i) Multi-Disciplinary Research in Science and Technology to implement projects which focus on development of tangible applications in emerging fields of science and technology (Rs.27.00 crore); and (ii) Science and Society Programme for - 'Science and Technology Applications for Elderly Population and Innovative Rural Development' (Rs.1.35 crore).

(b) Survey of India to meet additional expenditure of Kendriya Vidyalaya Schools at Dehradun and Hyderabad (Rs.0.68 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.82

विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिए)।

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1749.90	0.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			1750.00
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1749.92	0.10	1750.02
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1749.92	0.10
				1750.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research			
	स्वीकृत	Voted:	0.01(का)	0.01(खb)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	0.01	0.02

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित है:

(क) (i) अनुसंधान अध्येताओं के लिए अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति (15.00 करोड़ रुपए), और (ii) 'तकनीकी संवर्धन, विकास और उपयोग' योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान करना (2.80 करोड़ रुपए)।

(ख) (i) अनुसंधान अध्येताओं को अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति (15.00 करोड़ रुपए); और (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का वेतन व्यय (10.20 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for providing additional grants-in-aid to the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) for:

(a) (i) Fellowships/Scholarships to Research fellows (Rs.15.00 crore); and (ii) providing additional grants-in-aid to various institutions under the scheme 'Technology Promotion Development and Utilisation' (Rs.2.80 crore).

(b) (i) Fellowships/Scholarships to Research fellows (Rs.15.00 crore); and (ii) Salary expenditure of National Laboratories (Rs.10.20 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 83

जैव-प्रौद्योगिक विभाग
DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिए)।

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	534.60	534.60
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	534.61	...	534.61
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	534.61	534.61

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक	3425-Other Scientific			
अनुसंधान	Research	Voted:	0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01

इस पूरक अनुदान का अनुरोध निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करने हेतु किया गया है। (i) पूर्वोक्त में जैव-सूचना संबंधी सुविधाएं (1.00 करोड़ रुपए); और (ii) अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रमों और वैज्ञानिक सलाहकार समिति (ओवरसीज) के तहत परियोजनाओं के लिए (4.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

The Supplementary grant is sought for release of additional grants-in-aid for (i) Bio-Informatic Facilities in the North East (Rs. 1.00 crore); and (ii) Projects under International Bilateral Programmes and Scientific Advisory Committee (Overseas) (Rs. 4.00 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 84

नौवहन विभाग

DEPARTMENT OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिए)।

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 48 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	786.52	588.65	1375.17
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	213.84	0.03	213.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	105.70	0.01	105.71
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	1106.06	588.69	1694.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
3051-पतन एवं दीप स्तम्भ	3051-Ports and Light Houses	Voted:	...	87.68 (खb)	87.68
3056-अन्तर्देशिय जल परिवहन	3056-Inland Water Transport	Voted:	...	18.01 (गc)	18.01
जोड़ (राजस्व)	Total Revenue Section	Voted:	...	105.70	105.70
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5052-नौवहन पर पूंजी परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shipping	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total Capital Section	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	105.70	105.71

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है:

(क) गैर-केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के शिपयार्ड और निजी क्षेत्र के शिपयार्डों को अतिरिक्त सब्सिडी (7 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसे भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) (i) कोलकाता पतन न्यास को अतिरिक्त तलकषण सब्सिडी (131.78 करोड़ रुपए); (ii) छोटे पत्तनों के संबंध में लघु निर्माण कार्य/चिकित्सा खर्चों आदि के लिए अतिरिक्त खर्च (0.53 करोड़ रुपए)। चूंकि राजस्व भाग के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन हेतु 44.63 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं और अनुदान के पूंजी भाग से 87.68 करोड़ रुपए की बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा; और (iii) दीपस्तम्भ और दीप नौका महानिदेशालय (डीजीएलएल) द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) Additional subsidy to Non-Central PSU Shipyard and Private Sector Shipyards (Rs. 7 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Additional dredging subsidy to Kolkata Port Trust (Rs. 131.78 crore); (ii) Additional expenditure for Minor Works/Medical Expenses etc. to Minor Ports (Rs. 0.53 crore). As savings of Rs. 44.63 crore are available for re-appropriation within the Revenue Section and savings of Rs. 87.68 crore will be surrendered from the Capital Section of the Grant, there will be no cash outgo; and (iii) Transfer to General Reserve Fund by Directorate General of Light

- प्राप्तियों (4.59 करोड़ रुपए) के एवज में और व्यवसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय (2.07 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए सामान्य प्रारक्षित निधि को अन्तरण। डीजीएलएल के व्यय को प्राप्तियों में से घटा दिया गया है इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) (i) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के प्रति बकाया ऋणों का सहायता अनुदानों में रुपान्तरण (18 करोड़ रुपए)। चूंकि यह व्यय लेखा समायोजन प्रकृति की है इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (i) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को वेतन/पेंशन आदि की बकाया राशि का भुगतान करने पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान (1.79 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- (घ) प्रस्तावित भारतीय सामुद्रिक (मेरीटाइम) विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे के विकास/डीपीआर अध्ययन के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान (20 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- Houses and Light Ships (DGLL) against the additional receipts during current financial year (Rs. 4.59 crore) and to meet additional expenditure on professional services (Rs. 2.07 crore). As the expenditure of DGLL is netted against receipts it will not entail cash outgo.
- (c) (i) Conversion of outstanding loans against Central Inland Water Transport Corporation (CIWTC) into grants-in-aid (Rs. 18 crore). Since expenditure is in the nature of accounting adjustments, a technical supplementary is sought. This will not entail cash outgo.
- (ii) Additional grants-in-aid to Inland Waterways Authority of India for meeting expenditure on payment of arrears of salary/pension etc. (Rs. 1.79 crore). As savings are available within the Revenue section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Additional grants-in-aid for infrastructure development/ DPR study of the proposed Indian Maritime University (Rs. 20 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.85

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग

DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिए)।

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 49 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.80	5.70	6.50
	स्वीकृत	Voted:	11960.30	11644.25	23604.55
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11961.12	11649.96	23611.08	
	भारित	Charged:	0.80	5.70	6.50
	स्वीकृत	Voted:	11960.32	11644.26	23604.58

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges			
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01
			0.01	0.01

इस पूरक अनुदान का अनुरोध भूटान में निर्माण कार्यों में लगे कार्मिकों को भूटान क्षतिपूर्ति भत्ते की दरों में संशोधन से सम्बन्धित अतिरिक्त वयय की पूर्ति हेतु आनुषंगिक बकायों के भुगतान (6.68 करोड़ रुपए) हेतु सहायता अनुदान की एवज में है। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure towards grants-in-aid for payment of arrears incidental to revision of rates of Bhutan Compensatory Allowance to personnel engaged in road works in Bhutan (Rs.6.68 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 86

लघु उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी मांगों का पृष्ठ 50 देखिए)।
 (See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 50 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	505.24	19.00	524.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	505.26	19.00	524.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता (8 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु मांगा गया है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The Supplementary grant is sought for meeting additional requirement (Rs.8 crore) under the Credit Guarantee Scheme for SSI Sector. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 87

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिए)।

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1615.31	202.29	1817.60	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	60.52	...	60.52	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1675.83	202.29	1878.12	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes				
स्वीकृत	Voted:	55.00 (का)	0.01 (खb)	55.01	
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare				
स्वीकृत	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments				
स्वीकृत	Voted:	5.50 (घd)	...	5.50	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	60.51	0.01	60.52

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:-

The Supplementary Grant is sought for the following purposes: -

- (क) सफाई कर्मचारियों का उद्धार करने और उनके पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना की स्कीम के कार्यान्वयन हेतु। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए (0.01 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतों से यह राशि पूरी का जाएगी, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) मंत्रालय की विज्ञापन और प्रचार स्कीमों के लिए (7.38 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम हेतु (5.50 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (a) For implementation of the Self Employment Scheme for Liberation and Rehabilitation of Scavengers. As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Section of the Grant, a technical Supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.
- (b) For setting up of National Commission to examine the issue of Sub-Categorization of Scheduled Castes in Andhra Pradesh (Rs.0.01 crore). As the amount will be met from savings in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (c) For Advertising and Publicity of the schemes of the Ministry (Rs.7.38 crore). As matching savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) For the scheme of Post Matric Scholarships for Scheduled Castes (Rs.5.50 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Section of the Grant, a technical Supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 89

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी मांगों का पृष्ठ 52 देखिए)।
(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 52 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1788.65	1816.57
पूरक अनुदान :	SUPPLEMENTARY GRANT :			
	स्वीकृत	Voted:	0.67	0.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	12.62	12.62
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1801.94	27.92	1829.86
	स्वीकृत	Voted:	1801.94	1829.86

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics			
	स्वीकृत	Voted :	0.01 (का)	12.61 (खb)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	12.61

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है :-

The supplementary grant is required for the following purposes:-

- | | |
|--|--|
| <p>(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्तर्गत अपंगता सांख्यिकी पर क्षेत्र सर्वेक्षण करने (0.02 करोड़ रुपए) और एडीबी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय शक्ति समता आंकड़ों के सुदृढीकरण और संग्रहण में भारत की भागीदारी (0.15 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> <p>(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय (12.61 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें निवल नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) For meeting additional expenditure for undertaking field survey on disability statistics under World Health Organisation (Rs. 0.02 crore) and for India's participation in strengthening and collection of Purchasing Power Parity Data under ADB programme (Rs. 0.15 crore). As savings are available in the same section of the Grant, supplementary for a token amount is sought.</p> <p>(b) For meeting additional establishment related expenditure of National Sample Survey Organisation and Indian Statistical Institute (ISI), Kolkata (Rs. 12.61 crore). This will entail net cash outgo.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 90

इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिए)।
(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 53 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	84.50	45.00	129.50
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	70.22	51.90	122.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required: Voted:	165.80	1.73	167.53
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	320.52	98.63	419.15

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	165.80 (का)
					165.80
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4852-लोहा और इस्पात उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4852-Capital Outlay on Iron and Steel Industries	Voted:	1.73 (खब)	...
					1.73
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1.73	165.80
					167.53

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगा गया है:

(क) (i) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि. को वर्ष 1999-2000 के दौरान हुए अप्रत्याशित लाभ के कारण अपनी बकाया आयकर देयताओं के उन्मोचन हेतु सहायता अनुदान (165.79 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। इसमें पूरक अनुदान में 165.79 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ii) आवश्यक लेखा समायोजनों जैसे मेकन लि. को गारंटी शुल्क (5.13 करोड़ रुपए) की माफी हेतु। एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। इसे प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा।

(ख) (i) आवश्यक लेखा समायोजनों जैसे मेकन लि. के संबंध में इसकी पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2005 को इस पर बकाया भारत सरकार के ऋण (6 करोड़ रुपए) को इक्विटी में परिवर्तित करने हेतु एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ii) दिनांक 31.03.2005 के अनुसार मेकन लि. के संबंध में ब्याज (1.72 करोड़ रुपए) को इक्विटी में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक लेखा समायोजनों के लिए। इसे प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) (i) For providing grants-in-aid (Rs. 165.79 crore) to Hindustan Steelworks Construction Ltd. for discharge of its outstanding income tax liabilities, on account of the windfall profit made by the company during 1999-2000. This supplementary will entail a cash outgo of Rs. 165.79 crore.

(ii) For carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of guarantee fee (Rs. 5.13 crore) to MECON Ltd. A token supplementary is sought. This will be matched by receipts.

(b) (i) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz., conversion of Government of India loan (Rs. 6 crore) outstanding as on 31.03.2005 into equity in respect of MECON Ltd., consequent upon its restructuring.

(ii) For carrying out necessary accounting adjustments in respect of MECON Ltd. for conversion of interest (Rs. 1.72 crore) as on 31.03.2005 into equity. This will be matched by receipts.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

कपड़ा मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानों की पहली अनुदानों की पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)।

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	2034.58	1012.17	3046.75
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRANT :			
	स्वीकृत	Voted:	305.02	...	305.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	297.52	0.02	297.54
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	2637.12	1012.19	3649.31

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व विभाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग		2851- Village and Small Industries			
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2852- उद्योग		2852- Industries			
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (खब)	297.50 (गक)	297.51
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section	Voted:	0.02	297.52
पूंजी विभाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4851-ग्रामीण और लघु उद्योग पर पूंजी परिव्यय		4851-Capital Outlay on Village and Small Industries			
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (घद)	...	0.01
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण		6860-Loans for Consumer Industries			
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (ङे)	0.01
जोड़ पूंजी भाग		Total Capital Section	Voted:	0.01	0.02
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	297.51	297.54

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित योजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए मांगा गया है :

(क) मिल गेट प्राइस योजना (5 करोड़ रुपए), विपणन संवर्धन कार्यक्रम (3.50 करोड़ रुपए), हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (20 करोड़ रुपए), पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम को सहायता (0.15 करोड़ रुपए), विपणन सहायता एवं सेवाएं (1 करोड़ रुपए) और ऊन विकास बोर्ड (5.25 करोड़ रुपए)।

(ख) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (5 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध हैं, इसलिए पूरक अनुदान मांगे गए हैं।

The supplementary grant is sought for meeting additional requirement of the following Schemes:

(a) Mill Gate Price Scheme (Rs. 5 crore), Marketing Promotion Programme (Rs. 3.50 crore), Health Insurance Scheme for Handloom weavers (Rs. 20 crore), Assistance to North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation (Rs. 0.15 crore), Marketing Support and Services (Rs. 1 crore) and Wool Development Board (Rs. 5.25 crore).

(b) National Institute of Fashion Technology (Rs. 5 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

- | | |
|---|---|
| <p>(ग) (i) आवश्यक लेखांकन समायोजन अर्थात् भारतीय जूट निगम की पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप बकाया ऋण (196.58 करोड़ रुपए) और ब्याज-माफी (313.07 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालने के लिए। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में 212.16 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए शेष राशि के लिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ii) सूरत में बाढ़ प्रभावित वस्त्र उद्योगों को राहत पैकेज (56 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> <p>(घ) क्राफ्ट परिसर हेतु भूमि की खरीद के लिए 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।</p> <p>(ङ) राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए (60 करोड़ रुपए)।</p> <p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं।</p> | <p>(c) (i) For carrying out necessary accounting adjustments viz. write off of outstanding loan (Rs. 196.58 crore) and waiver of interest (Rs. 313.07 crore) consequent upon restructuring of Jute Corporation of India Ltd. As savings of Rs. 212.16 crore are available under Revenue Section of the Grant, technical supplementary for the balance amount is sought. This will not involve cash outgo.</p> <p>(ii) relief and package to the flood affected textile industries in Surat (Rs. 56 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(d) For meeting additional requirement of Rs. 12 crore towards purchase of land for Craft Complex.</p> <p>(e) For implementation of VRS in National Jute Manufactures Corporation (Rs. 60 crore).</p> <p>As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.</p> |
|---|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 92

पर्यटन मंत्रालय
MINISTRY OF TOURISM

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिए)।

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	377.32	495.50	872.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	377.33	495.50	872.83

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन		3452-Tourism			
स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता "आवास आधारभूत संरचना के सम्बन्ध में प्रोत्साहन" शीर्ष के अन्तर्गत होटलों को सब्सिडी (2.5 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने के लिए है। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

The supplementary grant is required to provide for subsidy to Hotels under the Head 'Incentives to Accommodation Infrastructure' (Rs. 2.5 crore). As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 93

जनजातीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिए)।
 (See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 54 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1495.80	...	1495.80
	स्वीकृत	Voted:	157.65	14.01	171.66
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.98	...	0.98
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	33.88	...	33.88
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1688.33	14.01	1702.34	
	भारित	Charged:	1529.68	...	1529.68
	स्वीकृत	Voted:	158.65	14.01	172.66

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes				
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas				
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments				
	भारित	Charged:	33.88 (गc)	...	33.88
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
	भारित	Charged:	33.88	...	33.88
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02

इस पूरक अनुदान/विनियोग का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है :

- (क) (i) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अतिरिक्त सहायता अनुदान (2.77 करोड़ रुपए)
 (ii) अनुसूचित जनजातियों के लाभ की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन संगठनों को अतिरिक्त सहायता अनुदान (0.68 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (a) (i) Additional grants-in-aid to voluntary organizations for implementing various programmes for the welfare of Scheduled Tribes (Rs. 2.77 crore);
 (ii) Additional grants-in-aid to implementing organisations for various research projects for the benefit of Scheduled Tribes (Rs. 0.68 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं और छात्रों के लिए होस्टलों का निर्माण (1.70 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) निम्नलिखित योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता अनुदान (i) मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्तियां (32.00 करोड़ रुपए), (ii) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (1.43 करोड़ रुपए); और विभिन्न जनजातीय अनुसंधान संस्थानों आदि द्वारा अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा के तहत किए गए अनुसंधान/प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमलापों, जनजातीय समारोहों और अन्य योजनाओं के लिए (0.45 करोड़ रुपए)।

चूंकि इस अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में 25.22 करोड़ रुपए और पूंजी/स्वीकृत भाग में 8.66 करोड़ रुपए की बचतें इसके लिए अभ्यर्पित की जाएंगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

(b) Construction of hostels for Scheduled Tribe Girls and Boys in the North Eastern States (Rs. 1.70 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Additional grants-in-aid to the State Governments under the schemes of (i) Post Matric Scholarships (Rs. 32.00 crore); (ii) Vocational Training Centres (Rs. 1.43 crore); and (iii) For research/training activities undertaken by various Tribal Research Institutes etc. under Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and Other Schemes (Rs. 0.45 crore).

As savings of Rs. 25.22 crore in the Revenue/Voted Section are available and Rs. 8.66 crore in the Capital/Voted Section of the Grant would be surrendered on this account, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.94

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94, वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिए)।

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-07, page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07 and page 55 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	1301.01	754.84	2055.85
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	40.17	...	40.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1341.21	754.84	2096.05
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	1341.20	754.84	2096.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture				
2401- कृषि कार्य	स्वीकृत 2401-Crop Husbandry	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2402- मृदा एवं जल संरक्षण	स्वीकृत 2402-Soil and Water Conservation	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
2405- मात्स्यिकी	स्वीकृत 2405-Fisheries	Voted:	0.01 (गक)	...	0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development				
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत 2515-Other Rural Development Programmes	Voted:	0.01 (घद)	...	0.01
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power				
2801- विद्युत	स्वीकृत 2801-Power	Voted:	...	32.77 (ङे)	32.77
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	Ministry of Food Processing Industries				
2408- खाद्य, भंडारण एवं भंडागारण	स्वीकृत 2408-Food, Storage and Warehousing	Voted:	...	1.59 (चफ)	1.59
माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग	Department of Secondary Education and Higher Education				
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत 2202-General Education	Voted:	...	0.10 (छग)	0.10
महिला और बाल विकास विभाग	Department of Women and Child Development				
2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत 2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	0.65 (जह)	0.65

				(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways				
3054- सड़क एवं पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	0.01 (झ)	...	0.01
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
2059- लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	...	5.00 (ज)	5.00
जल संसाधन मंत्रालय		Ministry of Water Resources				
2702- लघु सिंचाई	स्वीकृत	2702-Minor Irrigation	Voted:	0.01 (क)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.06	40.11	40.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित हैं :-

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on:

- | | |
|--|---|
| (क) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.05 करोड़ रुपए)। | (a) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.0.05 crore). |
| (ख) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपए)। | (b) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.0.20 crore). |
| (ग) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपए)। | (c) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.0.50 crore). |
| (घ) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.94 करोड़ रुपए)। | (d) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.0.94 crore). |
| (ङ) बिजली की खरीद (28.00 करोड़ रुपए) और हाईस्पीड डीजल तेल की लागत (4.77 करोड़ रुपए)। | (e) Purchase of Power (Rs.28.00 crore) and cost of High Speed Diesel oil (Rs.4.77 crore). |
| (च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की लागत के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को भुगतान। | (f) Payment to Food Corporation of India Ltd. towards cost of foodgrain for Public Distribution System. |
| (छ) स्कूलों को सहायता अनुदान। | (g) Grants-in-aid to schools. |
| (ज) सीमावर्ती क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान। | (h) Grants-in-aid for Border Area Projects. |
| (झ) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (16.00 करोड़ रुपए)। | (i) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.16.00 crore). |
| (ञ) भंडारों की खरीद। | (j) Purchase of stores. |
| (ट) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपए)। | (k) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.0.20 crore). |

ऊपर मद (क) से (घ), (झ) और (ट) के तहत व्यय की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी। अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The expenditure under items (a) to (d), (i) and (k) above will be met from savings available within the same section of the grant. Hence, a token supplementary is sought in each case.

जहां तक ऊपर मद (ङ) से (ज) और (ञ) का सम्बन्ध है, चूँकि अनुदान के पूँजी स्वीकृत भाग के अंतर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, जो अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः प्रत्येक मामलों में दर्शाई गई राशि के लिए तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है।

As regards item (e) to (h) and (j) above, since matching savings are available under Capital Voted Section of the Grant, which will be surrendered, a technical supplementary for the amount shown is sought in each case.

इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

This supplementary does not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 95

चंडीगढ़
CHANDIGARH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिए)।

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	33.71	0.55	34.26
	स्वीकृत	Voted:	1114.07	175.48	1289.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.24	...	0.24
	स्वीकृत	Voted:	55.59	25.34	80.93
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1203.61	201.37	1404.98
	भारित	Charged:	33.95	0.55	34.50
	स्वीकृत	Voted:	1169.66	200.82	1370.48

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2014-न्याय प्रशासन		2014-Administration of Justice				
	भारित	Charged:		...	0.24 (का)	0.24
	स्वीकृत	Voted:		...	0.90 (का)	0.90
2055- पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	...	2.90 (क और ख) (a & b)	2.90
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	1.60 (गं)	1.60
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515-Other Rural Development Programmes	Voted:	4.00 (घं)	...	4.00
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801- विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	...	3.20 (ङ)	3.20
बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग		Department of Elementary Education and Literacy				
2236- पोषण	स्वीकृत	2236-Nutrition	Voted:	2.00 (चं)	...	2.00
माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग		Department of Secondary Education and Higher Education				
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.00	0.97 (का)	0.97
2203- तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education	Voted:	1.00 (छं)	0.00	1.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways				
3055- सड़क परिवहन	स्वीकृत	3055-Road Transport	Voted:	...	1.40 (का)	1.40

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
2217- शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted:	...	36.62 (जह)	36.62
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		Ministry of Communication and Information Technology				
3451- साचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451-Secretariat - Economic Services	Voted:	1.00 (झि)	...	1.00
जोड़ - राजस्व भाग		Total - Revenue Section		8.00	47.83	55.83
	भारित		Charged:	...	0.24	0.24
	स्वीकृत		Voted:	8.00	47.59	55.59
पूँजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4059-Capital Outlay on Public Works	Voted:	2.00 (ञज)	...	2.00
माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग		Department of Secondary Education and Higher Education				
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture	Voted:	2.00 (टक)	...	2.00
महिला और बाल विकास विभाग		Ministry of Women and Child Development				
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	Voted:	0.34 (ठल)	...	0.34
युवा मामले और खेल मंत्रालय		Ministry of Youth Affairs and Sports				
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	2.80 (डम)	...	2.80
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport & Highways				
5055-सड़क परिवहन पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	5055-Capital Outlay on Road Transport	Voted:	9.00 (ढन)	...	9.00
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
4216-आवास पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4216-Capital Outlay on Housing	Voted:	5.00 (णो)	...	5.00
4217-शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4217-Capital Outlay on Urban Development	Voted:	4.20 (तप)	...	4.20
जोड़ - पूँजी भाग	स्वीकृत	Total - Capital Section	Voted:	25.34	...	25.34
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		33.34	47.83	81.17
	भारित		Charged:	...	0.24	0.24
	स्वीकृत		Voted:	33.34	47.59	80.93

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त वसूलियों शामिल नहीं हैं, जिनका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।

Note : The above estimates of additional requirement do not take into account the additional recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
पूँजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4217-शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय		4217-Capital Outlay on Urban Development		...	-21.83	-21.83

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है:-

- (क) न्यायालयों, पुलिस, स्कूलों और चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम का स्थापना संबंधी व्यय।
- (ख) पुलिस के सम्बन्ध में डीजल/पीओएल की लागत।
- (ग) होमगार्ड के स्वयंसेवकों के वेतन की दरों में वृद्धि।
- (घ) गाँवों का सूक्ष्म नियोजन और विकास।
- (ङ) बिजली की खरीद।
- (च) मध्याह्न भोजन योजना के तहत क्षेत्र का विस्तार।
- (छ) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (मानित विश्वविद्यालय) में आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएँ प्रदान करना।
- (ज) दूसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगम, चंडीगढ़ को सहायता अनुदान में वृद्धि।
- (झ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उन्नयन हेतु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), सी-ट्रेनिंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स (सीटीओएसएस) और चंडीगढ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीच आउट प्रोग्राम (सिद्रॉप) योजनाओं का क्रियान्वयन।
- (क) से (झ) की व्यय मदों में नकद व्यय होगा।
- (ञ) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में आधारभूत संरचना उन्नयन।
- (ट) कॉलेजों में चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करना और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त खंड का निर्माण।
- (ठ) शहर में किशोर गृह, सेक्टर 25, आँगनवाड़ी और शिशु-गृहों के भवन का निर्माण कार्य पूरा करना।
- (ड) क्रिकेट स्टेडियम, सेक्टर 16 और हॉकी स्टेडियम सेक्टर 42, चंडीगढ़ में आधारभूत संरचना सम्बन्ध सुविधाओं का उन्नयन।
- (ढ) नई ए.सी./वॉल्वों बसों की खरीद सहित 74 बसों को बदलना।
- (ण) सरकारी आवासों के चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करना।
- (त) कूड़ा बीनने वालों के पुनर्वास हेतु और रिक्षा चालकों को मार्गस्थ आश्रय प्रदान करने हेतु उद्यमी विकास केन्द्र (ईडीसी) का विकास।

21.83 करोड़ रुपए की वसूलियों के समायोजन के पश्चात् (ज) से (त) की मदों के अन्तर्गत 3.51 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा। इस पूरक अनुदान/विनियोग में 59.34 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required to meet additional expenditure on the following:-

- a) Establishment related expenditure of Courts, police, schools and Chandigarh Transport Undertaking.
 - b) Cost of Diesel/POL in respect of Police.
 - c) Enhancement in rates of wages of Home Guard Volunteers.
 - d) Micro planning and development of villages.
 - e) Purchase of power.
 - f) Expanding coverage under the Mid-day Meals Scheme.
 - g) Providing infrastructural facilities in the Punjab Engineering College (Deemed University).
 - h) Enhancement of grants-in-aid to Municipal Corporation, Chandigarh as per recommendations of the 2nd Delhi Finance Commission.
 - i) Implementation of State Wide Area Network (SWAN), C-Training on Soft Skills (CTOSS) and Chandigarh Information Technology Reach Out Programme (CITROP) schemes for the upgradation of Information Technology Department.
- Expenditure items (a) to (i) will involve cash outgo.
- j) Upgradation of infrastructure in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
 - k) Completion of ongoing works in colleges and construction of additional block of Chandigarh College of Engineering and Technology.
 - l) Completion of the building of Juvenile-Home, Sector 25, aganwadis and creches in the city.
 - m) Upgrading the infrastructural facilities in the Cricket Stadium, Sector 16 and Hockey Stadium, Sector 42, Chandigarh.
 - n) Replacement of 74 buses including purchase of new A.C/Volvo buses.
 - o) Completion of ongoing construction work of Government houses.
 - p) Development of Entrepreneur Development Centre (E.D.C.) at Rajiv Gandhi Technology Park for rehabilitation of rag pickers and providing transit shelters to rickshaw pullers.

After adjusting recoveries of Rs. 21.83 crore, the expenditure under items (j) to (p) will involve a net cash outgo of Rs.3.51 crore. This supplementary grant/appropriation involves a net cash outgo of Rs.59.34 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 96

दादरा और नागर हवेली
DADRA AND NAGAR HAVELI

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिए)।

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	768.20	807.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1.00	1.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	769.20	39.30	808.50
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	769.20	808.50

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2055- पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	...	0.34 (का)	0.34
बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग		Department of Elementary Education and Literacy				
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	...	0.66 (खb)	0.66
जोड़ - राजस्व भाग	स्वीकृत	Total - Revenue Section	Voted:	...	1.00	1.00
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	1.00	1.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:-

The supplementary grant is required for the following purposes:-

(क) भारतीय रिजर्व बटालियन और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्थापना संबंधी व्यय हेतु।

(a) Establishment expenditure of India Reserve Battalion and of the UT Administration.

(ख) प्राथमिक स्कूल शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों को उच्च वेतनमान की स्वीकृति के कारण वेतन और भत्तों की बकाया राशि के भुगतान हेतु।

(b) Payment of arrears of pay and allowances to primary school teachers and headmasters on account of grant of higher pay scales.

मांग संख्या DEMAND NO. 97

दमन और दीव
DAMAN AND DIU

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिए)।

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	273.46	313.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	50.70	50.70
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	324.16	40.26	364.42
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	324.16	364.42

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
2245- प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	0.70 (का)
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
2801- विद्युत	2801-Power	Voted:	...	50.00 (खब)
जोड़ - राजस्व भाग	Total - Revenue Section	Voted:	...	50.70
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	50.70

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त वसूलियों शामिल नहीं हैं, जिनका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirement do not take into account the additional recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801- विद्युत	2801-Power	Voted:	...	-50.00

अनुपूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है:-

The supplementary grant is required for the following purposes:-

(क) हमनगंगा पुल ढह जाने के कारण विद्यालय में जाने वाले बच्चों और सामान्य जनता के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 15 बसों, गोताखोरों और तैनात किए गए 25 निजी सुरक्षा कर्मियों के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

(a) For meeting additional expenditure in respect of 15 bus services, divers and 25 private security personnel engaged during 2006-07 for school going children and general public due to the collapse of Damanganga bridge.

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत स्टेशनों से अतिरिक्त विद्युत की खरीद हेतु।

(b) For purchase of additional power from Central Sector Power Stations.

व्यय से कटौती के रूप में ली जाने वाली वसूलियों के समायोजन के बाद, इस अनुपूरक में 0.70 करोड़ रुपए की निवल नकदी का व्यय होगा।

After adjustment of the recoveries to be taken as deduction out of expenditure, this supplementary will entail a net cash outgo of Rs.0.70 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 98

लक्षद्वीप
LAKSHADWEEP

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिए)।

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	249.47	169.27	418.74
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	43.01	7.30	50.31
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	292.48	176.57	469.05
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	292.48	176.57	469.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	...	0.15 (का)	0.15
2403- पशु पालन	स्वीकृत	2403-Animal Husbandry	Voted:	...	0.23 (खb)	0.23
2405- मत्स्यिकी	स्वीकृत	2405-Fisheries	Voted:	...	2.08 (गc)	2.08
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515-Other Rural Development Programmes	Voted:	...	0.12 (घd)	0.12
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801- विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	...	9.65 (डe)	9.65
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय		Ministry of Food Processing Industries				
2408- खाद्य भंडारण और और भंडागारण	स्वीकृत	2408-Food, Storage and Warehousing	Voted:	...	1.00 (चf)	1.00
माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग		Department of Secondary Education and Higher Education				
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	...	3.86 (छg)	3.86
लघु उद्योग मंत्रालय		Ministry of Small Scale Industries				
2851- ग्रामीण और लघु उद्योग	स्वीकृत	2851-Village and Small Industries	Voted:	...	0.43 (जh)	0.43
नौवहन मंत्रालय		Ministry of Shipping				
3051- पत्तन और द्वीपस्तम्भ	स्वीकृत	3051-Ports and Lighthouses	Voted:	...	1.15 (झi)	1.15
3052- नौवहन	स्वीकृत	3052-Shipping	Voted:	...	19.16 (ञj)	19.16

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
शहरी विकास मंत्रालय						
Ministry of Urban Development						
2058- स्टेशनरी और प्रिंटिंग	स्वीकृत	2058-Stationery & Printing	Voted:	...	0.13 (रु०)	0.13
2059- लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	...	1.20 (रु०)	1.20
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	...	0.25 (रु०)	0.25
2216- आवास	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	...	0.37 (रु०)	0.37
3053- नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:	...	0.08 (रु०)	0.08
3452- पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism	Voted:	...	0.16 (रु०)	0.16
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय						
Ministry of Non-Conventional Energy Sources						
2810- गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	स्वीकृत	2810-Non-Conventional Sources of Energy	Voted:	...	0.40 (रु०)	0.40
नागर विमानन मंत्रालय						
Ministry of Civil Aviation						
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:	...	2.59 (रु०)	2.59
जोड़ - राजस्व भाग	स्वीकृत	Total - Revenue Section	Voted:	...	43.01	43.01
पूँजी भाग						
मुख्य शीर्ष						
MAJOR HEAD						
नौवहन मंत्रालय						
Ministry of Shipping						
5052-नौवहन पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	5052-Capital Outlay on Shipping	Voted:	5.62 (रु०)	...	5.62
शहरी विकास मंत्रालय						
Ministry of Urban Development						
4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.24 (रु०)	...	0.24
4216-आवास पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4216-Capital Outlay on Housing	Voted:	0.75 (रु०)	...	0.75
4405-मत्स्यिकी पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4405-Capital Outlay on Fisheries	Voted:	0.10 (रु०)	...	0.10
4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	Voted:	0.10 (रु०)	...	0.10
5425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	5425-Capital Outlay on Other Scientific Research	Voted:	0.49 (रु०)	...	0.49
जोड़ - पूँजी भाग	स्वीकृत	Total - Capital Section	Voted:	7.30	...	7.30
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted:	7.30	43.01	50.31
राजस्व भाग						
मुख्य शीर्ष						
MAJOR HEAD						
विद्युत मंत्रालय						
Ministry of Power						
2801- विद्युत		2801-Power		...	-1.00	-1.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय						
Ministry of Food Processing Industries						
2408- खाद्य भंडारण और भंडागारण		2408-Food, Storage and Warehousing		...	-1.00	-1.00
शहरी विकास मंत्रालय						
Ministry of Urban Development						
2059- लोग निर्माण कार्य		2059-Public Works		...	-1.00	-1.00
जोड़ वसूलिया		Total Recoveries		...	-3.00	-3.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त वसूलियों शामिल नहीं हैं, जिनका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।

Note : The above estimates of additional requirement do not take into account the additional recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है:-

- (क) पंचायती राज संस्थाओं में स्थानांतरित स्टाफ को वेतन और भत्ते।
- (ख) दवाईयां, टीके और उपकरण, कुक्कुट आहार और कुक्कुट उपकरण की लागत में वृद्धि।
- (ग) हाई स्पीड डीजल ऑयल की खरीद, तेल भंडारण की टंकी का निर्माण प्रभार, मजदूरी का भुगतान, मालभाड़ा प्रभार आदि।
- (घ) ग्रामीण क्षेत्रों आदि में पंचायत भवन की निर्माण लागत और स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान।
- (ङ) विद्युत उत्पादन के स्थापना संबंधी व्यय और अन्य आवश्यकताओं का संवर्धन।
- (च) भारतीय खाद्य निगम को चावल अधिप्राप्ति लागत का भुगतान।
- (छ) शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना संबंधी व्यय, मुख्यभूमि/महाद्वीप में उच्च अध्ययन हेतु, प्रायोजित अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान/छात्रावास सब्सिडी आदि का भुगतान। मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी में छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु, लगाई गई नावों के प्रभार, बुनियादी शिक्षा के तहत शिक्षकों को वेतन और भत्ते तथा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित विभाग।
- (ज) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना संबंधी व्यय।
- (झ) पत्तनों और द्वीप स्तंभों की स्थापना संबंधी व्यय और ठेकेदारों को जहाजी कुलियों/बांधने और मजदूरी प्रभारों का भुगतान।
- (ञ) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा जहाजों/नौकाओं के परिचालन और रखरखाव का खर्च।
- (ट) सरकारी मुद्रणालयों की स्थापना संबंधी व्यय।
- (ठ) लोक निर्माण की स्थापना और विभिन्न कार्यालय भवनों के रखरखाव/मरम्मत संबंधी व्यय।
- (ड) शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालय भवनों के रखरखाव और मरम्मत का खर्च।
- (ढ) सरकारी आवास भवनों के रखरखाव और मरम्मत का खर्च।
- (ण) नागर विमानन अधिस्थापन का रखरखाव।
- (त) पर्यटन - विभाग के एक्जिक्यूटिव हटों का आधुनिकीकरण।
- (थ) सौर फोटोवोल्टीय (एसपीवी) बिजली परियोजना का अधिस्थापन।
- (द) हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए मैसर्स पवन हंस कारपोरेशन लि. को भुगतान।
- (ध) स्पेयर पार्ट्स डीजीएसएंडडी समायोजन आदि की खरीद और मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. में निर्माणाधीन जहाज की लागत वृद्धि की पूर्ति।
- (न) विभिन्न द्वीपों में स्कूल भवनों की निर्माण लागत।
- (प) सरकारी आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।
- (फ) मात्स्यिकी विभाग के लिए कारखाने का निर्माण।
- (ब) मिनीकोए में हस्तकला भवन का निर्माण।
- (भ) कावारती द्वीपों में तारामंडल का निर्माण।

व्यय में से घटाकर की गई वसूलियों के समायोजन के पश्चात, इस पूरक अनुदान में 47.31 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required to meet additional expenditure on:-

- (a) Pay and allowances of staff transferred to Panchayati Raj Institutions.
- (b) Escalation in cost of medicines, vaccines and equipment, poultry feed and poultry equipment.
- (c) Procurement of High Speed Diesel oil, fabrication charges of oil storage tank, payment of wages, freight charges, etc.
- (d) Construction cost of Panchayat Bhawan and provision of sanitation and public health facilities in rural areas, etc.
- (e) Establishment related expenditure and augmenting other requirement of power generating units.
- (f) To pay rice procurement cost to the Food Corporation of India.
- (g) Establishment related expenditure of educational institutions, payment of scholarships/lumpsum grants/ hostel subsidies, etc. to ST students sponsored for higher studies in mainland; charges of boats deployed for practical training to students in fisheries technology, and pay and allowances of teachers under Elementary Education and other departments transferred to Panchayati Raj Institutions.
- (h) Establishment related expenditure of village and small industries.
- (i) Establishment related expenditure of ports and lighthouses and payment of stevedoring/mooring and labour charges to contractors.
- (j) Cost of running and maintenance of ships/barges by Shipping Corporation of India,
- (k) Establishment related expenditure of Government Presses.
- (l) Establishment related expenditure of Public Works Department and maintenance / repairs of various office buildings.
- (m) Cost of maintenance and repairs of various office buildings of the Education Department.
- (n) Cost of maintenance and repairs of Government residential buildings.
- (o) Maintenance of civil aviation installations.
- (p) Modernisation of executive huts for Tourism Department.
- (q) Installation of Solar Photo Voltaic (SPV) Power Project.
- (r) Payments to M/S Pawan Hans Corporation Ltd. for helicopter services.
- (s) Procurement of spare parts, DGS&D adjustment, etc. and meeting escalation in the cost of ship under construction at M/S. Hindustan Shipyard Ltd.
- (t) Construction cost of school buildings in various islands.
- (u) Construction of Government residential quarters.
- (v) Construction of workshop building for Fisheries Department.
- (w) Construction of Handicraft building at Minicoy.
- (x) Construction of Planetarium at Kavarati Islands.

After adjustment of the recoveries taken as reduction of expenditure, this supplementary will entail a net cash outgo of Rs. 47.31 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 99

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी मांगों का पृष्ठ 56 देखिए)।

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 56 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान :		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	26.08	31.00	57.08
	स्वीकृत	Voted:	1067.79	1120.54	2188.33
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRANT :			
	स्वीकृत	Voted:	30.01	0.01	30.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	24.26	12.43	36.69
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1148.14	1163.98	2312.12
	भारित	Charged:	26.08	31.00	57.08
	स्वीकृत	Voted:	1122.06	1132.98	2255.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय सामान्य		2052-Secretariat-General			
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	0.95 (का)	0.95
2216-आवास	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	23.31 (खb)	23.31
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	24.26	24.26
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4216-आवास पर पूंजी		4216-Capital Outlay on			
परिव्यय	स्वीकृत	Housing	Voted:	12.42 (घd)	12.43
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	12.42	12.43
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	36.68	36.69

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध निम्नलिखित के लिए किया गया है:

(क) मंत्रालय के अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति के लिए, इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(ख) नवनियुक्त सांसदों के पारगमन आवास के किराए के सम्बन्ध में बकाया राशि का भुगतान तथा वीआईपी बंगलों का रख-रखाव/मरम्मत (49.25 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में 25.94 करोड़ रुपए बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा गया है। अनुदान के राजस्व/भारित भाग के अन्तर्गत 0.77 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 22.54 करोड़ रुपए का व्यय होगा।

(ग) नासिक स्थित दूरसंचार विभाग के आवासीय स्थान के निर्माण के लिए (0.48 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है; और

(घ) लोक सभा/राज्य सभा, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों/स्टाफ के आवासीय स्थान के पुनर्विकास कार्य की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are sought for the following purposes:-

(a) To meet additional establishment related expenditure of the Ministry. This will entail net cash outgo;

(b) For payment of arrears on hiring of transit accommodation for the newly elected Members of Parliament and maintenance/repair of VIP Bungalows (Rs.49.25 crore). As savings of Rs.25.94 crore are available within the same section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought. Taking into account the savings of Rs.0.77 crore under Revenue/Charged Section of the Grant, this would entail a net cash outgo of Rs.22.54 crore;

(c) For construction of residential accommodation for the Department of Telecommunication at Nasik (Rs.0.48 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought; and

(d) Additional requirement for re-development work of the residential accommodation for Officers/Staff of Lok Sabha/Rajya Sabha, Department of Economic Affairs, Department of Revenue, Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and Training. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.100

लोक निर्माण कार्य
PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिए)।

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 57 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारत	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	779.77	267.54	1047.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	21.86	23.51	45.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	...	25.71	25.71
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		802.63	317.76	1120.39
	भारत	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	801.63	316.76	1118.39

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यों के लिए पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	21.55 (का)	21.55
4210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	1.96 (खb)	...	1.96
4885-उद्योगों और खनिजों पर पूंजी परिव्यय	4885-Other Capital Outlay on Industries and Minerals	Voted:	0.40 (गc)	...	0.40
5425-अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on other Scientific and Environmental Research	Voted:	1.80 (घd)	...	1.80
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	4.16	21.55	25.71

इन पूरक अनुदानों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुरोध किया गया है:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के लिए नई दिल्ली में नए भवन के निर्माण (5 करोड़ रुपए); हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, मीनामबक्कम जलाहली, और कालीकट में आय कर विभाग के कार्यालय परिसरों के निर्माण (10 करोड़ रुपए); संसद के पुस्तकालय भवन/संसद भवन एनेक्सी में दूरदर्शन चैनल की संस्थापना (6.05 करोड़ रुपए) और सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान के लिए दिल्ली में एक नए भवन के निर्माण (0.50 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय। चूंकि इसके लिए अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

(a) Additional expenditure on construction of new building for the Office of the Comptroller and Auditor General of India at New Delhi (Rs.5 crore); construction of office complexes for Income Tax Department at Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata, Meenambakkam, Jalahalli and Calicut(Rs.10 crore); installation of TV Channel in Parliament Library Building/Parliament House Annexe (Rs.6.05 crore) and Construction of a new building of Institute of Government Accounts and Finance (INGAF) at New Delhi (Rs.0.50 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant on this account, a technical supplementary is sought.

(ख) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मानसिक आघात केन्द्र की स्थापना पर अतिरिक्त व्यय (1.96 करोड़ रुपए)। चूंकि इसके लिए अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

(b) Additional expenditure on setting up of Trauma Centre at Safdarjung Hospital, New Delhi (Rs.1.96 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant on this account, a technical supplementary is sought.

-
- (ग) मुम्बई स्थित नमक आयुक्त के कार्यालय के जारी निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय (0.40 करोड़ रुपये)। चूंकि इसके लिए अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- (घ) देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण के कार्यालय भवन का निर्माण (1.80 करोड़ रुपये)। चूंकि इसके लिए इस अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- (c) Additional expenditure for ongoing construction work of the Office of the Salt Commissioner at Mumbai (Rs.0.40 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant on this account, a technical supplementary is sought.
- (d) Construction of office building for Survey of India at Dehradun (Rs.1.80 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant on this account, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 101

लेखन सामग्री एवं मुद्रण
STATIONERY AND PRINTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 देखिए)।

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 154.06	0.20	154.26
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 7.98	...	7.98
	स्वीकृत		Voted: 162.04	0.20	162.24

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	स्वीकृत	2058-Stationery and Printing	Voted: ...	7.98	7.98

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दिखाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटा कर समायोजित किया जाता है :

Note: The above estimates do not include the recoveries shown below which are adjusted in reduction of expenditure:

राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	स्वीकृत	2058-Stationery and Printing	Voted: ...	(-) 7.98	(-) 7.98

इस पूरक अनुदान का अनुरोध भारत सरकार मुद्रणालयों के लिए कागज और उपयोग में आने वाली अन्य मदों की खरीद करने पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है। चूंकि व्यय को प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाता है, इसलिए इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought to meet expenditure on procurement of paper and other consumable items for the Government of India Presses. As the expenditure is matched by receipts, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 104

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)।

(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 59 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	662.47	6.53	669.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	662.52	6.53	669.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं	2204-Sports and Youth Services	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्न प्रयोजनों के लिए आवश्यक है:-

- (क) (i) भारतीय विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय संघ को "विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान" योजना के अंतर्गत सहायता (1.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) "योग्यता खोज एवं प्रशिक्षण" योजना के अंतर्गत प्रतिबद्ध देयता संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए (1.00 करोड़ रुपए)।
- (iii) "सिंथेटिक सतहों की आपूर्ति तथा संस्थापना के लिए सहायता" की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान (0.10 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचत अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (i) पूर्व संगठन अवधि के पेंशन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए "नेहरू युवा केन्द्र संगठन" को सहायता (1.00 करोड़ रुपए)।

- (ii) मंहगाई भत्ते इत्यादि में वृद्धि के कारण एनएसएस के अधिकारियों को भुगतान करने के लिए "राष्ट्रीय सेवा योजना" के अंतर्गत सहायता (0.27 करोड़ रुपए)।
- (iii) वेतन एवं भत्तों तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए "भारत के खेलकूद प्राधिकरण" को सहायता (3.38 करोड़ रुपए)।

- (iv) अन्धों के अलावा पश्चिमी क्षेत्र उपकुलपति सम्मेलन, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय खेलों तथा कुछ स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों सहित अकादमिक गतिविधियों के संचालन के लिए "लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान" को सहायता (0.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) (i) Assistance to Association of Indian Universities and other Universities/Colleges under the scheme of "Grants to Universities and Colleges" (Rs.1.00 crore).
- (ii) For meeting expenditure on committed liability under the Scheme of "Talent Search & Training" (Rs.1.00 crore).
- (iii) Grants to the State Governments under the scheme of "Support for Supply and Installation of Synthetic Surfaces" (Rs.0.10 crore).

As savings are available within the same section of the grant, token supplementary is sought.

- (b) (i) Assistance to "Nehru Yuva Kendra Sangathan" for meeting pension related expenditure of pre-Sangathan period (Rs.1.00 crore).

- (ii) Assistance under "National Service Scheme" for making the payment to the officers of NSS due to increase in DA etc. (Rs.0.27 crore).

- (iii) Assistance to "Sports Authority of India" for pay and allowances and other establishment related expenditure (Rs.3.38 crore).

- (iv) Assistance to "Lakshmi Bai National Institute of Physical Education" for conducting academic activities including inter-alia West Zone Vice Chancellors Conference, Zonal and National Inter Universities meets and for some Post Graduate Diploma Courses (Rs.0.50 crore).

As savings are available within the same section of the grant, token supplementary is sought.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2006-07 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूल बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत अथवा 1 करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो, से बढ़ जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceed 25% of the original Budget provision or Rs. 1 crore, whichever is more during 2006-07.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

[illegible]

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान 03-केन्द्रीय आयोजना स्कीम हेतु अनुदान 437-कृषि कार्य - खाद तथा उर्वरक 06-जैव खेती को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना 060031-सहायता अनुदान 3601- Grants-in-aid to State Governments 03-Grants for Central Plan Scheme 437-Crop Husbandry-Manures & Fertilizer 06-National Project on Promotion of Organic Farming 060031-Grants-in-aid	5.00	4.99	राज्यों द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों में शिथिलीकरण के कारण राज्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement for States due to relaxation of guidelines for implementation of scheme by States.
2. संस्कृति मंत्रालय		मुख्य शीर्ष - 2205 - कला एवं संस्कृति 00.798-अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (लघु शीर्ष) 03-यूनेस्को को अंशदान 03.00.32-अंशदान			अमरीकी डालर की दर में हुए ऊर्ध्वमुखी उतार-चढ़ाव के कारण और अगोचर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को निधि में अंशदान करने के लिए अपेक्षित है।
Ministry of Culture		Major Head - 2205-Art & Culture 00.798-International Co-operation (Minor Head) 03 - Contribution to UNESCO 03.00.32 - Contribution	0.03	0.02 (एनपीNP)	Due to the upward fluctuation in the US Dollar rate and is required for the contribution for the UNESCO fund for safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
3. रक्षा मंत्रालय (सिविल) राजस्व भाग		मुख्य शीर्ष - 2037-तटरक्षक संगठन किराया, दर एवं कर			बीएमसी को किराए के भुगतान और कोलकाता में विमानशाला (हेंगर) किराए पर लेने के कारण।
Ministry of Defence (Civil) Revenue Section		Major Head -2037-CGO Rent, Rate & Taxes	1.35	1.00	Due to payment of rent to BMC and hiring of Hanger space at Kolkata.
		मुख्य शीर्ष - 2052-रक्षा विभाग टीई (डी) Major Head -2052-DOD TE (D)	0.58	0.18	मैसर्स बामर एंड लॉरी आदि के बकाया बिलों के भुगतान हेतु। To clear the outstanding bills of M/S Balmer & Lawrie, etc.
		टीई (एफ) TE (F)	1.44	0.66	मैसर्स बामर एंड लॉरी आदि के बकाया बिलों के भुगतान हेतु। To clear the outstanding bills of M/S Balmer & Lawrie, etc.
		डीईएसडब्ल्यू टीई (डी)			मैसर्स बामर एंड लॉरी आदि के बकाया बिलों के भुगतान हेतु।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	DESW TE (D)		0.22	0.06	To clear Balmer Lawrie pending bills, etc.
	रक्षा लेखा विभाग मजदूरी Defence Accounts Department Wages		0.35	0.11	दैनिक श्रमिकों को स्थायी हैसियत प्रदान करने के कारण। Due to grant of temporary status to casual labours.
	बैंक नकद कारोबार कर (बीसीटीटी) Bank Cash Transaction Tax (BCTT)		...	0.10	पृथक् शीर्ष आदि आरम्भ करने के कारण। Due to opening of separate head, etc.
	मुख्य शीर्ष - 2055 जेएकेएलआई				नए बटालियनों का निर्माण आरंभ करने, उत्तरी कमान में और अधिक परिवहन आवश्यकता, पेट्रोल एवं ईंधन उत्पादों आदि में मूल्य वृद्धि पर व्यय की पूर्ति हेत।
	MAJOR HEAD-2055 JAKLI	321.79		21.87	To meet expenses on commencement of raising of new Battalions, more transportation requirement in Northern Command, hike in petrol & Fuel products, etc.
	मुख्य शीर्ष--2075-केन्द्रीय भंडार विभाग मजदूरी MAJOR HEAD-2075-Canteen Stores Department Wages		0.12	0.06	दैनिक वेतन आदि में वृद्धि। Increase in daily wages rates, etc.
	अन्य प्रभार				यूनिट द्वारा चलाई जा रही सभी कैंटीनों (यूआरसी) आदि को सीएमडी द्वारा देय प्रमाणात्मक छूट (क्यूडी) की दरों के प्रतिशत में वृद्धि के कारण।
	Other Charges	125.00		12.48	Due to hike in percentage of Quantitative Discount (QD) rates payable by CSD to all Unit Run Canteens (URCs), etc.
4. रक्षा पेंशन	2071.101.01 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ता (थल सेना)				सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या, ब.अ. चरण में मंहगाई राहत की प्रत्याशा से अधिक उंची दर स्वीकृति के कारण वृद्धि और एक रैंक एक पेंशन के कारण संशोधन।
Defence Pensions	2071.101.01 Superannuation and Retirement Allowance (Army)		7889.18	450.45	Increase is due to increased number of retirees, sanction of higher rate of Dearness Relief than anticipated at BE stage and revision due to One Rank One Pension.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	2071.101.03 छुट्टी नकदीकरण (थल सेना)				सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या, ब.अ. चरण में मंहगाई राहत की प्रत्याशा से अधिक ऊंची दर स्वीकृति के कारण वृद्धि ।
	2071.101.03 Leave Enchashment (Army)	364.20	18.33		Increase is due to increased number of retirees and sanction of higher rate of Dearness Relief than anticipated at BE stage.
	2071.102.01 पेंशनों का परिवर्तित मूल्य (नौ सेना)				ब.अ. चरण में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की प्रत्याशा से अधिक संख्या के कारण वृद्धि।
	2071.102.01 Commutated value of Pensions (Navy)	45.00	14.10		Increase is due to increased number of retirees than anticipated at BE stage.
	2071.102.01 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ता (नौ सेना)				सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या, ब.अ. चरण में मंहगाई राहत की प्रत्याशा से अधिक ऊंची दर स्वीकृति के कारण वृद्धि और एक रैंक एक पेंशन के कारण संशोधन।
	2071.102.01 Superannuation and Retirement Allowance (Navy)	191.57	15.52		Increase is due to increased number of retirees, sanction of higher rate of Dearness Relief than anticipated at BE stage and revision due to One Rank One Pension.
	2071.103.01 उपादान (वायुसेना)				सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या, ब.अ. चरण में मंहगाई राहत की प्रत्याशा से अधिक ऊंची दर स्वीकृति के कारण वृद्धि ।
	2071.103.01 Gratuity (Air Force)	76.40	11.03		Increase is due to increased number of retirees and sanction of higher rate of Dearness Relief than anticipated at BE stage.
	2071.103.01 पेंशनों का परिवर्तित मूल्य (वायु सेना)				ब.अ. चरण में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की प्रत्याशा से अधिक संख्या के कारण वृद्धि।
	2071.103.01 Commutated Value of Pensions (Air Force)	156.20	30.23		Increase is due to increased number of retirees than anticipated at BE stage.
	2071.103.01 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ता (वायु सेना)				सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या, ब.अ. चरण में मंहगाई राहत की प्रत्याशा से अधिक ऊंची दर स्वीकृति के कारण वृद्धि और एक रैंक एक पेंशन के कारण संशोधन।
	2071.103.01 Superannuation and Retirement Allowance (Air Force)	484.88	20.92		Increase is due to increased number of retirees, sanction of higher rate of Dearness Relief than anticipated at BE stage and revision due to One Rank One Pension.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
5. विदेश मंत्रालय	3605-00.101-11.00.32	अंशदान			बजटीय सहायता के रूप में नेपाल को आर्थिक सहायता हेतु भारत सरकार के अंशदान के भाग के रूप में नेपाल सरकार को एकबारगी भुगतान हेतु।
Ministry of External Affairs	3605-00.101-11.00.32	Contributions	65.00	100.00	For One time payment to Govt. of Nepal as part of GOI's contribution for economic assistance to Nepal as Budgetary support.
	2061-00.798-02.00.32	अंशदान			संयुक्त राष्ट्र केन्द्रीय आपातकालीन प्रत्युत्तर निधि (सीईआरएफ) को भारत सरकार के अंशदान के भुगतान हेतु।
	2061-00.798-02.00.32	Contributions	3.64	4.675	For making payment of GOI's contribution to the United Nations Central Emergency Response Fund (CERF)
	3605-00.101-16.00.32				लेबनान के पुनर्निर्माण हेतु मानवतावादी और राहत प्रयासों में भारत सरकार के अंशदान हेतु।
	3605-00.101-16.00.32		5.10	4.94	For GOI's contribution to humanitarian & relief efforts to rebuild Lebanon.
	2061-00.106-01.00.20	अन्य प्रशासनिक व्यय			वर्ष 2006 के अंत/2007 के प्रारंभ में निर्धारित 14वें सार्क/बीआईएमटीसी-ईसी शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति हेतु 11 बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज, कारों की तत्काल खरीद हेतु।
	2061-00.106-01.00.20	Other Administrative Expenses	21.00	17.75	For immediate purchase of 11 Bullet Resistant Mercedes Benz Cars to meet security requirement during 14th SAARC / BIMTC-EC Summit scheduled in late 2006 / early 2007.
	2061-00.101-01.99.13	कार्यालय व्यय			पासपोर्ट और वीसा कार्य के लिए विदेश में 7 मिशनों/पोस्टों में कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु।
	2061-00.101.01.99.13	Office Expenses	0.00	2.18	To undertake computerisation projects of passport and visa work in 7 Missions/Posts abroad.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	2061-00.003-01.00.20				
	अन्य प्रशासनिक व्यय				पीसीएफडी (विदेशी प्रतिनिधियों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम) और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के संचालन लागत में वृद्धि के कारण।
	2061-00.003-01.00.20				
	Other Administrative Expenses	0.00	1.00		Due to increase in cost of conducting PCFD (Professional Course for Foreign Delegates) and training courses and other programmes.
	2061-00.104-01.00.20				
	अन्य प्रशासनिक व्यय				नवम्बर, 2006 में नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले अफगानिस्तान पर दूसरे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।
	2061-00.104-01.00.20				
	Other Administrative Expenses	0.30	0.50		For meeting out the expenses for 2nd Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan to be held in New Delhi in Nov. 2006.
	2061-00.800-11.10.31				
	सहायता अनुदान				इंडियन फेडरेशन ऑफ यूएन एसोसिएशन (आईएफयूएनए) का सहायता अनुदान के भुगतान हेतु।
	2061-00.800-11.10.31				
	Grant-in-Aid	0.03	0.05		For payment to Indian Federation of UN Association (IFUNA) Grant in Aid.
	2061-00.800-03.26.50				
	अन्य प्रभार				लेबनान से भारतीय नागरिकों को खाली कराने पर हुए व्यय हेतु।
	2061-00.800-03.26.50				
	Other Charges	0.015	1.0658		For expenditure incurred on evacuation of Indian nationals from Lebanon.
	2061-00.800-13.02.50				
	अन्य प्रभार				विदेशों में स्थित मिशनों/पोस्टों में राष्ट्रीय दिवस/गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वागत समारोह पर हुए वास्तविक व्यय की पूर्ति हेतु।
	2061-00.800-13.02.50				
	Other Charges	1.09	0.50		For meeting the actual expenditure incurred on hosting reception on the occasion of National Day / Republic Day in the Missions / Posts abroad.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	3605-00.101-16.00.32				
	अंशदान				डूरियन तूफान के पश्चात् फिलीपीन्स में राहत और पुनर्निर्माण कार्य हेतु भारत के योगदान के रूप में 2,50,000 अमरीकी डॉलर के नकद दान हेतु।
	3605-00.101-16.00.32				
	Contributions		5.10	1.15	For cash donation of US \$ 250,000 as India's contribution for relief and reconstruction work to the Philippines in the aftermath of typhoon Durian.
	3605-00.101-15.00.32				
	अंशदान				पुल-ए-खुमारी प्रसारण योजना (अफगानिस्तान) हेतु।
	3605-00.101-15.00.32				
	Contributions		0.01	70.00	For Pul-e-Khumri Transmission Project (Afghanistan)
	3605-00.101-17.00.32				
	अंशदान				अफगान नागरिकों के लिए 500 आईटीईसी स्लॉटों के कार्यान्वयन हेतु।
	3605-00.101-17.00.32				
	Contributions		52.00	11.75	For implementing 500 ITEC slots for Afghan nationals.
	2061-00.800-12.08.20				
	अन्य प्रशासनिक व्यय				नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कम्पनीज (नैस्कॉम फाउंडेशन) द्वारा इंडिया-ईयू सिविल सोसाइटी इंटरनेट फोरम की स्थापना हेतु।
	2061-00.800-12.08.20				
	Other Administrative Expenses		0.25	0.1127	For setting up of the India-EU Civil Society Internet Forum by National Association of Software and Service Companies (NASSCOM FOUNDATION)
	2052-00.090-02.00.12				
	विदेश यात्रा व्यय				ब.अ. 2006-07 में अपर्याप्त निधियों का आवंटन किया जाना।
	2052-00.090-02.00.12				
	Foreign Travel Expenses		30.00	5.00	Being inadequate funds allotted in BE 2006-07.
	2061-00.103-01.00.50				
	अंशदान				विशेष राजनयिक व्यय के बजट शीर्ष के तहत आवश्यक और प्रत्याशित आवश्यकता हेतु।
	2061-00.103-01.00.50				
	Contributions		823.00	50.00	For an urgent and unanticipated requirement under the budget head of Special Diplomatic Expenditure.
	2052-00.090-02.22.27				
	लघु निर्माण कार्य				एफएसएल के लिए किए गए निर्माण कार्यों विदेश सचिव के आवास के नवीकरण और अकबर भवन में विभिन्न निर्माण कार्य हेतु।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2052-00.090-02.22.27 Minor Works	0.00	0.98	For works carried out for FSL, renovation of residence of FS and various works in Akbar Bhawan.
6. आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व भाग	मु.शी. 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं			डाभोल विद्युत परियोजना मामले के सम्बन्ध में बकाया जिलों के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति हेतु।
Department of Economic Affairs	सचिवालय व्यावसायिक सेवाएं	Revenue Section			
	MH-2052-Sectt. General Services	Sectt.			
	Professional Services		3.00	5.10	To meet expenditure in connection with residuary bills regarding Dabhol Power project case.
	अन्य प्रभार (आईटी)				मंत्रालय के आईटी आयोजना के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति हेतु।
	Other Charges (IT)		1.95	9.05	For meeting expenditure in connection with IT plan of the Ministry.
	मु.शी. 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				विश्व बैंक अनुदान को सार्वजनिक निजी भागीदारी की तैयारी तथा मूल्यांकन तथा वीजीएफ के संचालन में सुधार हेतु अन्तरण करना।
	सहायता अनुदान				
	MH 3475-Other General Economic Services				
	Grants-in-aid		0.00	0.91	For passing though World Bank Grant to improve preparation and appraisal of PPP and the operation of the VGF.
	सब्सिडी				एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को बकाया समकरण सहायता हेतु। सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त किया गया।
	Subsidies		0.00	99.99	For interest equalization support to the Exim Bank of India. Token supplementary obtained.
	मु.शी. 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग				एडीबी की उन्नतालीसवें एजीएम के आयोजना की एवज में व्यय की पूर्ति हेतु।
	अन्य प्रशासनिक व्यय				
	MH 3605-Technical and Economic Co-operation with other countries				
	Other Administrative Expenses		0.01	22.73	For meeting expenditure towards organizing 39 th AGM of ADB.
	पूंजी भाग				
	मु.शी. 4046-करेंसी, सिक्का निर्माण तथा टकसाल				एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद। तीसरे तथा अन्तिम बैच के माध्यम से पूरक अनुदान मांगा जा रहा है।
	अन्य पूंजी व्यय				

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	Capital Section				
	MH-4046-Capital Outlay of				
	Currency, Coinage and Mint				
	Other Capital Expenditure	0.00	96.36		For purchase of coins from SPMCIL. Supplementary being obtained through the 3 rd and Final batch.
	मशीनरी तथा उपस्कर				बजट प्रेस के लिए मल्टी कलर वेब ऑफ सैट प्रिंटिंग मशीन की खरीद हेतु। सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त किया गया है।
	Machinery and Equipments	0.01	6.99		For purchase of Multi-colour Web off-set Printing Machine for Budget Press. Token supplementary obtained.
7. वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग	मु.शी. 2020 आय तथा व्यय पर कर संग्रहण (मुख्य शीर्ष) 00.001-निर्देशन तथा प्रशासन (लघु शीर्ष) 01-अन्वेषण 01.00.01-वेतन				यह वृद्धि वेतन वृद्धियों तथा मंहगाई के प्रभाव आदि सहित-अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति की वजह से हुई है।
Ministry of Finance Department of Revenue	MH 2020 Collection of Taxes on Income & Expenditure (Major Head) 00.001-Direction and Administration (Minor Head) 01-Investigation 01.00.01-Salaries	6.04	1.46		The increase is due to meet the additional requirement including increaments and impact of DA etc.
	02-अनुसंधान सांख्यिकी तथा प्रकाशन 02.00.13-कार्यालय व्यय				यह वृद्धि सरकारी मुद्रणालयों, चालानों तथा विभिन्न प्रपत्रों आदि की दुलाई के लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति की वजह से हुई है।
	02.00.26 विज्ञान तथा प्रचार				यह वृद्धि वर्ष 2006-07 में विज्ञापन तथा प्रचार पर हुए व्यय तथा वचनबद्धता के कारण है। अक्तूबर, 2006 तथा मार्च, 2007 के दौरान प्रमुख अभियान चलाया गया। यह वृद्धि डिडक्टर्स, निविदा विज्ञापन कार्य प्रदर्शन आदि के लिए लक्षित जागरूकता अभियान के कारण है।
	02-Research Statistics and Publication				
	02.00.13-Office Expenses	13.00	25.25		The increase is on account of expenditure towards pending payment to Govt presses, transportation of challans and various forms etc.
	02.00.26-Advertising and Publicity	18.00	10.00		The increase is on account of expenditure incurred and

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
					committed on advertising & publicity for 2006-07. Major campaign to be conducted during October 2006 and March, 2007. The increase is due to duplication and awareness campaign targeted towards deductors, advertisement of tender, expression of interest etc.
	00.101-संग्रहण प्रभार-आय-कर				
	(लघु शीर्ष)				
	01-आयुक्त तथा उनके कार्यालय				
	01.00.01-वेतन				यह वृद्धि वेतन वृद्धियों तथा मंहगाई के प्रभाव आदि सहित-अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति की वजह से हुई है।
	01.00.02-मजदूरी				यह वृद्धि बकाया मजदूरी बिल तथा मजदूरी दरों में वृद्धि आदि की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति की वजह से हुई है।
	01.00.13-कार्यालय व्यय (स्वीकृत)				इस शीर्ष में यह वृद्धि फील्ड यूनिटों द्वारा संचालित वाहनों, चालान तथा विभिन्न प्रपत्रों की दुलाई, पुराने तथा नए कार्यालय परिसरों की फर्निशिंग, एएमसी, विद्युत तथा जल प्रभारों में बढ़ोतरी, नए ईपीबीएक्स का संस्थापन, पेन-कार्ड्स तथा डाक स्टाम्पों आदि के अअनुपिकरण पर हुए व्यय भी वजह से है।
	01.00.14-किराया, दर तथा कर				यह वृद्धि पहले से स्वीकृत बड़ी संख्या में किराया संशोधनों की वजह से अतिरिक्त आवश्यकता को ध्यान में रखने के कारण है।
	00.101-Collection Charges-				
	Income Tax (Minor Head)				
	01-Commissioners and their offices				
	01.00.01- Salaries	794.25		12.09	The increase is due to meet the additional requirement including increaments and impact of DA etc.
	01.00.02 - Wages	8.83		1.03	The increase is due to meet the additional requirement of outstanding wages bill and hike in wage rates etc.
	01.00.13-Office Expenses (Voted)	142.55		37.58	The increase in this head is on account of expenditure towards operational vehicles by field units, transportation of Challans and various forms, furnishing of old and new office premises, AMC, enhancement of electricity and water charges, installation of new EPBAX, de-duplication of PAN cards and Postage Stamps etc.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		01.00.14-Rent, Rates and Taxes	53.51	39.92	The increase is due to take care of the additional requirement on account of large number rent revisions which have already been cleared.
		04-प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का जोनल लेखा कार्यालय			
		04.00.01-वेतन			यह वृद्धि वेतन वृद्धियों तथा मंहगाई भत्ते के प्रभाव आदि सहित-अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति की वजह से हुई है।
		04-Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts			
		04.00.01-Salaries	13.19	1.21	The increase is due to meet the additional requirement including increments and impact of DA etc.
8.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2210.01.103.24-डिस्पेंसियों/ अस्पतालों की स्थापना - सीजीएसएस			सीएचएस के कम्प्यूटरीकरण और उपराष्ट्रपति के लिए एम्बुलेंस की खरीद पर व्यय। वेतन और भत्ते, दवाईयों और अन्य उपभोग्य वस्तुएं।
	Ministry of Health & Family Welfare Department of Health & Family Welfare	2210.01.103.24- Setting up Dispensaries / Hospitals - CGHS	32.00	4.57	Expenditure on Computerisation of CGHS & Procurement of Ambulance for Vice President.
			276.50	52.50	Increased expr. on pay and allowances, medicines and other consumable items.
		2210.01.110.19-सफदरजंग अस्पताल			मरम्मत, रखरखाव और सुरक्षा हेतु एजेन्सी को शामिल करने पर वृद्धि व्यय।
		2210.01.110.19- Safdarjung Hospital	48.00 74.40	3.39	Increased expr. on repairs, maintenance and engaging agency for security.
		2210.01.110.20-डा. आरएमएल अस्पताल			निदान विज्ञान के लिए उपकरण की खरीद। वेतन और भत्तों पर वृद्धि व्यय।
		2210.01.110.20- Dr. R.M.L. Hospital	27.00	5.47	Procurement of equipment for diagnostic.
			52.20	8.12	Increased expenditure on pay & allowances.
		2210.01.110.22-एआईआईपीएम एंड आर, मुम्बई			भौतिक औषधि-एवं पुनर्वास विभाग के उन्नयन हेतु सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जी-आई-ए प्रदान करना। वेतन और भत्तों, दवाईयों और अन्य उपयोग्य वस्तुओं पर वृद्धि व्यय

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	2210.01.110.22-	3.60	0.61	Providing G-I-A to Govt. Medical Colleges for upgradation of Deptt. of Physical Medicine & Rehabililtation.	
	AIIPM&R, Mumbai				
		3.45	1.25	Increased expenditure on pay & allowances, Medicines & other consumables.	
	2210.05.105.27-एलएचएमसी और श्रीमती एस.के. अस्पताल			लघु निर्माण कार्यों, उपकरणों आदि पर वर्द्धित व्यय। उपयोग्य वस्तुओं, वेतन एवं भत्तों, दवाईयों आदि पर वर्द्धित व्यय।	
	2210.05.105.27-LHMC & Smt. S.K. Hospital	19.00	4.60	Increased expenditure on minor works, equipments etc.	
		48.88	3.00	Increased expenditure on consumables, pay & allowances, medicines etc.	
	2210.06.800.02-अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों में शिष्टमंडल			विदेश यात्राओं पर वर्द्धित व्यय।	
	2210.06.800.02-Delegation to Internal Health Conferences.	0.80	0.39	Increased expenditure on foreign visits.	
	2211.00.106.01-मुख्यालय में कार्यकलाप			जिला स्तर आऊटरीच कार्यक्रमों को बढ़ाना।	
	2211.00.106.01-Activities at Headquarters	5.00	13.35	To increase outreach programmes at the Distt. Level.	
	2211.00.106.14-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया यूनिटों के जरिए व्यय			जिला स्तर आऊटरीच कार्यक्रमों को बढ़ाना।	
	2211.00.106.14-Expenditure through Media Units of Ministry of Information Broadcasting	38.60	18.00	To increase outreach programmes at the Distt. Level.	
	3601.04.263.03-राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक)			राज्य स्तर पर अधिक आवश्यकता है।	
	3601.04.263.03-National Vector Borne Diseases Control Prog. (Rural) (General Component)	55.69	23.01	More requirement at the State level.	
	3601.04.263.04-राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम			राज्य स्तर पर अधिक आवश्यकता है।	
	3601.04.263.04-National Vector Borne Diseases Control Prog.	80.00	5.37	More requirement at the State level.	
	3601.04.263.05-कालाज़ार नियंत्रण कार्यक्रम			राज्य स्तर पर अधिक आवश्यकता है।	
	3601.04.263.05-Kala-azar control Prog.	15.00	5.48	More requirement at the State level.	

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
9.	योजना मंत्रालय	3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं 00.101-योजना आयोग/योजना बोर्ड 01-मुख्यालय 01.00.01-वेतन			सामान्य वेतन वृद्धियां, मंहगाई भत्ते का प्रभाव और सहायकों का वेतन उन्नयन।
	Ministry of Planning	3451- Secretariat -Economic Services 00.101 – Planning Commission/ Planning Board 01 – Headquarters 01.00.01 – Salaries	20.84	1.66	Normal increments, impact of DA and Pay up-gradation of Assistants.
		01.00.02-मजदूरी			दैनिक मजदूरी दरों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि।
		01.00.02 - Wages	0.15	0.01	Increase in daily wages rates and staff.
		01.00.06-चिकित्सा उपचार			प्रत्याशा से अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त हुए।
		01.00.06 – Medical Treatment	0.30	0.25	More medical re-imbursement claims received than anticipated.
		01.00.11-देशीय यात्रा व्यय			इंडियन एयरलाइन्स और प्राइवेट एयरलाइनों के बकाया बिलों का भुगतान करना। गैर-सरकारी व्यक्तियों के कई दावों का निपटान।
		01.00.11 – Domestic Travel Expenses	1.46	0.87	To clear pending bills of Indian Airlines and Private Airlines. Disposal of a number of claims of non-officials.
		01.00.12-विदेश यात्रा व्यय			योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की विदेश यात्राओं पर प्रतिबद्ध व्यय के कारण।
		01.00.12 – Foreign Travel Expenses	0.63	0.37	Due to committed expenditure on Foreign journeys of Deputy Chairman and Members of Planning Commission.
		01.00.13-कार्यालय व्यय			यह वृद्धि मुख्यतः लम्बित बिलों, सामान्य मूल्य वृद्धि, कर संशोधन, पीओएल कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण है।
		01.00.13 – Office Expenses	2.78	2.17	Increase is attributed mainly on account of pending bills, general price hike, tax revision, steep increase in POL prices, etc.
		01.00.16-प्रकाशन			अधिक दस्तावेजों/रिपोर्टों का मुद्रण।
		01.00.16 - Publications	0.34	0.05	Printing of more documents/ reports.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		01.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों आदि के हिन्दी अनुवाद पर प्रत्याशित व्यय।
		01.00.20 – Other Administrative Expenses	0.34	0.09	Anticipated expenditure on Hindi translation of various important documents etc..
		02-कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन			
		02.00.01-वेतन			मंहगाई भत्ते में वृद्धि, रिक्त पदों को भरना।
		02 – Programme Evaluation Organisation			
		02.00.01 - Salaries	2.65	0.02	Hike in DA, filling up of vacant posts.
		02.00.06-चिकित्सा उपचार			बकाया दावों को पूरा करने के लिए।
		02.00.06 – Medical Treatment	0.06	0.06	To clear outstanding claims.
		02.00.11-देशीय यात्रा व्यय			हवाई किराए में वृद्धि और बकाया यात्रा भत्ते के बिलों का भुगतान।
		02.00.11 – Domestic Travel Expenses	0.16	0.04	Hike in air fare and clearance of outstanding TA bills.
		02.00.13 - कार्यालय व्यय			माल, वस्तुओं और स्टेशनरी मदों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि।
		02.00.13 – Office Expense	0.15	0.04	Steep increase in the prices of goods, articles and stationery items.
		जोड़ मुख्य शीर्ष - 3451			
		Total MH - 3451	29.86	5.63	
		3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
		00.800-अन्य व्यय			
		04 - सरकार आदि के जनशक्ति अनुसंधान सेवाएं			
		04.01-अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान			मंहगाई भत्ते का प्रभाव, वेतन वृद्धि के लिए प्रावधान, सेवानिवृत्ति दावों का निपटान और सामान्य मूल्यवृद्धि, जो कार्यालय के रखरखाव और परिचालन आदि को प्रभावित करते हैं।
		04.01.31-सहायता अनुदान			
		3475 – Other General Economic Services			
		00.800 – Other Expenditure			
		04 – Manpower Research Services to Government, etc.			
		04.01 – Grants-in-aid to Institute of Applied Manpower Research			
		04.01.31 – Grants-in-aid	3.50	0.30	Impact of DA, provisions for increments, settlement of retirement claims and general price hike affecting maintenance and running of office, etc.
		कुल जोड़ मुख्य शीर्ष - 3451 + मुख्य शीर्ष - 3475			
		Grand Total MH – 3451+ MH -3475	33.36	5.93	

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
10.	भू-संसाधन विभाग	2501.05.101.01.03.28 - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड (एनडब्ल्यूडीपी) आकलन, मानीटरिंग और मूल्यांकन			आईसीआरआईएसएटी द्वारा संचालित किए जाने वाले "भारत में जल-विभाजक कार्यक्रमों का वृहत मूल्यांकन" नामक अध्ययन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
	Department of Land Resources	2501.05.101.01.03.28-National Wastelands Development Board (NWDP) - Appraisal, Monitoring and Evaluation	0.40	0.12	To meet the excess requirement for the study titled "A Comprehensive Assessment of Watershed Programmes in India" to be conducted by ICRISAT.
11.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग- डीएसटी	3425.60.200.08.11.31-सहायता अनुदान (विज्ञान एवं सोसाइटी कार्यक्रम)			"नवीन ग्रामीण विकास परियोजना के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग" और "प्रौढ़ जनता के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग" हेतु नए सिरे से स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए।
	Department of Science and Technology - DST	3425.60.200.08.11.31-Grants- in-aid (Science & Society Programme)	5.50	1.35	To cater to fresh sanctions for "S&T Applications for Innovative Rural Development Project" and for "S&T Applications for Elderly Population".
12.	नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय 01-राष्ट्रीय राजमार्ग 01.337-सड़क निर्माण कार्य 02-उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम 02.00.53 - मुख्य निर्माण कार्य			उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।
	Ministry of Shipping, Road Transport & Highways				
	Department of Road Transport & Highways	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges 01-National Highways 01.337-Road Works 02- Special Accelerated Road Development Programme in the North Eastern Areas 02.00.53 - Major Works	...	303.00	For meeting expenditure under the Special Accelerated Road Development Programme in the North Eastern Region.
13.	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय	3601-04.341-07.0031 अनु. जातियों हेतु मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति			राज्य सरकारों की लम्बित आवश्यकताओं को पूरा करना।
	Ministry of Social Justice & Empowerment	3601-04.341-07.0031 Post Matric Scholarship for SCs	438.80	33.06	To clear the pending requirements of the State Governments.
		3601-04.377-03.0031 पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति			पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में स्थित राज्य सरकारों को निधियां जारी करने हेतु।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601-04.377-03.0031 Post Matric Scholarship for BCs	30.49	16.54	For releasing funds to the State Governments located in NE Region and Sikkim.
		3601-03.341-01.0031 अनुसूचित जाति संघटक आयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत योजनाएं			पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में स्थित राज्य सरकारों को निधियां जारी करने हेतु।
		3601-03.341-01.0031 Schemes under Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan	438.62	10.03	For releasing funds to the State Governments located in NE Region and Sikkim.
14.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राजस्व भाग (आयोजना-भिन्न) Ministry of Statistics and Programme Implementation Revenue Section (Non-Plan)	मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं 00.090-सचिवालय 18-कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 01 - स्थापना 18.01.02 - मजदूरी MH 2052-Secretariat General Services 00.090-Secretariat 18-Department of Programme Implementation 01-Establishment 18.01.02 - Wages 18.01.11- घरेलू यात्रा व्यय 18.01.11- Domestic Travel Expenses मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं 00.090-सचिवालय 18-सांख्यिकी विभाग 01 - स्थापना 32.01.01 - वेतन MH 3451-Secretariat Economic Services 00.090-Secretariat 18-Department of Statistics Implementation 01-Establishment 32.01.01 - Salaries 32.99.13- कार्यालय व्यय 32.99.13- Office Expenses			ठेके के आधार पर नियोजित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए। To pay salary to the workers employed on contract basis. यात्रा भत्ते के लम्बित बिलों का निपटान करने के लिए। To clear pending TA bills. वेतन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। To meet salary requirement. कम्प्यूटरों की खरीद, इसके संघटक और संस्थापन। Purchase of computers, its peripherals and installation.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		मुख्य शीर्ष 3454-संगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
		02-सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
		02.202 भारतीय सांख्यिकी संस्थान			
		01-आईएसआई, कोलकाता को सहायता अनुदान			आईएसआई कोलकाता की वेतन संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए।
		01.00.31 सहायता अनुदान			
		MH 3454-Census, Survey and Statistics			
		02-Survey and Statistics			
		02.202-Indian Statistical Institute			
		01-Grants-in-aid to ISI, Kolkata			To meet the requirement of ISI Kolkata on salary.
		01.00.31-Grants-in-aid	44.20	2.60	
		02.203-कम्प्यूटर सेवाएं			
		01-संलग्न कार्यालय			ठेके के आधार पर नियोजित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए।
		01.00.02-मजदूरी			
		02.203-Computer Services			
		01-Attached Office			To pay salary to workers employed on contract basis
		01.00.02 - Wages	0.0093	0.0032	
		02.204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन			
		01-संलग्न कार्यालय			
		01-स्थापना			
		01.01.01-वेतन			वेतन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।
		01.99.52-मशीनरी एवं उपकरण			कम्प्यूटर खरीद के व्यय हेतु।
		02.204-Central Statistical Organisation			
		01-Attached Office			
		01-Establishment			
		01.01.01-Salaries	8.08	2.28	To meet expenditure on salary.
		01.99.52-Machinery & Equipment	0.015	0.005	To meet the expenditure on purchase of computers.
(आयोजना)		मुख्य शीर्ष 3454-संगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
		02-सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
		02.201-राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन			
		02-फील्ड आपरेशन प्रभाग			
		06-अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी और प्रकाशन सुधार			स्टाफ के चिकित्सा संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए।
		02.06.06-चिकित्सीय उपचार			निर्मित नए स्थानों के लिए फर्नीचर की खरीद।
		02.06.13-कार्यालय व्यय			
(Plan)		MH 3454-Census, Survey and Statistics			
		02-Survey and Statistics			
		02.201-National Sample Survey Organisation			
		02-Field Operations Division			
		06-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications			To meet medical expenses of staff.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		02.06.06-Medical Treatment	0.032	0.0129	Purchase of furniture for newly constructed accommodation.
		02.06.13-Office Expenses	0.2925	0.1134	
		07-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना			आर्थिक संगणना कार्य के पश्च गणना संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए।
		02.07.11-घरेलू यात्रा व्यय			
		07-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO			To meet the expenses on post enumeration of economic census work.
		02.07.11-Domestic Travel Expenses	0.35	0.18	
		03-एसडी एण्ड आरडी			
		07-एनएसएसओ के सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करना			
		03.06.03-समयोपरि भत्ता			ठेके के आधार पर नियोजित कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए।
		03.07.16-प्रकाशन			मुद्रण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए।
		03-SD&RD			
		07-Strengthening of Survey Design & Research Capabilities of NSSO			
		03.06.03-Overtime Allowance	0.005	0.002	To pay wages to workers employed on contract basis.
		03.07.16-Publication	0.0175	0.0525	To meet printing expenses.
		02.204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन			
		19-संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण			
		01-स्थापना			
		19.01.17-बैंकिंग नकद लेन-देन कर			बैंकिंग नकद लेन-देन कर की पूर्ति हेतु।
		02.204-Central Statistical Organisation			
		19-Institutional Development & Capacity Building			
		01-Establishment			
		19.01.17-Banking Cash Transaction Tax	0.0001	0.0599	To meet BCCT
		21-सामाजिक पर्यावरण एवं मूल्य सांख्यिकी का विकास			
		21.99.52-मशीनरी एवं उपकरण			हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की खरीद
		21-Development of Social Environment and Price Statistics			
		21.99.52-Machinery & Equipment	0.02	0.04	Procurement of hardware and software.
		23-पांचवी आर्थिक संगणना			
		01-स्थापना			अनुसूचियों की पुनः जांच करने हेतु
		23.00.28-व्यावसायिक सेवाएं			आरजीआई को भुगतान करने के लिए।
		23-Fifth Economic Census			
		01-Establishment			
		23.00.28-Professional Services	1.4685	0.50	For making payments to RGI for rechecking schedules.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		2552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
		174-संगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी -			
		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन			
		01-फील्ड आपरेशन क्षेत्र			
		01-अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी एवं			
		प्रकाशनों में सुधार			
		01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय			यात्रा संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए।
		01.01.13-कार्यालय व्यय			कार्यालय के लिए फर्नीचर की खरीद।
		2552-North Eastern Areas			
		174-Census, Survey and Statistics-			
		National Sample Survey			
		Organisation			
		01-Field Operations Division			
		01-Improvement of Informal			
		Sector Statistics and			
		Publications.			
		01.01.11-Domestic Travel			
		Expenses	0.0281	0.009	To meet travel expenses.
		01.01.13-Office Expenses	0.032	0.01	Purchase of office furniture.
		02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण			
		क्षमताओं को सुदृढ़ करना			
		01.02.01-वेतन			व्यय संबंधी खर्च को पूरा करने के लिए।
		01.02.06-चिकित्सीय उपचार			यात्रा भत्तों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।
					प्रशिक्षण पर व्यय।
		01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			
		02-Strengthening of Field Survey			
		Capabilities of NSSO			
		01.02.01-Salaries	0.4234	0.115	To meet the expenditure on salary.
		01.02.06-Medical Treatment	0.0215	0.01	To meet the expenditure on TA.
		01.02.20-Other Admn. Expenses	0.005	0.005	Expenditure on training.
		185-संगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी -			
		केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन			
		01-भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण			
		परियोजना (भारत में सांख्यिकी			
		प्रणाली का आधुनिकीकरण)			
		01-स्थापना			
		01.01.28-व्यावसायिक सेवाएं			टियर-II पर अध्ययन के लिए परामर्शदाता को भुगतान ।
		185-Census, Survey and Statistics-			
		Central Statistical Organisation			
		01-India Statistical Strengthening			
		Project (Modernisation of			
		Statistical System in India)			
		01-Establishment			
		01.01.28-Professional Services	0.175	0.692	Payment to consultant for study on Tier-II.
		186-संगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी -			
		अन्य व्यय			
		01-कार्यक्रम कार्यान्वयन			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		01-संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण (पीआई विंग) 01.01.28 व्यावसायिक सेवाएं 186-Census, Survey and Statistics- Other Expenditure 01-Programme Implementation 01-Institutional Development & Capacity Building (PI Wing) 01.01.28-Professional Services	0.60	0.22	परामर्शदाताओं को भुगतान। Payment to consultants.
पूंजी भाग		5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 00.112-सांख्यिकी 01-वाहन/उपकरण/भवन 5475-Capital Outlay on Other General Economic Services 00.112-Statistics 01-Vehicles/Equipment/Building			
Capital Section		23-संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण (पीआई विंग) 23.00.52-मशीनरी एवं उपकरण 23-Institutional Development & Capacity Building (PI Wing) 23.00.52-Machinery & Equipment	0.20	0.40	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद करने के लिए। For procurement of computer hardware/software.
		31-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 31.00.53-मुख्य निर्माण कार्य 31-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 31.00.53-Major Works	2.50	1.00	भवन निर्माण के लिए। For construction of building.
15. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		राजस्व भाग गृह मंत्रालय मु.शी. 2245-प्राकृतिक विपदाओं के कारण राहत 02.101- उपादानात्मक राहत नकद अनुदान			सुनामी पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु
Andaman & Nicobar Islands		Revenue Section Ministry of Home Affairs MH-2245-Relief on account of Natural Calamities 02.101 Gratuitous Relief Cash Doles	0.01	8.39	For payment of compensation to Tsunami affected people.
		अन्य मदें			राहत शिविरों में मुफ्त राशन की आपूर्ति और संभार सहायता हेतु।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	Other items		0.01	39.49	For supply of free ration and other logistic support in the relief camps.
	02.106-प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार				सुनामी और भूकम्प के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार
	02.106 Repairs and restoration of damaged roads and bridges due to Natural Calamities		10.00	10.00	For repairs and restoration of roads and bridges damaged during Tsunami & Earthquake.
	80.800 प्राकृतिक आपदाओं के कारण अन्य व्यय				सुनामी और भूकम्प के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार
	80.800 Other Expenditure due to Natural Calamities		9.42	33.11	For repairs and restoration of roads and bridges damaged during Tsunami & Earthquake.
	नौवहन मंत्रालय				
	मु.शी. 3052-नौवहन				पीओएल की लागत, पोतों में कर्मचारियों के प्रभारों और कर्मदल पारिश्रमिक में वृद्धि के कारण
	02.103-नौवहन-सेवाएं				
	अंतर्द्वीपीय पोतों के परिचालनात्मक प्रभार				
	Ministry of Shipping				
	MH 3052-Shipping				
	02.103 Shipping Services				Due to increase in the cost of POL, manning charges of vessels and increase in crew wages.
	Operational charges of Inter-Islands Vessels		26.00	6.90	
	पूंजी भाग				
	मु.शी. 5051-पत्तनों और प्रकाश दीपस्तम्भों पर पूंजी परिव्यय				
	02.200-अन्य छोटे पत्तन				पत्तन सुविधाओं और अन्य संबद्ध निर्माण कार्यों के विकास पर व्यय की पूर्ति हेतु।
	पत्तन उपकरण और मशीन				
	Capital Section				
	MH 5051-Capital Outlay on Ports and Lighthouses				
	02.200 Other Small Ports.				To meet the expenditure on development of Port facilities and other allied works.
	Ports Equipment and Machinery.		12.16	7.31	
16.जल संसाधन मंत्रालय	3451-सचिवालय आर्थिक सेवा				विश्व बैंक द्वारा बगलिहार पन बिजली परियोजना के संबंध में नियुक्त किए गए निष्पक्ष विशेषज्ञ के समक्ष सुनवाई के कार्य के संबंध में हुए अनिवार्य व्यय को पूरा करने के कारण बजट अनुमान में वृद्धि हुई है।
	00.090-सचिवालय				
	16-जल संसाधन मंत्रालय				
	16.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय				
	16.00.28-व्यवसायिक सेवाएं				
Ministry of Water Resources	3451-Secretariat Economic Services				Increase of BE is due to meeting the essential expenditure relating to conduct of the hearings before the Neutral Expert appointed by the World Bank on Baglihar Hydro Electric Project.
	00.090-Secretariat				
	16-Ministry of Water Resources				
	16.00.20-Other Administrative Expenses		0.36	1.40	
	16.00.28-Professional Services		0.10	1.65	